

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च, 1993

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाक्रवार, 12 मार्च, 1993

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(13)30
विभिन्न ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में माननीय	(13)32

अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्यों को सूचना देना	
अभिकथित वि. शोशाधिकार भंग का प्र. नं— 11 मार्च 1993 को श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 द्वारा विधान सभा की लौबी में श्री रामरत्न एम0एल0ए0 को धमकाने, भददी गालियां देने, जान से मारने तथा गुस्से में बदतमीजी के साथ पेट आने संबंधी	(13)34
वाक आउटस	(13)37
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— (1) जिला हिसार में एडज के मामलों संबंधी	(13)38
वक्तव्य— स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(13)39
(2) जिला महेन्द्रगढ़, भिवानी तथा रिवाड़ी में ओला वृष्टि से नष्ट हुए चने तथा सरसों की फसल संबंधी	(13)44
वक्तव्य— मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(13)44
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(13)49
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(13)49

सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(13)50
समितियों की रिपोर्टस पे ा करना—	(13)50
(1) कमेटी आन पब्लिक अंडरटेकिंगज की 34वीं तथा 35वीं रिपोर्टस	
(2) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 35वीं तथा 36वीं रिपोर्टस	(13)51
(3) कमेटी औन गवर्नमेंट अ योरेंसिज की 24वीं रिपोर्ट	(13)51
(4) कमेटी औन सबोर्डिनेट लैजिस्ले ान की 26वीं रिपोर्ट	(13)51
(5) कमेटी औन एस्टीमेटस की 24वीं रिपोर्ट	(13)51
(6) कमेटी औन दी वैल्फेयर आफ ि ाडयूल्ड कास्टस एंड ि ाडयूल्ड ट्राईब्ज की 18वीं रिपोर्ट	(13)52
सरकारी संकल्प—	(13)52
(1) संविधान (बहत्तरवां सं ाोधन) विधेयक, 1991 के अनु समर्थन संबंधी	
(2) संविधान (तिहत्तरवां सं ाोधन) विधेयक, 1991 के अनु समर्थन संबंधी	(13)53
(3) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ऋण पर लिए	

जाने वाली अधिकतम राशि संबंधी	(13)53
बिलज—	
(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 1993	(13)85
(2) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1993	(13)86
(3) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 1993	(13)124 (13)138
(4) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 1993	
वाक आउट	
दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 1993 (पुनरारम्भ)	(13)138

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 12 मार्च, 1993

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Supply of Drinking Water Connection

***443. Sh. Ram Bhajan Aggarwal:** Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide drinking water connection to the village Manheru in District Bhiwani from the water supply line passing through the village; and

(b) if so, the time by which the said connection are likely to be provided ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री निर्मल सिंह):

(क) गांव में पीने का पानी 1976 से चालू है तथा 132 नल लगे हुए हैं।

(ख) उपरोक्त "क" के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की जानी।

श्री राम भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, इस गांव के अन्दर हरिजनों के मोहल्लों में पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्या मंत्री जी वहां पर कोई चैक वाल सिस्टम करने की योजना को चालू करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, एक गांव से दूसरे गांव में जो लाईन जाती है, उसके बीच में कई कनेक्टान दिये जा रहे हैं। ऐसे ही कई कनेक्टान भट्टों पर भी दिये जा रहे हैं जिसके कारण लाईन के बीच में पंचर हो जाता है और इसी वजह से आगे पानी नहीं पहुंचता। बापडा से सुई गांव के बीच में तीन भट्टे आते हैं जिनको कनेक्टान दिये हुए हैं। इस पानी से ईंटे बनती हैं, इसी वजह से पानी की कमी रहती है और लोगों को पानी नहीं मिलता। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन भट्टों को कनेक्टान न देने के बारे में इनकी कोई योजना है ?

श्री निर्मल सिंह: स्पीकर साहब, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ गांवों में पीने का पानी नहीं जा रहा है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर इनके नोटिस में कहीं पर इररैगुलरटी है तो बता दें, हम उसको ठीक करा देंगे। इसके अलावा जैसा इन्होंने यह भी कहा कि भट्टों को कनेक्टान देकर पानी दिया जा रहा है। अगर इनके नोटिस में भट्टों को कनेक्टान देने की वजह से पीने के पानी की कमी है तो यह हमको बतायें, हम उसको ठीक करा देंगे।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आनरेबल मैम्बर्ज ने बताया कि भट्टों को बीच में से कनैव इन दिये जा रहे हैं, क्या वे इसको रोकने का कोई प्रबन्ध करेंगे ? इसके अलावा, बहुत से हरिजन मोहल्लों में पीने का पानी नहीं जा रहा है। यहां तक कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास के गांव में भी पानी का बुरा हाल है। जब इसी गांव में यह हाल है तो और गांवों में क्या होगा ? मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के मोहल्लों में नलके तो लगे हुए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं जाता है। क्या मंत्री महोदय पानी पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे या चैक वाल लगाकर घंटों के हिसाब से वहां पानी पहुंचायेगे ?

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि भट्टों को कनैव इन दिये हुए हैं जिसकी वजह से पानी की दिक्कत हो रही है। अगर कहीं पर इनके नोटिस में ऐसी बात है तो यह हमें बता दें हम उसको ठीक करा देंगे। लेकिन जहां तक भट्टों को कनैव इन देने की बात है, भट्टों पर भी लेबर वगैरह रहती है, उनको भी पीने के पानी की जरूरत होती है, इसलिए कनैव इन दिये हुए होंगे, लेकिन उस पानी से भट्टों पर ईंटें नहीं पथती हैं या ईंटों के पाथने के लिए कनैव इन नहीं दिये गये और उस पानी से ईंटे पाथी भी नहीं जा सकतीं। फिर भी अगर इनके नोटिस में कोई इररैगुलैरटी है तो उसको ठीक करा देंगे। जहां तक बनारसी दास के गांव में पीने के पानी की कमी का सवाल है, हम तो हरिजन बस्तियों को पीने के पानी को

पहुंचाने में प्रायोरिटी देते हैं, न कि बनारसी दास के गांव को। फिर भी अगर इनके गांव में कहीं ऐसी बात है तो हम दूर करा देंगे।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राम भजन जी बताया है कि भिवानी जिले में कुछ गांव हैं जिनमें पीने का पानी नहीं जा रहा है, हम इसके बारे में इनके नोटिस में भी और उनके इंजीनियर के नोटिस में भी यह बात लाये हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि बामला से सिरसा तक जो पानी की लाईन जाती है, उसके बीच में तीन भट्टों को कनेक्टान दिये हुए हैं, इसीलिए सिरसा तक पानी नहीं जाता। इसी तरह से बापड से सूई तक की जो लाईन है, वहां पर चार कनेक्टान दिये हुए हैं, इसीलिए पीने का पानी सूई गांव तक नहीं पहुंच पाता। इसी तरह से ननयान गांव से पालवा तक एक पाईप लाईन जाती है, इस लाईन के बीच भट्टों को कनेक्टान दिये हुए हैं इसी तरह से दूसरे और भी कई गांव हैं। स्पीकर साहब, होना तो यह चाहिए था जो लाईन एक गांव से दूसरे गांव जाती है, उसमें पंचर न होने दिया जाए तथा बीच में किसी भी भट्टे को कनेक्टान न दिया जाए। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है, अगर कोई पोलिटिकल मजबूरी है तो उनको अलग से लाईन दे दें। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, सांवड, मान्डू, बपाडा आदि बड़े बड़े गांव हैं, जिनमें एक जोन से पानी चलता है, जिसके कारण इनमें पानी नहीं पहुंच पाता। क्या मंत्री जी इन गांव में ठीक तरह से

पीने का पानी पहुंचाने के लिए दो या तीन और जोन बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भट्टों का जिक्र किया है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यदि कोई इररैगुलैरिटी होगी तो हम दूर करेंगे। इसका पोलिटिकल कोई कारण नहीं है, माननीय सदस्य ये बताएं कि वहां कब से कनैक्शन लगे हुए हैं, कब दिए गए थे। मेरे ख्याल में ईंटें बनाने के लिए ऐसा कोई कनैक्शन नहीं है। यह जरूर है कि कहीं मजदूर बैठे हों उनको कोई टैम्पेरी व्यवस्था कर दी गई हो लेकिन मेन लाइन पर कनैक्शन नहीं देने चाहिए, अगर ऐसे कनैक्शन होंगे तो उनको रिमूव करा देंगे। माननीय सदस्य ने जोन बनाने के बारे में कहा है, कहीं ये फिनायल बताएंगे तो जरूर गौर करेंगे और बनवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: भट्टे वाले मजदूरों को भी तो पानी चाहिए, उनको क्या होगा ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक बताया है कि अगर कहीं टैम्पेरी लेबर लगी हुई है, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे भी वहां रहते हैं, उनको कहीं पीने का पानी दे दिया होगा, लेकिन अगर भट्टे से ईंटें बनाने के लिए ऐसा कोई पानी दे रखा है तो उसको हम सारी स्टेट में चैक करवा लेंगे। वैसे ऐसा कोई कनैक्शन देने का सवाल ही नहीं है।

श्री कृष्ण लाल: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के असन्ध में उटाना गांव पडता है जिसको घरौंडा वाटर सप्लाई स्कीम से जोडा गया है, उस गांव में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता। क्या वहां मास्टर सप्लाई देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष: वैसे इन प्र न से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ?

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, पूरी स्टेट में, जहां बडी बडी स्कीमें हैं जिन स्कीमों में कई गांव भामिल हैं, जो गांव टेल पर हैं जहां बडी बडी लाइनें टूटती हैं, इन पर उन स्कीमों को इम्पूव करने की जो नीति है, उसके तहत गौर कर लिया जाएगा, अगर फिर भी पीने का पानी की समस्या हल नहीं होगी तो कोई सैपरेट तरीका खोजा जा सकता है।

Allotment of Land to the Harijans

***453. Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes be pleased to state-the names of persons belonging to Scheduled Castes who have been allotted 2 acres of Agricultural Land by the Haryana Harijan Kalyan Nigam during the period from June 1992 to date together with the total expenditure incurred in this regard ?

अनूसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (चौधरी जोगिन्द्र सिंह): हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा कोई

भूमि अलाट नहीं की जाती बल्कि कृषि भूमि तथा भैंसों की खरीदने की स्कीम के अधीन निगम द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता का विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

कृषि भूमि तथा भैंस खरीद योजना के अन्तर्गत हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने संबंधी सूची (जून 1992 से जनवरी 1993 तक)

क्र० संख्या	लाभभोगी का नाम व पता	रकबा	राशि
	सर्वश्री		
	जिला अम्बाला	कनाल-मरला	
1	लक्ष्मण सिंह पुत्र साधू राम, कुराली	16-00	1.21
2	सरदारा पुत्र टिडडू राम, कुराली	15-19	1.21
3	सोण पाल पुत्र आत्मा राम, कुराली	15-19	1.21
4	रामकृष्ण पुत्र मक्तुल्ला, कुराली	15-16	1.21

5	भयोराम पुत्र पुन्नु राम, कुराली	15-07	1.21
6	पृथ्वी सिंह पुत्र आत्मा राम, कुराली	14-14	1.21
7	मुख्तियारा पुत्र टिडडू राम, कुराली	15-07	1.21
8	सुन्दर राम पुत्र न्याला, कुराली	16-00	1.21
9	फकीर चन्द पुत्र जस्सा राम, कुराली	16-00	1.21
10	फकीर चन्द पुत्र जस्सा राम, कुराली	15-2	1.20
11	मलकीत सिंह पुत्र रिक्खी राम, कुराली	16-0	1.21
12	दासा राम पुत्र चित्रा राम, कुराली	16-0	1.21
13	राम सिंह पुत्र साधू राम, कुराली	15-4	1.20
14	राम रत्न पुत्र साधू राम, कुराली	16-0	1.21
15	अमरजीत सिंह पुत्र आत्मा राम, कुराली	15-7	1.20
16	माम राज पुत्र आत्मा राम, कुराली	15-7	1.20
17	सन्त राम पुत्र साधू राम, कुराली	16-0	1.21
18	राजबीर पुत्र करतारा, कुराली	16-0	1.21
19	गुरदास पुत्र टिडडू राम, कुराली	15-16	1.21

20	अमरनाथ पुत्र अन्तु राम, कुराली	16-0	1.21
21	किान सिंह पुत्र इन्द्र राम, अबुपुर कुराली	16-0	1.21
22	बाबू राम पुत्र इन्द्र राम, अबुपुर कुराली	16-0	1.21
23	परमाल सिंह पुत्र इन्द्र राम, अबुपुर कुराली	16-0	1.21
24	यादराम पुत्र केहर सिंह, रायपुर रानी	16-0	1.21
25	सोहन लाल पुत्र केहर सिंह, रायपुर रानी	16-0	1.21
26	प्रकाश चन्द्र पुत्र केहर सिंह, रायपुर रानी	16-0	1.21
27	कमीरी लाल पुत्र केहर सिंह, रायपुर रानी	16-0	1.21
28	राज कुमार पुत्र कुन्दन राम, रायपुर रानी	16-0	1.21
29	जयपाल पुत्र जोती राम, रायपुर रानी	16-0	1.21
30	दलीप कुमार पुत्र धर्म चन्द, रायपुर रानी	16-0	1.21
31	राम चन्द्र पुत्र बिना राम, रायपुर रानी	16-0	1.21
32	सतपाल पुत्र सदा राम, रायपुर रानी	16-0	1.21

33	सुरे ा पाल पुत्र इन्द्र राम, रायपुर रानी	16-0	1.21
34	लक्ष्मी चन्द पुत्र पिस्सु राम, रायपुर रानी	15-2	1.21
35	प्रका ा चन्द्र पुत्र रूलिया राम, रायपुर रानी	16-0	1.21
36	सरबन कुमार पुत्र साधू राम, रायपुर रानी	16-0	1.21
37	मोहन लाल पुत्र ई वर दास, रायपुर रानी	15-1	1.21
38	जुगेन्द्र राम पुत्र गुरदास राम, धमाला	16-2	1.21
39	गारू राम पुत्र बेली राम, पंचकूला	16-0	1.21
40	गुलाब सिंह पुत्र जीत राम, पिलखनी	16-0	1.21
41	माम राज पुत्र भांकर, नाहोनी	16-0	1.21
42	भांकर राम पुत्र भूला राम, नाहोनी	16-0	1.21
	जिला यमनानगर		
43	रघबीर सिंह पुत्र नानक राम, बाल्टी	16-0	1.20
44	रामलाल पुत्र नानक राम, बाल्टी	16-0	1.21
45	मोहन लाल पुत्र नानक राम,	16-0	1.21

	बिलासपुर		
46	अन्तु राम पुत्र नन्दू राम, पांडो	16-0	1.21
47	हरबंस लाल पुत्र तेजा राम, बसातियावाला	14-9	1.21
48	लक्ष्मण सिंह पुत्र तेजा राम, बसातियावाला	14-18	1.21
	जिला सोनीपत		
49	जय नारायण पुत्र चूडिया राम, गामरी	16-0	1.20
50	देवेन्द्र पुत्र सूरजा, नागल कलां	16-0	1.21
51	सुभाा पुत्र सुरजा, नागल कलां	16-0	1.21
52	सुरे ा कुमार पुत्र अधिया, नागल कलां	16-0	1.21
53	रामचन्द्र पुत्र भगवाना, नत्थुपुर	16-0	1.21
54	बजेन्द्र सिंह पुत्र भुला राम, सोनीपत	16-0	1.21
55	बीरभान पुत्र पृथ्वी सिंह, लिबासपुर	16-0	1.21
56	महाबीर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, लिबासपुर	16-0	1.21

57	कंवलजीत पुत्र महाबीर सिंह, लिबासपुर	16-0	1.21
58	मुके ा कुमार पुत्र कर्ण सिंह, गढ़ी ब्रह्मणा	16-0	1.21
59	प्रका ा पुत्र मूला, झूण्डपुर	16-0	1.21
60	सुरे ा कुमार पुत्र कर्ण सिंह, गढ़ी ब्रह्मणा	16-0	1.21
61	ओम प्रका ा पुत्र कर्म सिंह, गढ़ी ब्रह्मणा	16-0	1.21
62	ओम प्रका ा पुत्र तारा चन्द, जोहार नगर	16-0	1.21
63	तारा चन्द पुत्र जुम्मा राम, भैरोबाकीपुर	16-0	1.21
64	रमे ा पुत्र जुम्मा राम, बाकीपुर	16-0	1.21
65	टिक्का राम पुत्र जुम्मा राम, बाकीपुर	16-0	1.21
66	लख्मी चन्द पुत्र हरि सिंह, ढोढवा	16-0	1.21
	जिला सिरसा		
67	मनीराम पुत्र खु ि राम, कुत्ताबढ़	16-0	1.21
68	साहब राम पुत्र रत्ना राम, ढोल	16-0	1.21

	पोलिया		
69	भूला राम पुत्र हीरा राम, ढोल पोलिया	16-0	1.21
70	बग्गू राम पुत्र लब्बू राम, कुत्ताबढ़	16-0	1.21
71	भगत राम पुत्र सुन्दर राम, मंगोला	16-0	1.19
72	मिश्रो देवी पत्नी बृज मोहन, सिरसा	16-0	1.21
73	जोगेन्द्र पुत्र महंगा राम, मंगोला	16-0	1.21
74	गंगा बिान पुत्र खैली राम, मंगोला	16-0	1.21
75	राजा राम पुत्र खैली राम, मंगोला	16-0	1.21
76	मदन लाल पुत्र कांसी राम, हजीरा	16-0	1.21
77	लक्ष्मी बाई पत्नी मनी राम, मंगोला	16-0	1.21
78	प्यारे लाल पुत्र सरजी राम, सिरसा	16-0	1.21
79	सोहन लाल पुत्र ख्याली राम, चौटाला	16-0	1.21
80	सम्पत लाल पुत्र राज राम, चौटाला	16-0	1.21
81	मनी राम पुत्र माधो राम, अली	16-0	1.21

	मोहम्मद		
82	सोहन पुत्र मनी राम, बिज्जु वाली	16-0	1.21
83	मूर्ति देवी पत्नी बृज मोहन, बिज्जु वाली	16-0	1.21
	जिला हिसार		
84	रूलदू राम पुत्र भयोलाल, अलावलवास	16-0	1.21
85	सोहन लाल पुत्र सुन्दर सिंह, अलावलवास	16-0	1.21
86	अमी लाल पुत्र मामन राम, अलावलवास	16-0	1.21
87	फकीर चन्द पुत्र आ गा राम, चन्द्र खुर्द	16-0	1.21
88	ऋशि पाल पुत्र बुलन राम, चन्द्र खुर्द	16-0	1.21
89	क मीरी लाल पुत्र गोपाल दास, इन्दाचोई	16-0	1.21
90	राजा राम पुत्र मुख्तयार सिंह, चन्द्र खुर्द	16-0	1.21

91	माला राम पुत्र फुला राम, चन्द्र खुर्द	16-0	1.21
92	जेलदार पुत्र छाला राम, हिरावां कलां	16-0	1.21
93	तेज राम पुत्र छैला राम, हिरावां कलां	16-0	1.21
94	छाला राम पुत्र बलदेव, हिरावां कलां	16-0	1.21
95	कपूर चन्द पुत्र चूडिया राम, हिरावां कलां	16-14	1.21
96	मनफूल पुत्र भयो लाल, अलावलवास	16-0	1.22
97	राम सिंह पुत्र सिरी चन्द, भोडिया खेडी	16-0	1.21
98	भोर सिंह पुत्र प्रभाती, मंगोली	16-0	1.21
99	सम्पत राम पुत्र अध राम, बिग्गा	16-0	1.21
100	हंस राज पुत्र सम्पत, बिग्गा	16-0	1.21
101	छबील दास पुत्र सम्पत राम, बिग्गा	16-0	1.21
	जिला कैथल		
102	बलबीर सिंह पुत्र जुम्मा राम	16-0	1.20
103	रामपाल पुत्र जुम्मा राम	16-0	1.21

104	बलदेव पुत्र कृपा राम, कोयल	16-0	1.21
105	धर्म पाल पुत्र कृपा राम, कोयल	16-0	1.21
106	रमे ा पुत्र हरि राम, कोयल	16-0	1.21
107	पाल राम पुत्र राम चन्द्र, कोयल	16-0	1.21
108	महेन्द्र सिंह पुत्र नारंग, राहेडा	16-0	1.21
109	जगदी ा पुत्र दया राम, मटौसी	16-0	1.21
110	वीर सिंह पुत्र गिरधारी, कोटडा	16-0	1.21
111	नत्था राम पुत्र आत्मा राम, डांड	12-0	1.21
112	मनी राम पुत्र सिरी राम, कनौडा	12-0	1.21
	जिला रोहतक		
113	जय प्रका ा पुत्र गुलजारी, कनौंदा	16-0	1.21
114	सत्यवीर पुत्र फुल सिंह, कनौंदा	14-16	1.21
	जिला भिवानी		
115	आनन्द पुत्र माम चन्द, खेड़ा	16-0	1.21
116	ब ेसर पुत्र भयोबक ा, खेड़ा	16-0	1.21

117	सुरिन्द्र पुत्र ब ेसर, खेड़ा	16-0	1.21
118	माम चन्द पुत्र भयोबक 1, खेड़ा	16-0	1.21
119	राम सरूप पुत्र चितू राम, चांग	16-0	1.21
120	हवा सिंह पुत्र राम जी लाल, पहलादगढ़	16-0	1.21
121	कि ान लाल पुत्र रामजी लाल, पहलादगढ़	16-0	1.21
122	गोकल पुत्र रूप चन्द, पहलादगढ़	16-0	1.20
123	प्रताप पुत्र उदय सिंह, पहलादगढ़	14-0	1.21
124	ई वर सिंह पुत्र राम जी लाल, पहलादगढ़	14-6	1.21
125	उदय सिंह पुत्र हीरा लाल, पहलादगढ़	14-8	1.20
126	कन्हैया पुत्र मोलड, दाहपुर	16-0	1.21
127	चन्द्र पुत्र मोलड, दाहपुर	16-0	1.21
128	रोहतास पुत्र रिछपाल, भिवानी	16-0	1.21
129	सतबीर पुत्र राम कुमार, कुड़ाल	16-0	1.21
130	सरबन पुत्र मोलड धिराना	16-0	1.21

131	जयपाल पुत्र राम कुमार, कुड़ाल	16-0	1.21
132	धर्मपाल पुत्र राम कुमार, कुड़ाल	16-0	1.21
133	सुखन पुत्र मन् गा, कुड़ाल	16-0	1.21
134	रतन पुत्र मंसा, कुड़ाल	16-0	1.21
135	जोग राम पुत्र इन्द्राज, झोझू कलां	16-0	1.21
136	प्रभु दयाल पुत्र गुगन राम, झोझू कलां	16-0	1.21
137	माई राम पुत्र भयोबक गा, केरू	16-0	1.21
138	दलबीर सिंह पुत्र राम कुमार, कुड़ाल	16-0	1.20
	जिला गुड़गावां		
139	तारा चन्द पुत्र रण सिंह	17-0	1.21
	जिला जीन्द		
140	लक्ष्मण पुत्र रामदीया, डाठरथ	12-0	1.21
141	रती राम पुत्र सुधन, झमौला	12-0	1.21
142	दुलिया राम पुत्र मौजी राम, डाठरथ	12-0	1.21
143	भयो सरूप पुत्र सुधन, झमौला	12-0	1.21

144	राजे वरी पत्नी मौजी, डाठरथ	12-0	1.21
145	ताराचन्द पुत्र सुधन, झमौला	12-0	1.21
146	रामे वर पुत्र मौजी राम, डाठरथ	12-0	1.21
147	तकदीर पुत्र सुधन, झामौला	12-0	1.21
148	राजफूल पुत्र मौजी राम, डाठरथ	12-0	1.21
149	बजीर सिंह पुत्र धरा सिंह, धिमाना	12-0	1.21
150	सूबे सिंह पुत्र माई लाल, अंचरा कलां	15-0	1.20
	जिला पानीपत		
151	लखी राम पुत्र फकीदर, जाटल	16-0	1.21
152	सुमेर सिंह पुत्र तुलसी राम, जाटल	16-0	1.21
	जिला नारनौल		
153	भाग सिंह पुत्र चुन्नी लाल, डोहर कलां	16-0	1.21
154	महेन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, डोहर कलां	16-0	1.21
155	मंगतु राम पुत्र पूर्ण मल, डोहर कलां	16-0	1.21

	कुल जोड़		186. 44
--	----------	--	------------

श्री धीर पाल: अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री जी ने टोटल 155 रकबाँ के विवरण पे 1 किए हैं जिनमें से अम्बाला के 42 और रोहतक के दो हैं। यह जो भूमि और भैंस खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, उसका क्राइटेरिया क्या है ?

चौधरी जोगिन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अखबारों के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि जिन्होंने लोन लेना हो, वे एप्लाई करें। वैसे जिन्होंने पहले ब्याना दिया होता है, उन्हीं को देते हैं और जितना लोन एप्लाई किया होता है उसी के हिसाब से देते हैं।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि इस अलाटमेंट कमेटी का कांस्टीच्यू 1न क्या है, इसके मैम्बर कौन हैं और जो ये अलोटमेंट कमेटी बनाई है, उसके समय क्या सारे मैम्बरान हाजिर थे ? तीसरा मेरा सवाल यह है कि क्या एक फैमिली में एक ही लोन देने की स्कीम है, लेकिन यहां एक फैमिली के तीन पुत्र टिडडू राम, चार पुत्र साधू राम, चार पुत्र आत्मा राम एवं तीन पुत्र इन्द्र राम, को लोन दिया गया है। ये सिर्फ कुराली और अबपुर कुराली के हैं। इस तरह से चार चार, पांच पांच लाख रूपया यदि एक फैमिली को दिया जाए, इसका क्या क्राइटेरिया है ? जिस अफसर ने इनको लोन दिया,

क्या ये उस आदमी के रिस्तेदार थे या किसी और तरह से इनके ऊपर मेहरबानी हुई, यह बताया जाए ?

चौधरी जोगिन्द्र सिंह: यह जो कमेटी है, इसमें एक वित्त विभाग का प्रतिनिधि, एक राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, एक अनुसूचित जाति कल्याण निगम का प्रतिनिधि, एक हमारा एम0डी0 और सो ाल वैलफेयर विभाग का डायरेक्टर होता है। स्पीकर साहब, जो एक ही फैमिली के चार चार, तीन तीन और पांच पांच आदमियों को लोन दिया गया, यह बात हमारे नोटिस में आई थी और हमने डी0सी0 को इंकवायरी के लिए लिख दिया है। हमारी स्कीम है कि एक घर के एक आदमी को लोन दिया जाए, एक आदमी को ही मदद दी जाए।

श्री धीर पाल: क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक से केवल एक ही व्यक्ति ने एप्लाइ किया था या रोहतक के लोगों को इस निगम ने इस योग्य नहीं समझा कि उनको इस स्कीम के तहत लोन दिया जाए या राजनैतिक आधार पर रोहतक के हरिजनों के साथ कोई भेदभाव बरता गया है ?

चौधरी जोगिन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, रोहतक से पन्द्रह ऐम्प्लीके ांज आई थीं, इनमें से दो मंजूर की गई हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब किसी ने एक ि ाकायत हमारे नोटिस में लाई तो हमने फौरन ही डी0सी0 को लिखा कि इंकवायरी करके हमें फौरन इंफरमें ान दें।

साथी लहरी सिंह: स्पीकर साहब, जिन लोगों को ऐप्लीके ांज आई और उनमें से कुछ लोगों की ऐप्लीके ांज मंजूर हो गई। उन लोगों ने जमीन के लिए बयाना भी दे दिया, बयाना देने के बाद जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए कुछ टाईम फिक्स होता है कि इतने समय के अन्दर रजिस्ट्री होनी चाहिए। वह टाईम खत्म होने जा रहा है लेकिन उनको लोन नहीं मिला है। उन्होंने जो बयाना दिया है, वह भी मरने जा रहा है, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों को लोन कब तक दे दिया जाएगा ताकि वे समय पर रजिस्ट्री करा सकें ?

चौधरी जोगिन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, एक ही फैमिली के दस दस आदमियों को हम लोन नहीं देंगे। हमारे पास 84 ऐप्लीके ांज आई थी और 68 ऐप्लीके ांज ठीक पाई गई। जो 68 ठीक पाई गई, उनको बहुत जल्दी ही लोन दे दिया जायेगा।

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, लिखित उत्तर में जो लोन देने के मद लिखे हैं, वे वास्तव में जमीन और भैंस खरीदने के मद हैं लेकिन इन्होंने भूमि के लिए लोन दिखाया है, भैंस के लिए कोई लोन नहीं दिखाया गया। क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि भैंस खरीदने के लिए क्या कोई ऐप्लीके ांज नहीं आई ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि इस लिस्ट में जिला कुरुक्षेत्र की कोई ऐप्लीके ांज नहीं है। लिस्ट में केवल बारह जिलों का जिक्र है, बाकी जिलों का कोई जिक्र नहीं है। क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि बाकी जिलों से क्या कोई ऐप्लीके ांज

नहीं आई, अगर आई है तो उनको मन्जूर न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष: आपने स्पॉन्सर नहीं करवाई होगी।

चौधरी जोगिन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, करनाल से एक ही ऐप्लीकेशन आई थी और वह मन्जूर कर दी है। स्पीकर साहब, हम एक लाख रूपया जमीन के लिए और 27 हजार रूपया भैंस के लिए देते हैं। इस तरह से एक लाख 27 हजार रूपया एक साथ देते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 में जमीन खरीदने और भैंस खरीदने के लिए अलग अलग कितनी ऐप्लीकेशन निगम के पास आईं। अगर भैंस का कोई ब्यौरा नहीं है तो वैसे ही बता दें, इनके पास यह इतलाह तो होगी कि केवल जमीन व भैंस खरीदने के लिए इतनी ऐप्लीकेशन आई हैं, और उसके लिये इतनी अमाउंट की मांग की गई थी ? इसके साथ साथ क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इन्होंने इस साल का टारगैट क्या रखा था और वास्तव में भैंसे व जमीन खरीदी भी गई है या नहीं, या लोन ही दिया गया है ? इस बारे में जरा क्लीयर कर दें।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन पर रखे गये कागजों को पूरी तरह से भायद पढने की कोशिश ही नहीं की है। अगर वे ध्यान से पढते

तो सब कुछ उनको पता चल जाता। (गोर) अध्यक्ष महोदय, दो एकड़ जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाता है और दो भैंसे खरीदने के लिए 20 हजार रुपये की राशि दी जाती है ताकि वे भैंस भी खरीद ले और जमीन भी खरीद लें, दोनों काम हो जायें। भैंस को चराने के लिए उस जमीन में चारा बोए और हमने 7 हजार रुपये चारे के लिये रखे हैं और पांच हजार रुपया सबसिडी है। 6 परसेंट सूद पर देते हैं। इस तरह से 1 लाख 27 हजार रुपये की राशि में से 6 हजार तो उसका खुद का भोयर है, उसको निकाल कर 1 लाख 21 हजार रुपये बनते हैं। (गोर एवं व्यवधान) सम्पत सिंह जी, आपने यह पूछा था कि भैंस और जमीन खरीदने के लिए कितना कितना रुपया दिया, उसी का जवाब मैंने दिया है। (गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: जब टापिक ही यह है कि जमीन और भैंस के लिए कितना लोन दिया गया है। जमीन के बारे में तो उत्तर है लेकिन भैंस के विषय में कोई उत्तर नहीं है। स्पीकर सर, आपके पास जवाब है, उसमें लिखा हुआ है कनाल— मरला, लेकिन कहीं भी 'भैंस' का खाना नहीं है। (गोर)

चौधरी भजन लाल: आप हैडिंग को देखने का कश्ट करें। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैंने फिर दोबारा यह भी पूछा था कि इनका टारगैट कितना कितना था, इसका न मंत्री जी

ने और न ही मुख्य मंत्री जी ने कोई जवाब दिया है। (गोर एवं व्यवधान) ये अधूरी सूचना इस सदन में दे रहे हैं। कहते हैं कि हैडिंग देखें। हैडिंग का क्या मतलब है, हमें तो पूरी और सही सूचना चाहिए ?

चौधरी जोगिन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, 155 केसिज पहले थे उसके बाद 82 फिर हुए। टोटल 237 केसिज हैं। इनमें से तीन बाकी हैं, इंकवायरी होने के बाद वे भी हो जायेंगे।

चौधरी फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जमीन की खरीद का है, इसमें भैंस का सवाल नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अम्बाला जिला में 42 केसिज हुए, इनमें से 23 केसिज एक गांव कुराली के हैं और 14 केसिज रायपुर रानी के हैं। बाकी सारे जिले में केवल पांच केसिज हुए हैं। इस तरह दो गांवों में ही सारे केसिज सैंकान हुए हैं, क्या इसमें कोई गडबड का अन्देगा तो नहीं है ?

चौधरी जोगिन्द्र सिंह: इस बारे में हमारे पास रिपोर्ट भी आई है और हमें लगा कि इसमें गडबड हो सकती है। इसलिए हमने इंकवायरी के लिए लिखा है। इनमें एक ही फैमिली के तीन तीन या चार चार केसिज हैं जबकि हमारी स्कीम है कि एक फैमिली के एक आदमी को लाभ होगा। इसीलिए हमने इंकवायरी के लिए लिखा है।

श्री पीर चन्द: स्पीकर साहब, हमारे पास ऐसी रिक्वायत आई है कि 10-12 आदमियों ने इस जमीन के लिए 10-20 हजार रूपए के हिसाब से सिक्क्योरिटी दे दी लेकिन उनको जमीन नहीं मिली। क्या सरकार उनका पैसा वापिस करवाएगी ?

चौधरी जोगिन्द्र सिंह: वे लोग अपने आप भर कर आए हैं, हमारे कहने से कोई ब्याना नहीं देता। कुछ आदमी अब गलत काम करते हैं, तो ऐसा नुकसान उनको उठाना ही पड़ेगा।

श्री धर्म पाल सिंह: स्पीकर साहब, भिवानी जिले के अन्दर 24 कॅसिज में लोन दिया गया। इनमें से 6 कॅसिज पहलादगढ़ गांव के हैं और बाकी 18 दूसरी जगहों के हैं। मेरे हल्के दादरी में बहुत से लोगों ने लोन के लिए एप्लाइ किया है लेकिन एक आदमी को भी लोन नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

चौधरी जोगिन्द्र सिंह: हमारे डायरैक्टर ने एम0डी0 को लिखा था कि यह डेट पोस्टपोन कर दो लेकिन उस पर अभी कार्यवाही नहीं हुई। हम इसकी इंकवायरी करवाएंगे कि दादरी के लोगों को क्यों लोन नहीं दिया गया।

Demands of Haryana Government Employees

***529. Sh. Ram Kuamr Katwal:** Will the Chief Minister be pleased to state-whether the members of Haryana Coordination Committee Chandigarh/Panchkula met the Chief Minister during the month of June, 1992 in regard to the

demands of Haryana Government employees; if so, the details thereof togetherwith the action taken thereon ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): जी हां। बैठक का विवरण तथा उस पर की गई कार्यवाही क्रम A: अनुबंध "क" और "ख" पर है।

अनुबन्ध "क"

समन्वय समिति के सदस्यों से बातचीत के बाद निम्नलिखित घोशणाएं की गई थीं :-

1. कि कर्मचारियों को अब 45/- रूपए प्रतिमास निश्चित चिकित्सा भत्ते की बजाए प्रति वर्ष 1200/- रूपए की सीमा तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेने की सुविधा की आपान होगी।

2. कि श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों को वर्तमान में उनके वेतनमान की दसवीं तथा बीसवीं स्टेज पर वेतन वृद्धि की बजाए 8 और 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वेतन वृद्धि दी जायेगी।

3. कि 1985 और 1991 के आंदोलनों में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के केस वापिस ले लिए जायेंगे।

4. कि राज्य सरकार के अधिकारियों की 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें श्रेणी तीन तथा चार

कर्मचारी संघ के तीन प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे जो उन द्वारा की गई मांग, कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन मान पंजाब पैट्रन पर संशोधित किए जाएं, पर होने वाली वित्तीय, प्रशासकीय एवं अन्य विविधाओं की जांच करेगी। उक्त कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को 31.12.1992 तक देगी।

5. कि 1983 में अमले पर लगाई गई 10 प्रतिशत कटौती की समीक्षा की जायेगी और उसे प्रासंगिक बनाया जायेगा।

6. कि राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले बोर्डों एवं निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों को अदायी भविष्य निधि की बजाए पेंशन लेने की आपत्ति दी जायेगी।

7. कि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में टाईप टैस्ट पास करने की भांति वापिस ली जायेगी। अब कर्मचारियों को पहली वेतन वृद्धि हिन्दी टाईप टैस्ट पास करने पर तथा दूसरी वेतन वृद्धि अंग्रेजी टैस्ट पास करने पर दी जायेगी।

8. कि 31.12.92 को दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी श्रेणी तीन तथा चार के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित कर दिया जायेगा। इस प्रकार 31.12.92 को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी दिहाड़ी दार कर्मचारियों की सेवाएं भी नियमित कर दी जायेंगी।

9. कि वर्क चार्जड कर्मचारियों से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन लम्बित हैं इसलिए उनके बारे

उच्चतम न्यायालय के निर्णय हो जाने के बाद विचार किया जायेगा।

अनुबन्ध "ख"

दिनांक 12.6.1992 को मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई घोशणाओं को कार्यान्वित करने बारे की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है :-

1. कि कर्मचारियों, पैं ान/पारिवारिक पैं ान पाने वालों को 45/- रूपये प्रतिमास निचि चित चिकित्सा भत्ते के बदले आरुटडोर इलाज पर होने वाले खर्च की 1200/- रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रतिपूर्ति लेने की सुविधा की आप ान दे दी गई है।

2. 1.7.1992 से लागू नई स्कीम में वर्ग ग, तथा घ कर्मचारियों को एक वर्ग विशेष में 8 और 18 वर्ष की नियमित तथा संतोशजनक सेवा पूरी करने के बाद अतिरिक्त वेतन वृद्धि (यां) मिलेंगी।

3. वर्ष 1985 तथा 1991 के दौरान औजार छोड/कलम छोड/सांकेतिक हडताल में भागिल सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अनु ासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सभी मामले वापिस लेने/रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

4. कि 30.6.1992 को चार सदस्यी एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी में कर्मचारियों के तीन सदस्यों को भी शामिल किया गया। उक्त कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 31.12.1992 तक देनी थी। चूंकि कमेटी अपनी रिपोर्ट निर्धारित तिथि तक नहीं दे सकी अतः इसकी अवधि 31.3.1993 तक बढ़ा दी गई है।

5. 1983 में अमले पर लगाई गई 10 प्रति शत कटौती संबंधी नीति की समीक्षा की गई है और उसे प्रासंगिक बना दिया गया है।

6. राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले बोर्डों/निगमों को अपने कर्मचारियों के लिये अंशदायी भविष्यनिधि की बजाए हरियाणा सरकार के पेंशन नियमों एवं समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार पेंशन स्कीम 1.6.1992 से लागू करने की अनुमति दे दी गई है।

7. यह निर्णय लिया गया है कि 24.5.1990 या उसके बाद नियुक्त किये गये लिपिकों को पहली वेतन वृद्धि उन द्वारा हिन्दी टाईप टैस्ट पास करने पर मिलेगी। दूसरी वेतन वृद्धि उन द्वारा अंग्रेजी टाईप टैस्ट पास करने पर दी जायेगी।

8. 31.12.1992 को दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी श्रेणी तीन तथा चार के तदर्थ कर्मचारियों तथा पांच वर्ष की सेवा वाले दिहाड़ीदार कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने संबंधी

मुआमला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और ज्यों ही इस बारे अपेक्षित प्रक्रिया/औपचारिकताएं पूरी हो जायेंगी आव यक अनुदे ा जारी कर दिये जायेंगे।

9. वर्क चार्जड कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने के संबंध में यह व्यक्त किया जाता है कि उससे संबंधित मामले माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है और उच्चतम न्यायालय के आदे ाों के अनुसार मामले में कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम कुमार कटवाल: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई गई है, उसमें किन किन अधिकारियों को लिया गया है, उनके नाम क्या हैं तथा जिन प्रतिनिधियों को कर्मचारियों में से लिया गया, उनके भी नाम बताएं तथा क्या अभी तक उन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत की गई ? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने योग्य फण्डज नहीं हैं, तो क्या सरकार उन छोटे कर्मचारियों, गरीब कर्मचारियों को जो भूखमरी के ि ाकार हैं, जिनमें क्लास थ्री और क्लास फौर के कर्मचारी शामिल हैं, फिलहाल उन्हें पंजाब के समान वेतनमान देने का प्रावधान करेगी ताकि ये कर्मचारी जो भूखमरी का मुकाबला कर रहे हैं, को कुछ राहत मिल सके ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी मुझे मिले थे और उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई थी। कर्मचारियों ने कहा कि एक कमेटी बना दी जाए। हमने 7 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। उन 7 सदस्यों में से चार सरकारी अधिकारी हैं और तीन कर्मचारियों के नुमायंदे हैं। उन्होंने बैठ कर आपस में बातचीत की और उसके बाद मैंने घोशणी की। उनसे जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरी तरह से लागू कर दिया है। आप सवाल के अनुबंध 'क' और 'ख' को पढ़ें, उनमें सारी तफसील है। अगर आप कहें तो मैं एक एक प्वायंट पढ़ देता हूँ लेकिन उसमें समय बहुत लग जाएगा।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों से जो वायदा किया था, वह पूरा कर दिया है लेकिन इन्होंने अनैक्चर 'बी' के सीरियल नम्बर 8 पर यह कहा है कि अभी मामला अन्डर ऐक्टिव कंसिड्रे टन है। इन्होंने इसमें कहा है कि 31.12.1992 को दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी श्रेणी तीन तथा चार के तदर्थ कर्मचारियों तथा पांच वर्ष की सेवा वाले दिहाडीदार कर्मचारियों की सेवायें नियमित कर दी जाएंगी और दूसरी तरफ चिट्ठी जा रही है कि इन कर्मचारियों को तुरन्त हटा दिया जाए। मुख्य मंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में भी यह बयान दिया था कि इन कर्मचारियों को रैगुलर कर दिया जाएगा जो 31.12.92 तक अपना समय पूरा कर लेंगे। इस जवाब में विरोधाभास है। इसी तरह से इन्होंने जो कमेटी बनाई थी, उसका भी टाईम

एक्सटैंड कर दिया है। यदि इस तरह से उस कमेटी का टाईम बढ़ाते रहे तो आखिर में उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आपने पहले ही कई जगहों पर ए0डी0एज0, डाक्टरज और इंजीनियरज की मीटिंग ली हैं ओर एच0सी0एस0 ओफिसरज और दूसरे ओफिसरज की मीटिंग भी ली हैं, उनके लिये जो जो अनाउन्समेंट की, क्या उन अनाउन्समेंटस को आपने आज तक इम्पलीमेंट किया है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौधरी सम्पत सिंह ने एक बात तो यह कही कि चिटठी जा रही है कि उन कर्मचारियों को तुरन्त हटा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह बात सारा दे । जानता है कि प्यारा सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो आदमी पहले एडहोक पर लगे हुए हैं, जिनकी सेवाएं पूरी हो चुकी हैं और जितनी रैगुलर पोस्टें हैं, पहले उनके रैगुलर किया जाए। इसलिये जितनी रैगुलर पोस्टें खाली हैं पहले उनको रैगुलर करेंगे।

10.00 बजे।

यह मामला कमेटी के सामने है लेकिन हम जल्दी फैसला इसलिये नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर जा भी नहीं सकते, लेकिन हमारी को । । यह होगी कि किसी आदमी को न निकालें। मैंने कहा कि जिन एडहोक कर्मचारियों की दो साल की, वर्क चार्ज कर्मचारियों की पांच साल

और दिहाडीदार कर्मचारियों की 5 साल की सेवा हो चुकी है, उनको नियमित करने की कोशिश करेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहते हुए, उससे बाहर नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 536

यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य साथी लहरी सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।

Subzi Mandi Jhajjar

***548. Sh. Daryao Singh Rajora:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-the time by which the Subzi Mandi Jhajjar is likely to start functioning ?

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh): Efforts will be made to make the New Subzi Mandi functional during 1993-94.

श्री दरियाव सिंह (रजोरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि वहाँ पर सब्जी मण्डी तो बनी हुई है और थडे आदि भी बने हुए हैं। इसके अलावा वहाँ से रिवाड़ी गुडगांव और दिल्ली के लिये रोडज भी निकले हुए हैं लेकिन सब्जी, सब्जी मण्डी में बिकने की बजाये बाहर बेची जा रही है। क्या मंत्री महोदय सब्जी मण्डी के अंदर सब्जी बेचे जाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस मण्डी की तीन बाउंडरी वालज तो बना दी गई हैं। एक बाउन्डरी वाल बनायी

जानी रहती है, वह इसलिये रहती है कि उस पर एन्क्रोचमेंट है और कोर्ट में केस है। ज्यों ही कोर्ट से फैसला हो जायेगा, इस बाउन्डरी वाल को भी अगले साल बना दिया जायेगा। मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि अगले साल इस मण्डी पर 11 लाख रूपये खर्च करके इसे पूरा कर देंगे।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मैं झज्जर में ही रहता हूं और झज्जर से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के लिये बड़ा गुडस ट्रैफिक चलता है। वहां पर सब्जी मण्डी न होने की वजह से लोग सड़क के किनारों पर बैठ कर सब्जी बेचते हैं, जिसकी वजह से 15-15 मिनट तक ट्रैफिक रुका रहता है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आवासन चाहूंगा कि क्या 1993-94 के अंदर यहां सब्जी मण्डी बना दी जाएगी क्योंकि इसकी बड़ी भारी जरूरत है। मैं दुबारा कहना चाहता हूं कि क्या यह एफर्ट्स की जायेगी कि 1993-94 में मण्डी मुकम्मल करवा देंगे ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह तो कलियर ही है कि हम इस साल यानि जो नया साल शुरू होने जा रहा है उसमें इस सब्जी मण्डी को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि फंड्स मिलाने लग जाएगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि दिल्ली के साथ लगते जो इलाके

हरियाणा के हैं, जैसे बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुडगांव, रोहतक और सोनीपत आदि के इलाके में बहुत अच्छी सब्जी होती है और इन इलाकों की आधी से ज्यादा सब्जी दिल्ली को सप्लाई होती है। हमारी सरकार इस बात के लिए बधाइ की पात्र है कि इन एरियाज में आधुनिक मण्डियां बनायी जा रही हैं स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर के अंदर जो डाईवर्सिफिके इन की स्कीम है, वह बहुत अच्छी है। गांवों के छोटे छोटे किसान सब्जियां लेकर बेचने के लिये आते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप प्र न पूछिये।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्र न पूछने जा रहा हूं, आप भी इस प्र न को एप्रि रिायेट करेंगे। इस सारे क्षेत्र में सब्जी मण्डी बनाने की बात है लेकिन सब्जी मण्डियों के साथ एक और कमी है। फरीदाबाद जिले में कोल्ड स्टोरेज की फ़ैसिलिटी नहीं है। बहुत ही ऐसी पैरिेबल आईटम्ज हैं जो यदि भाम तक न बिके तो अगले दिन खराब हो जाती है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से कोल्ड स्टोरेज की फ़ैसिलिटी हमारे हल्के में जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने के बारे में विचार करेंगे क्या मंत्री जी इस बारे में ऐ योर करेंगे ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर सर, जैसे राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने कहा है कि कोल्ड स्टोरेज सब्जी के लिये बहुत जरूरी है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से फारमर्ज को नुकसान होता है। हम इसको ऐगजामिन करवा लेते हैं और अगर यह बोर्ड के रूल्ज रगुले 1 न्ज में कवर होता होगा तो जरूर बना देंगे।

श्री के० एल० भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो रिसैन्टली आए हैं, उनके ऐरियाज में भी सब्जी मण्डियों का कुछ हिस्सा है ? हमारे भाहबाद में सब्जी मण्डी की बड़ी भारी प्रोबलम है, क्या मंत्री जी रिसैन्टली आए मैम्बरों को मण्डियों में कुछ हिस्सा देंगे ?
(व्यवधान)

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने यह तो मजाक में कहा है। इनका पूरा ही हक है, ज्यादा राईट है। जो रिसैन्टली आए हैं, उनके ऐरियाज में जो कमियां हैं, उनकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।

चौधरी फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस में सब्जी मण्डियों की चर्चा चल रही है। हमारा पंचकूला बहुत ही प्रैस्टीजियस और डिवेल्लिपिंग टाउन है। पंचकूला में आसपास के किसान अपनी सब्जियां बेचने लिए लाते हैं। पंचकूला में न तो कोई अनाज मण्डी है और न ही कोई सब्जी मण्डी है।

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर अनाज मंडी और सब्जी मण्डी कब तक बना देंगे।

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह वैजिटेबल मार्किटिंग का सवाल है, ग्रेन मार्किट का नहीं है। मैं हाउस में सारे मैम्बरज को बताना चाहता हूँ कि सब्जियों के बारे में हरियाणा सरकार का एक बहुत ही एम्बीयि एयस प्रोग्राम है। कुण्डली में हमने इनल लैवल की एक वैजिटेबल और फ्रूट मण्डी बनाने जा रहे हैं। जिसके बारे में बहुत कुछ निर्णय लिया जा चुका है और काम भी चला रहा है। इससे हिमाचल प्रदेश और पंजाब से दिल्ली में जो वैजिटेबल और फ्रूट जाते हैं, उनको वहां पर रोकेंगे। वहां पर प्रोसेसिंग और कौलड स्टोरेज का भी पूरा इन्तजाम होगा।

सरदार जसविन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछली सरकार के वक्त में, पिहोवा में सब्जी मण्डी बनाने की बात चली थी? क्या मंत्री जी बताएंगे कि सब्जी मण्डी बनाने का क्या क्राइटेरिया है, क्या पिहोवा उस क्राइटेरिया में आता है?

श्री हरपाल सिंह: पिहोवा में सब्जी मण्डी बनाने के लिये निर्णय लिया जा चुका है और साईट की तलाश कर रहे हैं, साईट मिलने पर काम शुरू हो जाएगा।

चौधरी फूलचन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मैंने पंचकूला में सब्जी मण्डी के बारे में प्र न पूछा था लेकिन मेरे प्र न का जवाब नहीं आया कि पंचकूला में मण्डी कब तक बनाएंगे ?

श्री हरपाल सिंह: मैंने इनको बताया था कि यह सवाल ग्रेन मार्किट का नहीं है सब्जी मण्डियों के बारे में है। ग्रेन मार्किट के साथ ही वहां पर सब्जी मण्डी भी भुरू कर देंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कुण्डली में जो सब्जी मण्डी बनाने जा रहे हैं, उसमें व्यापारियों को क्या क्या सहूलियतें दी जाएंगी ? इसके अलावा यह तो पता नहीं कि यह मण्डी कुण्डली में बने या न बने क्या इसको पानीपत में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां से पंजाब भी नजदीक है और हिमाचल भी नजदीक है ? क्या मंत्री जी सब्जी मण्डी को पानीपत में बनाने का विचार करेंगे ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मण्डी की एलोके ान करने में हमें कई फ़ैक्टर्ज देखने पडते हैं। यह भी देखना होता है कि जहां पर मण्डी सैक्सेसफुल होगी वहीं पर बनाने का विचार किया जायेगा वह चाहे पानीपत हो या सोनीपत हो, या कहीं और स्थान हो। जो भी जगह हरियाणा स्टेट के हित में सूटेबल में होगी, वहीं पर यह सब्जी मण्डी बनायी जाएगी।

Upgradation of Middle School of Village Rata-Khera

***545. Sh. Pir Chand:** Will the Minister for Education be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Middle School of Village Rata-Khera into High School; if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी): जी नहीं ।

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं जब भी सवाल पूछता हूँ तो कह दिया जात है "जी नहीं"। पता नहीं इनको मुझसे क्या नाराजगी है ? अध्यक्ष महोदय, रताखेड़ा गांव 16 या 17 हजार लोगों का है, जिसमें ज्यादा लोग बि नोई ही रहते हैं। वहां पर बिल्डिंग भी बनी हुई है। क्या मंत्री जी प्रोयारिटी बेसिज पर 1994 तक स्कूल बनाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती भान्ति देवी राठी: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जिस बिल्डिंग को ये पूरी बनी हुई कह रहे हैं, वह किस हालत में है, यह मैं इनको बता दूँ। वहां पर कक्षा कमरे 6 हैं, कार्यालय कक्षा एक है, एक स्टोर है, स्टाफ रूम भी नहीं है, साईंस रूम भी नहीं है और जमीन भी केवल 6 एकड ही है। इसके अलावा, वहां पर छात्र संख्या भी 250 ही है, जबकि 450 छात्र होने जरूरी हैं इस तरह से वहां पर अनेक कमियां हैं। मैंने इनसे वायदा किया था कि हम जब भी स्कूलों को अपग्रेड करेंगे तो इनको एक स्कूल जरूर अपग्रेड करेंगे, अब यह चाहे जाखल का स्कूल अपग्रेड करा लें, चाहे रता खेड़ा का अपग्रेड करा लें।

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, वहां पर बिल्डिंग बनी पडी है, वाटर वर्क्स भी बना हुआ है तथा जगह भी काफी है। ज्यादा बच्चे भी तभी पढने के लिये आयेंगे जब वह स्कूल दसवीं तक हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो 400 बच्चे तो क्या 800 बच्चे वहां पर आ सकते हैं, लेकिन पहले ये उसको आठवीं से दसवीं तक तो कर दें। बच्चों तो एक हजार भी हो जाएंगे। मैं वहां पर बिल्डिंग भी बनवा दूंगा, जमीन भी पूरी करवा दूंगा तो क्या ये उसको दसवीं तक करने का विचार करेंगी ?

श्रीमती भांति देवी राठी: स्पीकर साहब, अगर ये भारत पूरी कर देंगे तो इस पर विचार कर लिया जाएगा। (विध्न) हम समय से पहले कोई गारंटी नहीं दे सकते। अब तो यही कह सकते हैं कि विचार किया जा सकता है।

Bus Stand at Taoru

***538. Ch. Zakir Hussain:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Bus Stand at Taoru in District Gurgaon; and

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started ?

Minister of State for Transport (Sh. Balbir Pal Shah):

(a) Yes, Sir.

(b) Land is being inspected by the Siting Board. After approval of the site by the Govt., proceedings for acquisition of land will be started. Construction of Bus Stand will be taken up only after the land is acquired, and also depending upon the availability of funds with the Department.

चौधरी जाकिर हुसैन: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा, जानना भी चाहूंगा और मंत्री जी को पता भी है कि तावडू ब्लॉक हैड क्वार्टर है तथा सब तहसील भी है। अध्यक्ष महोदय, यह एक मैन कस्बा है जहां से पलवल वगैरह को जाने के लिये बहुत ट्रेफिक चलता रहता है। इसके अलावा, इस गांव में लगभग 6 या साढ़े 6 हजार वोट भी हैं। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि साईटिंग बोर्ड द्वारा भूमि का निरीक्षण किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस साईटिंग बोर्ड के कौन कौन मੈम्बर हैं ? अध्यक्ष महोदय, साईट सिलैक्टान में तो फण्डज की अवेलेबिलिटी का भी कोई सवाल नहीं है। इसलिये मन्त्री जी यह बतायें कि कब तक साईट का काम पूरा कर लिया जाएगा और कब तक इस बस अड्डे का काम प्रायोरिटी बेसिस पर शुरू कर दिया जाएगा ?

Sh. Balbir Pal Shah: Speaker Sir, there are two sites under consideration. When we will get the report form the Sitting Board, we will start the acquisition proceedings, after getting the permission from the Govt. So far as the

constitution of Siting Board is concerned, there are four members, namely-

- (i) XEN, P.W.D. (B&R);
- (ii) XEN, Public Health;
- (iii) XEN, Drainage; and
- (iv) One senior officer of the Transport Department.

श्री राम कुमार कटवाल: स्पीकर साहब, इनको कहो कि ये हिन्दी में जवाब दें ।

Sh. Balbir Pal Shah: Speaker Sir, I will certainly switch over to Hindi but I want to know from my friend whether he has given his question in Hindi ?

डा० राम प्रकाश: स्पीकर साहब, मन्त्री जी को राष्ट्रीय भाषा में उत्तर देना चाहिए क्योंकि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है । इसलिये आप इनको कहें कि ये हिन्दी में जवाब दें ।

श्रीमती भांति देवी राठी: स्पीकर साहब, हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है इसलिये हिन्दी में जवाब देना चाहिये ।

Sh. Balbir Pal Shah: Speaker Sir, I have all regard for Hindi but I want to know from you as to how many questions are given in Hindi and as to how many questions are given in English ? Because after the perusal of the questions list, it is apparent that all the questions are given in English then there is no harm in replying them in Hindi. Therefore, my submission is this that the house must be apprised of this

factual position about the ratio of questions being given in Hindi or English.

श्री पीर चन्द: स्पीकर साहब, आप मंत्री जी से कहें कि वे हिन्दी में बोलें।

Sh. Balbir Pal Shah: Speaker Sir, I have every regard for Hindi and I have always replied in Hindi but today I am replying in English because I want to know your good self and for the information of the House as to how many questions are given in Hindi ? I want to bring to your knowledge that the persons shedding crocodile tears for Hindi, they always give their questions in English and now they are coming forward for Hindi. So my submission is that the house must be apprised of the factual position as to how many questions are given in Hindi and how many are given in English.

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज रूल्ज आफ प्रोसिजर एंड कडंक्ट आफ बिजनैस के अनुसार मिनिस्टर दोनों भाशाओं में जवाब दे सकता है यदि वे इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। श्री बलबीर पाल भाह जी, आप अपना जवाब दें।

श्री बलबीर पाल भाह: अध्यक्ष महोदय, मैं तो सारी हिन्दी भाशा ही बोलूंगा लेकिन हाउस को भी पता होना चाहिए और राष्ट्रभाशा का इनको सम्मान भी करना चाहिए ताकि ये प्र न हिन्दी में करें।

श्री कृष्ण लाल: स्पीकर सर, मेरे हल्के में मतलोडा गांव है यह ब्लाक हैडक्वार्टर है और कस्बा है। मंत्री जी मतलोडा के बारे में भली प्रकार से जानते हैं, क्या सरकार का वहां नया बस स्टैंड बनाने का कोई विचार है ?

श्री बलबीर पाल भाह: अध्यक्ष महोदय, मतलोडा में बस स्टैंड बनाने के लिये पब्लिक की ओर से कोई डिमांड नहीं आई है, फिर भी हम इसको ऐगजामिन करा लेंगे। 24.6.86 को क्यू भौल्टर बनाने के लिये वहां के महाप्रबन्धक को इंस्ट्रक् ऑज दिए गए थे, लेकिन वह क्यू भौल्टर बना क्यों नहीं इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। पब्लिक की ऐसी कोई डिमांड भी नहीं है, इन्होंने पहली बार हाउस में यह सवाल रेज किया है। हम साईट की जांच करा लेंगे और अगर जरूरी हुआ तो बस स्टैंड बना देंगे, नहीं तो क्यू भौल्टर बना देंगे।

चौधरी जाकिर हुसैन: स्पीकर सर, मैं मन्त्री महोदय से एक बार फिर अर्ज करना चाहता हूं कि तावडू एक मैन कस्बा है, वहां बाई पास भी बन कर तैयार हो चुका है लेकिन वहां जान माल का नुकसान होने का बहुत खतरा रहता है। मन्त्री जी ने कहा है कि जब फंडज की उपलब्धता होगी तो बस स्टैंड भुरू कर देंगे। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि साईट कब तक सिलैक्ट कर लेंगे और उसके बाद कब तक बस स्टैंड का निर्माण भुरू हो जाएगा ?

श्री बलबीर पाल भाह: स्पीकर साहब, जहां तक निर्माण का सवाल है, वह तो फंडज की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। पहले साईट की इंस्पैक्शन हो जाएगी, उसके बाद हम भीघ्र ही कार्यवाही शुरू कर देंगे। मैं माननीय सदस्य को इतना ही आवासन देना चाहता हूँ कि इसकी ऐक्वीजीशन की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और यह कार्यवाही समाप्त होने के बाद यह निर्णय लिया जा सकता है कि काम कब शुरू किया जाए ?

चौधरी जाकिर हुसैन: स्पीकर साहब, फाईनैस क्राइसिस तो पूरे देहा में है, केवल इस प्रदेश की ही समस्या नहीं है। मंत्री जी साईट सिलेक्शन का कोई टाईम बाउन्ड समय बता दें क्योंकि साईट सिलेक्शन में कोई पैसे का खर्चा नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस साल जो बस स्टैंड इस प्रदेश में आप बनाएंगे उसमें इसको बना दिया जाएगा या अगले साल प्रायोरिटी पर बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलबीर पाल भाह: स्पीकर साहब, साईट की ऐक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स तो अगले साल शुरू हो जाएगी। भविष्य के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि उस समय फण्डज की क्या स्थिति होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए।

चौधरी सूरज भान काजल: स्पीकर साहब, मंत्री जी हर समय यही कहते हैं कि काम का शुरू करना फण्डज की

अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जुलाना के बस स्टैंड का निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा ?

श्री बलबीर पाल भाह: स्पीकर साहब, जुलाना बस स्टैंड का काम अभी शुरू नहीं हुआ है और भविष्य में भी हम इस काम को जल्दी शुरू नहीं कर पायेंगे (और एवं व्यवधान)। जहां तक विपक्ष के एम0एल0ए0 की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के भाई भी हमारे ही साथी हैं। रामबिलास जी के यहां बस स्टैंड अगले पांच छः महीने में तैयार हो जाएगा। हमारी सरकार पूरा काम करती है। हमारी सरकार का काम केवल फाउन्डे ान स्टोन रखना ही नहीं है।

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, हथीन तहसील हैडक्वार्टर है और सारे प्रदे ा में केवल हथीन ही एक ऐसा तहसील हैडक्वार्टर है जहां बस स्टैंड नहीं है। वहां पर 1986 में जमीन ऐक्वायर हो चुकी है, सात साल बीत जाने के बाद भी वहां पर बस स्टैण्ड नहीं बना है। वहां पर पांच करोड रूपये में जमीन ऐक्वायर हो चुकी है। क्या मंत्री महोदय, इस बस स्टैंड को जल्दी ही पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलबीर पाल भाह: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह जमीन 1991 में ऐक्वायर हुई है। इसका 9 लाख 87 हजार 585 रूपया कम्पन् ोसन दिया गया है यह बात ठीक है

कि इस बस स्टैंड के लिये पांच एकड़ जमीन ऐक्वायर की गई है। स्पीकर साहब, जितने भी बस स्टैंडस हैं, उनका बनाना फंडज की अवेलेबिलिटी पर डिपेन्ड करता है। जैसे जैसे फंडज अवेलेबल होंगे, हम बस स्टैंडज बनाएंगे। हम चाहते हैं कि जिन बस स्टैंडज पर निर्माण कार्य चल रहा है, उनका काम पहले पूरा कर लिया जाए। यह ठीक नहीं होगा कि काम का विस्तार करते जाएं और कोई काम पूरा न हो, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जमीन ऐक्वायर की हुई है, वहां काम भुरु किया जाए। ज्यों ज्यों फंडज अवेलेबल होते जाएंगे काम भुरु करते जाएंगे। मैं चौधरी अजमत खां को विवास दिलाता हूं कि वह इस बात से निश्चिन्त रहें, ज्यों ही हमारे पास फंडज अवेलेबल होंगे, प्रायरिटी पर काम भुरु हो जाएगा।

Ch. Phool Chand Mullana: Is it in the notice of the Hon'ble Minister that the Bus queue shelters are on the one side of the road which causes traffic hazard ? Is there any proposal under consideration of the Govt. to construct Bus queue shelters on both sides of the road, in order to avoid traffic hazard ?

श्री बलबीर पाल भाह: स्पीकर सर, मुख्यमंत्री महोदय के मार्ग प्रदर्शन से हमने स्टेट के अंदर बहुत ही क्रांतिकारी पग उठाये हैं और उठाने भी जा रहे हैं, जिससे रोडज की बेहतरी होगी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां रोडज के दोनों तरफ ट्रैफिक ज्यादा है, वहां बस क्यू भौल्टरज का निर्माण किया

जाए ताकि लोगों को सडक क्रॉस करते समय, इधर उधर जाते समय किसी प्रकार की असुविधाएं न हों। जब बसें दूसरी तरफ रुकती हैं तो सडक क्रॉस करने में, लोगों को दिक्कत होती है। इस दिक्कत को देखते हुए लोगों की भलाई के लिये हमने यह फैसला लिया है कि बस क्यू भौल्टरज ठीक आमने सामने न बना कर कुछ कुछ दूरी पर बनाए जाएं। भविष्य में ऐसा ही किया जाएगा।

चौधरी भरत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि कलायत में बस स्टैंड न होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत है, वहां की आबादी भी 20 हजार के लगभग है और 44 गांव उसके साथ लगते हैं, उस बस स्टैंड को कब तक बनाकर पूरा कर देंगे ? क्या सरकार के पास ऐसी कोई प्रोजेक्ट विचाराधीन है ? कब तक लोगों की इस दिक्कत को सरकार दूर कर देगी ?

श्री बलबीर पाल भाह: अध्यक्ष महोदय, कलायत के अंदर बस स्टैंड के लिये जमीन की एक्वीजी इन प्रोसीडिंग्स सैव इन 4 व 6 के तहत जारी है, जब उसका अवार्ड हो जाएगा उसके बाद ही यह निश्चित किया जाएगा कि वह बस स्टैंड कब तक भुरु होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो बस स्टैंड बनाए जाते हैं, वे इसलिये बनाये जाते हैं कि आने

जाने वाली बसें पब्लिक की सहूलियत के लिये वहां पर रूकें और जहां बसों ने जाना होता है, उन स्थानों का नाम बस के आगे लिखा भी होता है लेकिन फिर भी ड्राईवर्ज स्टैण्डज पर अन्दर बसों को न ले जाकर के अपनी मर्जी से बाहर से ही सीधी बसों को निकाल कर ले जाते हैं। बस स्टैण्डज पर जहां सरकार ने पब्लिक की सहूलियतों के लिये इतना पैसा लगाया है, इसके बावजूद भी अगर बसें यहां न खडी हों और बाहर से ही निकल जाएं तो सरकार का इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा ? मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जो ड्राईवर्ज बस स्टैण्डज के अन्दर बसों को न ले जाकर के सीधा ही निकाल लेते हैं, क्या ऐसे ड्राईवर्ज के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री बलबीर पाल भाह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस तरह की हिदायतें हमने आज भी विभाग को जारी की हुई हैं। बस स्टैण्डज पर हमने इंस्पैक्टर बैठा रखे हैं जो देख रेख करते हैं और उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो ड्राईवर बस स्टैण्डज के अन्दर बस न ले जाता हो, हम बाकायदा उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। पहले उसे वारनिंग देते हैं, अगर वह न माने और सीधा बस को बस स्टैण्ड के बाहर से ले जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का हमारे पास प्रावधान है, लेकिन मैं इतना अवय कहूंगा कि पहले से अब बहुत ज्यादा सुधार हुआ है ? अगर मेरे मित्र सही इंफरमेंट लेना चाहते हैं कि कितने ड्राईवर्ज के खिलाफ विभाग ने एक

लिया है, कितनों को सस्पैन्ड किया है तो ये कृपा करके अलग से लिख कर भेज दें हम कम्पलीट उत्तर भिजवा देंगे।

श्री बृज आनन्द: अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैन्ट में नये बनने वाले बस स्टैण्ड का फाऊंडे टान स्टोन मुख्य मंत्री महोदय अपने हाथों से रखकर आये हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उस बस स्टैण्ड का काम कब भुरू होगा और कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री बलबीर पाल भाह: अध्यक्ष महोदय, भुरू तो हम बहुत जल्दी करवाएंगे लेकिन उसके पूरा करने की डेट बतलाने में अभी हम असमर्थ हैं क्योंकि एक समस्या हमारे सामने है। उस बस स्टैण्ड के आगे की कुछ जमीन के कारण बस स्टैण्ड के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क पड रहा है। विभाग ने आगे वाली जगह एक्वायर की है लेकिन उसके बीच में एक मंडी पडती है। हम चाहते हैं कि मण्डी को कहीं पीछे एडजैस्ट किया जाए और बस स्टैण्ड के अन्दर जाने वाला और बाहर आने वाला रास्ता मेन रोड के ऊपर ही दिया जाए। जब यह समस्या हल हो जाएगी तो हम बस स्टैण्ड को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री धर्म पाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि दादरी का बस स्टैण्ड और वर्क ग्राउंड जो अधूरे पडे हैं, कब तक पूरे कर दिये जाएंगे ?

श्री बलबीर पाल भाहः स्पीकर साहब, दादरी बस स्टैण्ड की 6 फेस की बिल्डिंग बन रही है। पी0डब्ल्यू0डी0 वालों से हमें अ योरें ा मिली है कि वह बस स्टैण्ड जून 1993 तक पूरा हो जाएगा ?

श्री अध्यक्षः अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के

लिखित उत्तर

Opening of New Schools in Bhiwani District

***444. Sh. Ram Bhajan Aggarwal:** Will the Minister for Education be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade or to open new schools in Distt. Bhiwani during the year 1992-93; if so, the details there of ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी): जी नहीं। जिला भिवानी में वर्ष 1992-93 के दौरान निम्नलिखित स्कूल नये खोले गये तथा स्तरोन्नत किये गये हैं :-

नये खोले गये	प्राईमरी	से	मिडल	से	हाई	से
स्कूल का नाम	मिडल		हाई		सैकेन्डरी	
	स्तरोन्नत		स्तरोन्नत		स्तरोन्नत	

1	ढाणी नन्दा	1	संकरोर	अलखपुरा	1	धारेरू
2	खरक खुर्द	2	सिरला		2	मिसरी

Group wise Strength of Employees

***454. Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Local Govt. be pleased to state-

(a) the group wise number of employees working in Local Bodies Department as at present alongwith the number of employees belonging to scheduled castes amongst them; and

(b) whether there is any shortfall in the quota of reservation; if so, the time by which it is likely to be wiped off ?

स्थानीय भासन राज्य मन्त्री (चौधरी धर्मबीर गाबा):

(क) इस समय स्थानीय भासन विभाग हरियाणा में गुप "क" में 4 अधिकारी गुप "ख" में 7 अधिकारी गुप "ग" में 68 कर्मचारी तथा गुप "घ" में 24 कर्मचारी कार्यरत हैं। उपरोक्त में से गुप "ग" में 12 कर्मचारी तथा गुप "घ" में 10 कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

(ख) गुप "ग" में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित आं तुलिपिक के एक पद की कमी है, जिसे पूर्ण करने के लिये आव यक मांग पत्र पहले ही अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा को भेजा हुआ है।

Headmaster in High School at Dhatrath

***513. Sh. Ram Kumar Katwal:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that no Headmaster has been posted in the High School at Dhatrath in District Jind for the last one year; if so, the reason therefor; and

(b) the time by which the Headmaster is likely to be posted ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी):

(क) हां। मुख्याध्यापकों की कमी के कारण।

(ख) राजकीय उच्च विद्यालय, ढाटरथ में मुख्याध्यापक का पद यथा शीघ्र भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

Laying of Sewarage System in Radaur Town

***539. Sathi Lehri Singh:** Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to lay out the sewerage system in Radaur Town; and

(b) if so, the time which the aforesaid system is likely to be started ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री निर्मल सिंह):

(क) नहीं।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

Recruitment of Masters in the State

***549. Sh. Pir Chand:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the number of Masters recruited in the State during the period from 1st June 1991 to 1st February 1992; and

(b) the number of Masters out of those referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes and Backward Classes, separately ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी):

(क) पहली जून 1991 से पहली फरवरी 1992 तक की अवधि में राजकीय विद्यालयों के लिये 1335 मास्टर्ज की भर्ती की गई।

(ख) (1) अनुसूचित जाति— 161

(2) पिछड़ी जाति— 137

विभिन्न ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्यों को सूचना देना

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैंटन मोशन दिया था कि हमारे एक उद्योगपति के दामाद राहुल सेतिया को हमारे मंत्री नेहरा साहब ने मारने की साजिश

रची है। आज उनका बयान आया है कि उग्रवादियों का सहारा लिया गया। मंत्री जी ने अपने घर में यह साजि रची। (गोर)

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आप पहले ही बात बताने लग जाते हैं, यह प्रोपर नहीं है। आपने आज 9.20 पर वह मो न दिया है और वह अभी अंडर कंसिड्रे न है ? आप बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह एक बहुत सीरियस मैटर है। एक मंत्री ने उनको मारने की साजि रची है।

श्री अध्यक्ष: जब मैंने कह दिया है कि वह अंडर कंसिड्रे न है, तो आप बैठिए।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हम रिप्लाई चाहते हैं। एक मंत्री किसी को मारने की साजि रचे, इससे फालतू सीरियस बात कौन सी हो सकती है। क्या उसका फैसला आज होगा ?

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया कि वह अंडर कंसिड्रे न है। अब आप जो कुछ भी बोलेंगे, वह रिकार्ड पर नहीं आएगा। आपके मो न के बारे में आज ही फैसला हो सकता है कि वह एडमिट होगा या रिजैक्ट होगा। इसलिये आप बैठिए।

प्रो० राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने एक ध्यानाकर्षण सूचना दी है। आज के समाचार पत्रों में छपा है कि रोहतक में भाराबबन्दी के लिये भान्तिपूर्वक प्रद न महिलाएं और साधू तथा एक्स एम०पी० कर रहे थे। उन पर लाठीचार्ज हुआ है

और 40 लोग घायल हुए हैं। कल उनका प्रद नि कुरुक्षेत्र में हुआ था और आज रोहतक में हुआ है। यह लाठी गोली का जो सिलसिला चल रहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने वह मो न 10.10 बजे दिया है और अंडर कंसिड्रे न है।

प्रो० राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, आज तो सै न का लास्ट डे है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: राम बिलास जी आप बैठ जाएं, मैंने आपको बता दिया है कि वह अंडर कंसिड्रे न है। (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन् न मो न का नोटिस दिया था। फरीदाबाद में ए0आई0सी0सी0 के सै न के नाम पर (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी आपका मो न 9.50 पर आया है और वह अंडर कंसिड्रे न है

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने दो दिन पहले आपकी सेवा में एक काल अटैन् न मो न दिया था कि प्रदे ा में इस बार चने की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उसके बारे में आपने क्या फैसला दिया है ?

श्री अध्यक्ष: अमर सिंह जी, इसी तरह का एक और काल अटैन्स मोशन एडमिटिड है उसमें आपको सप्लीमेंटरी पूछने की इजाजत दे देंगे।

श्री धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब, दो दिन पहले हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों ने आपकी सेवा में एक काल अटैन्स मोशन दिया था कि (गोर)

श्री अध्यक्ष: इसके बारे में कल ही बता दिया था। ये भाब्द रिकार्ड न किये जाएं। (गोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, 4.3.83 को मैंने एक काल अटैन्स मोशन हरको बैंक के बारे में दिया था, उसका क्या बना। (गोर)

श्री अध्यक्ष: वह अंडर कंसिड्रेड मोशन है। अब आप बैठिए।
(व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। (गोर) (गोर)

श्री अध्यक्ष: मेरी परमिशन के बगैर जो भी बोला जाए, वह रिकार्ड न किया जाये। (गोर)

अभिकथित विधेयक का प्रश्न—

11 मार्च 1993 को श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 द्वारा विधान सभा की लौबी में श्री रामरत्न एम0एल0ए0 को धमकाने, भददी गालियां देने, जान से मारने तथा गुस्से में बदतमीजी के साथ पे 1 आने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of question of breach of privilege from Sh. Ram Rattan, M.L.A. against Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. for using abusive and theratening language to kill and intimidate Sh. Ram Rattan, M.L.A. in relation to the discharge of his parliamentary duties, in the presence of S/Sh. Mohd. Ilyas, Shakrulla Khan, Mohinder Partap Singh, Raj Kumar, Dharambir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Kehrawala, Chhatarpal Singh etc. in the lobby of the House at about 3.00 P.M. on the 11th March, 1993.

I give my consent to the raising of this question of privileg and hold that the matter proposed to be discussed is in order and now I ask Sh. Ram Rattan, M.L.A. to make a brief statement.

श्री राम रतन: श्रीमान जी,

मैं आपके ध्यान में एक अत्यन्त आव यक बात लाना चाहता हूं जिसके तथ्य इस प्रकार हैं :

सदन में बजट की डिमाण्डज पर जब चर्चा चल रही थी तो उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे चर्चा पर बोलने का समय दिया। चर्चा

में हिस्सा लेने के पचात जब मैं तीन बजे के लगभग विधान सभा की लाबी में आया (उस समय मैं लाबी में पानी पीने के लये गया था) और पानी पीने के पचात कुछ समय के लिये वहां पर बैठ गया। उस समय विधान सभा के कुछ सदस्यों में वहां पर बातचीत चल रही थी। इस मौके पर लाबी में सर्वश्री मोहम्मद इलियास, भाकरूल्ला खां, महेन्द्र प्रताप सिंह, राज कुमार, धर्मबीर गाबा, जोगिन्द्र सिंह, मनी राम केहरवाला, छतरपाल सिंह इत्यादि भी बैठे हुए थे। इतने में अचानक मैंने देखा कि श्री करण सिंह दलाल, माननीय सदस्य मेरी ओर चला आ रहा है और वह बहुत गुस्से में मेरी ओर लपका। मेरे साथ बडी बदतमीजी से पै आया और भद्दी गालियां दी और कहा, "तेरा बाप जूतियां गांठता था, तू चमार है, आज इतना बडा Public Mentarian बन गया है कि सदन में बडी बडी बातें बनाता है। यह जो कुछ तूने आज सदन में कहा, इसके नतीजे तुझे भुगतने पडेंगे। ओर मैं तुझे देख लूंगा ओर तुझे जान से मार दूंगा।" अध्यक्ष महोदय मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि विधान सभा में जो मेरे संवैधानिक कर्त्तव्य है, उनको मैं निभा रहा था और उन्हीं कर्त्तव्यों को निभाते हुए मुझे एलाट किए हुए सयम में मैंने सदन में चर्चा की थी और बहुत सारे अहम मसलों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। लगता है कि मेरे अपने कर्त्तव्यों को सुचारू रूप से निभाने की बात को लेकर इस विधायक ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और उपरोक्त मंत्रियों एवं विधायकों के सामने इन्टीमिडेट करने की कोशिश भी की, जैसा कि मैंने ऊपर वर्णन किया है। मुझे स्पष्ट हाथापाई

करने पर उतारू हो गया। वहां पर बैठे उपरोक्त मन्त्रीगण एवं विधायक इस बात को देख कर अवाक रह गए और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री करण सिंह दलाल के अभद्र व्यवहार एवं इस दौरान की बातों को सभी उपस्थित सदस्यों ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस घटना के बाद जब मैं सदन में वापिस आया तो उस समय मुख्य मंत्री जी डिमाण्डज की चर्चा पर अपना जवाब दे रहे थे और क्योंकि डिमाण्डज कट पर वोटिंग कभी भी हो सकती थी, इस पर पार्टी ने व्हिप भी जारी किया हुआ था, इसलिए मेरा उस समय विधान सभा में उपस्थित रहना अति आवश्यक था। वोटिंग के बाद सभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक नियत थी, जहां पर कई अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी वहां पर भी मेरा जाना आवश्यक था। यह मीटिंग लगभग 6.45 बजे पर समाप्त हुई उसके तुरन्त पचास मिनट में मैंने यह बात अपने पत्र द्वारा लिखित रूप में पत्रिका में प्रकाशित की है।

मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सदन के माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने जिस तरीके से मुझे धमकाया और मुझे भद्दी गालियां दीं और मुझे जान से मार डालने की धमकी दीं, के विरुद्ध प्रिविलेज मोशन तुरन्त लाया जाए। धन्यवाद सहित।

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Member may ask for leave to raise the question of breach of privilege.

श्री राम रतन: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सदन श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा दिनांक 11.3.1993 को विधान सभा की लोबी में मुझे धमकाने, भद्दी गालियां देने और जान से मारने संबंधित इस मामले की, वि. शेषाधिकार समिति को भेजने की अनुमति प्रदान करें।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, is there any objection to the leave be granted to this motion ? (Noise & Interruptions).

Sh. Bansi Lal: Yes, yes. हम को आब्जैक्टिव न है।

Prof. Sampat Singh: Speaker Sahab, we have objection for the leave to be granted to this motion. (Noise & Interruptions).

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं। (विघ्न एवं भाोर) यह तो अपोजी न को ब्रो बीट करने वाली बात है। (गोर) हमें सुन लीजिए, आप कम से कम हमारी बात सुनिए तो सही। (विघ्न एवं भाोर) अध्यक्ष महोदय, हम इस पर बोलना चाहते हैं। (गोर)

Mr. Speaker: I would request the Members, who are in favour of leave being granted to rise in their places.

(At this stage all the members of the Treasury Benches raise in their places)

Mr. Speaker: Since the number of such members is more than 15, the leave is granted.

Now Sh. Ram Rattan, M.L.A. may please move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

श्री राम रतन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

“कि श्री करण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 द्वारा मेरे बारे में गन्दी भाशा का प्रयोग किया गया है तथा मुझे जाने से मारने की धमकी जो कि 11 मार्च 1993 को लॉबी में सर्वश्री मोहम्मद इलियास, मनीराम केहरवाला, भाकरूल्ला खां, महेन्द्र प्रताप सिंह, राज कुमार, धर्मबीर गाबा, जोगेन्द्र सिंह, छत्रपाल सिंह इत्यादि के सामने दी है, का मामला वि शेषाधिकार कमेटी को हाउस के अगले सै ान की पहली बैठक तक जांच हेतु एवं रिपोर्ट हेतु भेज दिया जाए।” (गोर)

Mr. Speaker: Motion moved-

That the matter in regard to the using of abusive and threatening language to kill intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties, by Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. in the presence of Sarvshri Mohd. Ilyas, Shakrulla Khan, Mohinder Partap Singh, Raj Kumar, Dharambir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala, Chhattarpal Singh etc. etc. in the lobby of the House at about 3.00 p.m. on the 11th March, 1993, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Question is-

That the matter in regard to the using of abusive and threatening language to kill intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties, by Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. in the presence of Sarvshri Mohd. Ilyas, Shagrulla Khan, Mohinder Partap Singh, Raj Kumar, Dharambir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala, Chhattarpal Singh etc. etc. in the lobby of the House at about 3.00 p.m. on the 11th March, 1993, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

The motion was carried.

वाक आउटस

श्री बंसी लाल: स्पीकर सर, ये समझते हैं कि इस प्रकार से प्रिविलेज मो इन लाकर अपोजी इन की आवाज बन्द कर देंगे ? (गोर) इस प्रकार से अपोजी इन की आवाज बन्द नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, आपने बगैर हमारी बात सुने, इनको जो मो इन मूव करने की इजाजत दी है, उसके प्रौटैस्ट में हम वाक आउट करते हैं। (गोर)

(इस समय श्री बंसी लाल हरियाणा विकास पार्टी तथा इनकी पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाकआउट कर गये।)

प्रो० सम्पत सिंह:

.....

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded.

प्रो० सम्पत सिंह: अगर आप हमारी बात नहीं सुनते तो हम भी एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

(इस समय प्रो० सम्पत सिंह तथा जनता पार्टी, जनता दल तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

(1) जिला हिसार में एडज के मामलों संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 22 given notice of by Sarvshri Sampat Singh, Krishan Lal and Balwant Singh, M.L.As. regarding AIDS cases in Hissar District. I admit it. Sh. Sampat Singh may read his notice and the concerned Minister may make a statement thereafter.

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पिछले सप्ताह हिसार में 38 खून बेचने वालों के खून के नमूनों की जांच करने से पांच व्यक्तियों के खून में एडज के विशाणु पाए गए हैं। हिसार में रोजाना लगभग 100 लोग आजीविका कमाने के लिए अपना खून बेचते हैं। इस खून के बदले उनको 100 रूपये प्रति यूनिट कीमत मिलती है, परन्तु जिस डाक्टर को ये खून बेचते हैं, ये डाक्टर आगे रोगियों को 800 रूपये प्रति

यूनिट के हिसाब से बेच देते हैं। इन स्थानों पर जो खून दिया जाता है उसकी न तो कोई जांच पडताल की जाती है और न ही रिकार्ड रखा जाता है। तरह तरह के रोगों से पीड़ित लोगों द्वारा दिए गए खून के कई बीमारियां उन लोगों में चली जाती हैं, जिनको यह खून चढ़ाया जाता है। उपरोक्त जांच से पता चलता है कि खून का व्यवसाय करने वाले लोगों के खून से लगभग 13 प्रतिशत लोगों के खून में एडज पाया गया है, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। उक्त तथ्य जान लेने के बाद हिसार जिले का हर आदमी चिंतित है। लोगों में आतंक सा फैला हुआ है। यह एक बहुत ही लोकहित का विषय है। अतः सरकार सदन में एक वक्तव्य देकर इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

वक्तव्य—

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker: Now, I would request the Health Minister to make a statement.

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): अध्यक्ष महोदय, एडज कारोग एक विशाणु के कारण होता है, जो प्रथम बार सन 1981 में अमेरिका में पाया गया था। अब यह रोग सारे वि. व. में फैल गया है। यह रोग तीन तरीकों से फैलता है :-

1. ऐसे व्यक्ति से यौन संबंध से जिसमें एडज के विशाणु हों।

2. दूशित रक्त संचार द्वारा।

3. विशाणुयुक्त गर्भवती मां से उनके नवजात शिशु को।

यह जानने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति एडज के विशाणुओं से ग्रस्त है, कम से कम दो अलग प्रकार के टैस्ट जैसे एलिजा/सिरोडिया और वैस्ट्रन ब्लोट टैस्ट नेगेटिव होता है और इसलिए उसे एडज से ग्रसित नहीं कहा जा सकता। हरियाणा राज्य में किसी भी सरकारी हस्पताल में बिना जांच रक्त इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

कुछ समूह ऐसे हैं, जिनमें इस बीमारी के विशाणु अधिक होने की सम्भावना रहती है, जैसे:—

1. सैक्स वर्करज।
2. होमो सैक्सुअल
3. व्यवसायिक रक्त दाता
4. ड्रग एडिक्ट
5. विदेशों से आये विद्यार्थी व पर्यटक
6. यौन रोग से ग्रसित रोगी।

सभी सिविल सर्जनों को इन समूहों से रक्त सैम्पल लेकर मैडिकल कालेज, रोहतक में जांच हेतू भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

इन निर्देशों के अन्तर्गत सिविल सर्जन हिसार द्वारा मास जनवरी और फरवरी, 1993 में 46 व्यवसायिक रक्त दाताओं के पहचाने गए समूह रक्त का परीक्षण करवाया गया था। इनमें से रक्त के 5 नमूने एलिजा टैस्ट द्वारा पोजिटिव पाये गये थे। हिसार जिले में खून के नमूनों की जांच सन 1987 से की जा रही है। नवम्बर, 1992 से पूर्व यह रक्त नमूने जांच हेतू मेडिकल कालेज, रोहतक को भेजे जाते थे, परन्तु नवम्बर 1992 से यह हिसार में ही जांचे जा रहे हैं।

हरियाणा राज्य में सन 1986 में मैडिकल कालेज, रोहतक ही केवल एच0आई0वी0 परीक्षण केन्द्र था। सन 1992 के अन्तिम तैमास से तीन ओर एच0आई0वी0 परीक्षण केन्द्रों हिसार, करनाल और फरीदाबाद ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

हरियाणा राज्य में सितम्बर, 1986 से फरवरी 1993 तक 68233 रक्त के सैम्पलों की जांच की गई, जिसमें से हरियाणा राज्य में रहने वाले 54 व्यक्तियों में इस रोग के विशाणु पाये गये। इन जांचे गये सैम्पलों में यौन रोगों से ग्रसित 6802 रोगी, 50678 रक्त दाता, 307 वह रोगी जिन्हें रक्त दिया गया, 4020 गर्भवती महिलाएं व 362 विदे की नागरिक शामिल हैं।

इस रोग का कोई इलाज नहीं है और कोई टीका उपलब्ध नहीं जो इस रोग की रोकथाम कर सके। इसलिए यौन संबंधों बारे जागृति पैदा करना, निरोध के प्रयोग के प्रगति सजग करना तथा रक्त संचार से पहले उसकी कडी जांच किया जाना कुछ तरीके हैं, जिनसे इस रोग के फैलाव को रोका जा सकता है।

हरियाणा राज्य में ड्रगज एण्ड कासमैटिक एक्ट, 1940 के अन्तर्गत निम्नलिखित ब्लड बैंकों का लाईसैंस दिये गये हैं:—

1. रोहतक, 2. हिसार, 3. करनाल, 4. फरीदाबाद, 5. भिवानी, 6. गुडगांव, 7. कुरुक्षेत्र, 8. अम्बाला, 9. सोनीपत, 10. जीन्द, 11. सिरसा।

किसी भी प्राईवेट ब्लड बैंक/प्राईवेट हस्पताल को लाईसैंस नहीं दिया गया है। उक्त वर्णित एक्ट के अन्तर्गत यह आव यक है कि रक्त की एडज के लिए जांच की जाये और उसका उचित रिकार्ड रखा जाये। यह बात सच है कि बिना टैस्ट किये एच0आई0वी0 ग्रसित खून देने से एडज के विशाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवे ा कर जाते हैं।

हरियाणा राज्य के 54 निवासियों, जिनमें इस रोग के विशाणु पाये गये थे, में से 15 को एडज का रोग हो गया है और उनमें से 8 की मृत्यु हो चुकी है।

हिसार के एक प्राईवेट हस्पताल में रक्त संचार की वजह से एक व्यक्ति एच0आई0वी0 पोजिटिव पाया गया। सिविल

सर्जन, हिसार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संबंधित गैर सरकारी संस्था पर मुकदमा किया जायेगा। तीन अन्य गैर सरकारी संस्थाएं जिन पर प्राईवेट तौर से गैर कानूनी रक्त संचार का सन्देह है, को चेतावनी दी गई है और इस प्रथा को तुरन्त बन्द करने को कहा गया है। एक गैर सरकारी संस्था जो कि बिना लाईसेंस ब्लड बैंक चला रही थी, के विरुद्ध दायर किया गया मुकदमा अदालत में लंबित है।

व्यवसायिक रक्त दाताओं को रक्त दान के लिए प्राईवेट डाक्टर द्वारा कितने पैसे दिये जाते हैं और प्राईवेट डाक्टर रोगियों से कितने पैसे लेते हैं, इस बारे विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यह गलत है कि प्रतिदिन हिसार में रोजी कमाने के लिए 100 व्यक्ति रक्त दान करते हैं। फिर भी सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक हैं और इस बीमारी की रोकथाम के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, अभी मंत्री महोदया ने यह तो माना है कि जो पांच नमूने हैं वो पोजीटिव पाए गए हैं। एक बात इन्होंने कही है कि वे रोजी रोटी कमाने के लिए खून नहीं बेचते हैं, क्या इन्होंने उनको आईडेंटिफाई कर लिया है ? क्या उनके नाम पते वगैरह इन्होंने ले लिए हैं ? उन्होंने खून किस लिए दिया था, क्या बदले में पैसा लेकर दिया था या वैसे ही दिया था ? इससे पता लग जाएगा कि वे अपनी रोजी रोटी के लिए देते हैं या नहीं। दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि हरियाणा

राज्य में सरकारी अस्पतालों में बिना जांच रक्त इस्तेमाल नहीं किया जाता। हरियाणा में अस्पताल तो सैंकडों होंगे लेकिन इनकी जांच की लैब्स कितनी हैं और कहां कहां है, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि इस ब्लड के अंदर एडज के कीटाणु हैं ? वो कुछ जगह ही हैं, बाकी जगह रक्त बिना जांच के जाता है, वहां से कहां कहां ब्लड सप्लाई होगी ?

बहिन करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, यह खबर भी प्रैस में लगी थी और यह स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता का प्रतीक है। यह खबर सिविल सर्जन के इसलिए दी थी ताकि लोग सजग हो जाएं। ऐसे ब्लड न लें जिससे यह रोग उनके अन्दर दी थी ताकि लोग सजग हो जाएं। ऐसे ब्लड न लें जिससे यह रोग उनके अंदर जाए। उन पांचों को आइडैन्टीफाई कर लिया है लेकिन नाम बताना जनहित में नहीं है। यह भी हमने सिविल होस्पिटल को वि वास में लेकर पूछा था कि कौन कौन लोग उनके यहां रक्त दान करते हैं। उन सब के रक्त की जांच की गई जिनमें से पांच व्यक्ति ऐसे पाए गए हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि उन्होंने पैसे लेकर ब्लड दिया था या डोनेट किया था। यह भी हमने अस्पतालों को वि वास में लेकर पता किया है, अपने आप तो वे हमें बताएंगे भी नहीं। इनके नाम उजागर करना जनहित में नहीं है। दूसरी बात मेरे माननीय भाई ने यह पूछी है कि यहां यह इन्वैस्टीगेशन होती है, वे सैंटर कहां कहां हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि पहले यह सैंटर केवल रोहतक मेडिकल कालेज में था।

अब हिसार, फरीदाबाद और करनाल में हमने रीजनल सेंटर बनाए हैं। पहले भी, जब मैडीकल कालेज अकेला सेंटर होता था, तब भी, जो वालन्टरी एजेंसीज ब्लड डोनेट करती थीं, उनको हमारे सिविल सर्जन ब्लड बैंक में ले लेते थे और उनका एच0आई0वी0 टैस्ट करने के लिए मेडीकल कालेज भेजते थे। अगले वर्ष इस प्रकार के दो और सेंटर बनाए जाने की सम्भावना है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, जैसा माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि सारी स्टेट में चार ब्लड सेंटर हैं और रोज ऐक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं और स्टेट में रोजाना सैंकड़ों बोटलें खून की जरूरत पडती है। तो ये सारे ब्लड की जांच करके सप्लाई कैसे कर देंगे ? ब्लड बैंक्स भी कम ही बने हैं कई जगहों पर तो ब्लड बैंक भी नहीं हैं। मंत्री महोदया के कहने के मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई में जांच करके खून सप्लाई किया जाता है, क्या ये चार सेंटर अपर्याप्त नहीं हैं ? क्या इनसे सारी जांच हो जाती है ? सारी स्टेट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सैंकड़ों सिविल अस्पताल बने हैं, क्या ये चार सेंटर इनके लिए अपर्याप्त नहीं हैं ? मेरा ऐलीगे न है कि बिना जांच किये खून सप्लाई किया जाता है, इसी वजह से 54 केस पाए गए हैं यह तो अब नोटिस में आ रहा है, अगर पूरी जांच करेंगे तो सैंकड़ों, हजारों केसिज ऐसे मिलेंगे।

11.00 बजे।

बहिन करतार देवी: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहती हूँ कि ब्लड बैंक केवल ग्यारह हैं, बाकी जगहों पर ब्लड नहीं रखा जाता। जरूरत के हिसाब से जब अमरजैन्सी हो तो इन्हीं ब्लड बैंक्स से ब्लड जाता है। बाहर खून नहीं मिलता और ब्लड बैंक में जो खून रखा होता है, वह एकदम कलैक्ट नहीं किया जाता। ब्लड डोने उन के लिए हम कैम्पस लगाते हैं, ये कैम्पस अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं। हर जगह पर दो दो, तीन तीन बोतलें हर ग्रुप की हर जगह रख ली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सारा खून एक ही जगह पर रखा जाता है। अमरजैन्सी के लिए ब्लड वहां पर होता है और अगर ज्यादा खून की जरूरत हो तो निकटतम सैन्टर से और उस ग्रुप का खून, जिसकी जरूरत होती है, मंगवा लिया जाता है। स्पीकर साहब, सरकारी अस्पताल की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिससे यह पता चले कि उन द्वारा दिया गया खून घटिया पाया गया हो। इस बारे में सरकार पूरी तरह सजग है। दे 1 भर से जो सनसनी खेज खबरें आ रही हैं, उनको देखते हुए हमारे यहां एड सेल का गठन किया गया है। इस सेल के डिप्टी डायरेक्टर, हैल्थ, सैक्रेटरी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर और दूसरे कर्मचारी इसके मैम्बर हैं। हमने एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई है जिसके अध्यक्ष चीफ सैक्रेटरी हैं और हैल्थ सैक्रेटरी, फाइनेंस सैक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल हैल्थ सर्विसिज और डायरेक्टर आफ हैल्थ उसके मैम्बर हैं। यह कमेटी इसलिए बनाई हुई है ताकि मोनिटोरिंग के लिए और पैसे के लिए यह भारत सरकार से बात करें। यह कमेटी इस काम

में पूरी रूचि लेती है। स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ हमने एक टैक्नीकल कमेटी भी बनाई हुई है जो डायरेक्टर आफ हेल्थ सर्विसिज के अंडर है। हमारा प्रोग्राम यह है कि इस रोग के बारे में जन जागृति पैदा करें। इस रोग की कोई दवा नहीं है, इसलिए मुख्य उद्दे य यही है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इसके बारे में प्रि ाक्षित किया जाए। पिछले साल एक दिसम्बर को हमने 'एड दिवस' मनाया था और हमारे कार्यकर्ताओं ने पैम्फ्लैटस द्वारा लोगों को इसकी जानकारी दी। भारत सरकार भी मीडिया के माध्यम से प्रचार के लिए प्रयासरत है ताकि लोगों में जागृति आए और इस बीमारी का ि ाकार न बनें।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have recieved a calling

श्री कृष्ण लाल: स्पीकर साहब, मेरा भी इस काल अटैन् ान मो ान में नाम है, इसलिए मुझे प्र न पूछने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी ने दो सप्लीमेंटरीज पूछ ली हैं, वे काफी हैं।

श्री कृष्ण लाल: नहीं जी, मेरा भी नाम इसमें है, इसलिए मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया को कहना चाहता हूं कि भविश्य में हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ब्लड बैंक खोला जाए और इसके साथ ही साथ, टैस्ट लेबोरेटरी भी खोली जाए। स्पीकर साहब, 1992 में

बबैन गांव में हरिजनों की एक बारात के पन्द्रह आदमी मर गए और चार आदमी खून न होने के कारण मरे। हमने बहुत कहा कि हम खून देते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास खून टैस्ट करने का इन्तजाम नहीं है और वे बगैर टैस्ट किए खून नहीं दे सकते। क्या मन्त्री महोदया, हर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर ब्लड बैंक और टैस्ट लेबोरेटरी खोलने पर विचार करेंगी ?

बहिन करतार देवी: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि पहले हमारे पास केवल एक सेंटर था और अब चार सेंटर हैं अगले वर्ष दो सैन्टर्ज और खोलने का प्रावधान है। जहां तक ब्लड बैंक का ताल्लुक है, इस समय ग्यारह जगह ब्लड बैंक हैं जिनके पास लाइसेंस हैं। अध्यक्ष महोदय, जिनके पास खून टैस्ट करने के लिये लेबोरेटरीज हैं, केवल उन्हीं को ही लाइसेंस दिया है। इस समय 11 ब्लड बैंक्स हैं। यह भी मैंने बताया कि एच0आई0वी0 के चार टैस्ट किये जाते हैं और ये टैस्ट निर्धारित सैन्टर्ज में करवाने पड़ेंगे। अगले वर्ष में दो सैन्टर्ज और बढ़ायेंगे। एक एन0ए0सी0ओ0 संस्था है, इसके निर्देशानुसार पर यह कार्य फेज वाइज चालू है। अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष इससे ज्यादा सुविधाएं देने का सरकार के पास प्रावधान है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

चौधरी बलवन्त सिंह मैना: अध्यक्ष महोदय, आज जगह जगह पर ऐक्सीडेंट्स होते रहते हैं और कई बार ऐक्सीडेंट्स के वक्त नजदीक में कोई अस्पताल भी नहीं होता है, जहां से रोगियों

का उपचार हो सके और न ब्लड बैंक ही होते हैं। होता यह है कि जो रोगियों के नजदीकी रि तेदार होते हैं, वे वहां पहुंच जाते हैं ऐक्सीडेंट्स वाले रोगी को जब अर्जेन्टली खून की जरूरत होती है तो वे अपना खून बिना जांच करवाए दे देते हैं। और खून की जांच किये बगैर वह खून रोगी को चढा दिया जाता है तो क्या इस हालत में, सरकार उस दिये गये खून को पहले चैक करवाने का विचार रखती है या ऐसा कोई प्रावधान करेगी ताकि खून चढाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच हो सके और रोगी को किसी प्रकार का नुकसान न होने पाए ?

बहिन करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में पहले एमर्जेन्ट के तौर पर रक्त दिया जाता रहा है लेकिन अब सरकार की ओर से पूरी सावधानी बरती जाती है ताकि खून टैस्ट करवाए बिना सीधा रोगी को न दिया जाए।

(2) जिला महेन्द्रगढ, भिवानी तथा रिवाड़ी में ओला वृशिट से नश्ट हुए चने तथा सरसों की फसल संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of Call Attention Motion No. 27, given notice of by Sh. Ram Bilas Sharma, M.L.A. regarding damage of Gram and Mustrd crops due to hailstorm in district Mohindergarh, Rewari and Bhiwani. I have admitted it. Sh. Ram Bilas Sharma may read his notice and thereafter, the concerned Minister may make a statement.

प्रो० राम बिलास भार्मा: मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पिछले सप्ताह में जिला महेन्द्रगढ़, भिवानी, रिवाड़ी और उसके निकट के इलाकों में सर्द हवाओं से और कहीं कहीं ओला वृष्टि से चने और सरसों की फसल नष्ट हो गई है। गेहूँ की फसल को बहुत अधिक हानि हुई है। लोगों में आतंक व्याप्त है। किसान निराश और असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं यह सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहां विशेष गिरदावरी करवाई जाए। किसानों को मुआवजा दिया जाए तथा आहत लोगों को राहत प्रदान की जाए।

वक्तव्य—

मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार अनाज, तिलहन तथा सब्जियों की खड़ी फसलों को ओला वृष्टि से हुए नुकसान पर प्रभावित व्यक्तियों को निम्नलिखित दरों के अनुसार अनुदान सहायता दी जाती है :-

	अनाज / तिलहन की फसलें	सब्जियों की फसलें
1	जहां पर खड़ी फसलों को	400 / - रुपये प्रति क्षतिग्रस्त
		600 / - रुपये प्रति क्षतिग्रस्त

	75 प्रति ात से अधिक हानि हुई हो	एकड़	एकड़
2	जहां पर खडी फसलों को 50 प्रति ात से अधिक परन्तु 75 प्रति ात तक हानि हुई हो	300 / - रूपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़	500 / - रूपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़
3	जहां पर खडी फसलों को 25 प्रति ात से अधिक परन्तु 50 प्रति ात तक हानि हुई हो	200 / - रूपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़	400 / - रूपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़

2. परन्तु भीत लहर से उनकी फसलों को हुई हानि पर प्रभावित कृशकों को कोई अनुदान सहायता नहीं दी जाती।

3. क्योंकि सरकार ओला वृशिट जैसी अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की कठिनाईयों और संकटों के बारे हमे ा संवेदन िल है, उपायुक्तों को उनके जिलों में वि ेश गिरदावरी कराने के आव यक आदे ा जारी करने और फसलों के नुकसान की सूचना भेजने हेतु कह दिया गया है।

4. उपायुक्त भिवानी ने सूचित किया है कि उनके जिलों में ओला वृशिट से कोई हानि नहीं हुई है। फिर भी कुछ क्षेत्र जो नीचे वर्णित हैं, भीत लहर के कारण प्रभावित हुए हैं :-

गेहूं – 22000 हैक्टेयर हानि 25 प्रति ात से कम है।

सरसों – 35000 हैक्टेयर हानि 25 प्रति ात से कम है।

चने – 60000 हैक्टेयर हानि 30 प्रति ात से 40 प्रति ात है।

5. उपायुक्त रिवाड़ी ने सूचित किया है कि भीत लहर या ओला वृष्टि से किसी फसल को कोई हानि नहीं हुई है।

6. उपायुक्त, रोहतक ने सूचित किया है कि भीत लहर से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ओला वृष्टि से गेहूं की 200 एकड में फसलों को 26 प्रति ात से 50 प्रति ात तक हानि हुई है, और सरसों की 100 एकड में फसल को 51 प्रति ात से 75 प्रति ात तक क्षति हुई है। चने की फसल की ओला वृष्टि से कोई हानि नहीं हुई है।

7. उपायुक्त महेन्द्रगढ़ ने सूचित किया है कि ओला वृष्टि से कोई हानि नहीं हुई है परन्तु सरसों तथा चने की फसलों में क्रम ा: 75000 हैक्टेयर तथा 15000 हैक्टेयर क्षेत्र में भीत लहर के कारण व्यापक हानि हुई है। यह हानि 25 प्रति ात से कम है।

8. उपायुक्त गुड़गांवा, फरीदाबाद, सोनीपत तथा कैथल ने सूचित किया है कि उनके जिलों में भीत लहर या ओला वृष्टि से कोई हानि नहीं हुई है। अन्य जिलों से सूचना प्रतीक्षित है।

9. जैसा कि ऊपर वर्णित है किसानों को उनकी खड़ी फसलों के भीत लहर से प्रभावित होने पर कोई अनुदान सहायता नहीं दी जाती है।

10. संबंधित उपायुक्तों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपरोक्त दरों के अनुसार अनुदान सहायता स्वीकृत करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रो० राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी किसान हैं और जैसे मुख्य मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में बताया कि उपायुक्त महेन्द्रगढ़ ने सूचित किया है कि भीत लहर के कारण सरसों तथा चने की फसलों में 75000 और 15000 हैक्टेयर में नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि चने में से जब टाट निकलने लगी तो उसमें से एक ऐसी हवा निकली जिससे सारी टाट, जिसमें दाना बनता है, बिल्कुल सफेद हो गई और सौ परसेंट चने की फसल समाप्त हो गई है। रात भी मैंने नारनौल में फोन किया था और पता चला कि पिछले तीन चार दिनों में हवाई तूफान तथा छोटी छोटी ओलावृष्टि हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस काल अटैन्शन नोटिस देने के बाद वहां और नुकसान हुआ। इन्होंने चने और सरसों की फसल का 25 प्रतिशत खराबा दिखाया है। तो क्या इस नुकसान को देखते हुए वहां पर स्पेशल गिरदावरी करवाने के आदेश दिए जायेंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें दो तरह की सहायता दी जाती है। एक तो यह कि अगर ओलावृष्टि से नुकसान हो जाए, बाढ़ आ जाए और फसल बर्बाद हो जाए तो हम प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देते हैं। दूसरे, भीत लहर से या गर्म हवा से नुकसान हो जाए तो उसके लिए मुआवजा नहीं है। फिर भी किसान को राहत देने के लिए हम उसको तकावी देते हैं, लोन देते हैं तथा बीज पर सबसिडी देते हैं। अभी इन्होंने कहा कि पिछले दो चार दिन में ओले और पड गए और नुकसान हो गया। अध्यक्ष महोदय, डी0सीज0 को हमारी स्टैंडिंग हिदायतें हैं कि जहां से ओलों की रिपोर्ट आये तो फौरन स्पैशल गिरदावरी करवाई जाए तथा स्पैशल रिपोर्ट भेजें ताकि सरकार लोगों के नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सके। भारत सरकार फसल बीमा योजना पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। उनको पता है किसान देश की रीढ़ की हड्डी और किसान की फसल जब पकने को होती है, अगर वह ठंडी हवा, गर्म हवा या ओलों से खराब हो जाए तो उसे बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बाकायदा एक स्कीम बनाई है ताकि किसान को अच्छा मुआवजा मिल सके। यही नहीं, जो लोग लोन लेते हैं, उनके लिए यह स्कीम है। बल्कि कोई भी महानुभाव जो अपनी फसल का बीमा करवाना चाहेगा, बहुत थोड़ा प्रीमियम लेकर फसल का बीमा किया जाएगा ताकि फसल का जो नुकसान होता है, उसका कुछ मुआवजा देकर देश के किसानों की मदद की जा सके। स्टेट की जो पोलिसी है वह मैंने आपके सामने रखी है और

वह भी सोच समझ कर रखी है, इससे लोगों को काफी राहत मिली है।

प्रो० राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना चलाई जाएगी। तिलहन की फसल में 75 परसेंट खराबे पर 400 रूपए एकड के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है और सब्जी की फसल के खराबे पर 300 रूपये प्रति एकड के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार की किसानों की मदद करने की पालिसी है और दूसरी तरफ मुआवजे की दरें बहुत थोड़ी हैं। आज किसान अपनी फसलों पर जो पैसा इनवैस्ट करता है उसके रेट लगभग तीन गुणा बढ़ चुके हैं और मुआवजे का यह रेट बहुत पुराना तय किया हुआ है। आज डी०ए०पी० बीज और फसल की जुताई बढाई पर बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ चुका है। स्पीकर साहब, किसान सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और फसल उसकी सम्पत्ति है लेकिन वह सारी फसल आसमान के नीचे रहती है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मुआवजे की दर है, क्या उसको बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में वजन है। मुआवजे की दरें बहुत पुरानी तय की हुई हैं और ये हमारे वक्त की तय की हुई हैं। इन दरों को बढ़ाने के बारे में सरकार जरूर विचार करेगी।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, सिवानी सब डिविजन पहले भिवानी में था और अब हिसार जिले में है। सिवानी के एरिया में मारू चना बोया हुआ था, उसका बिल्कुल सफाया हो चुका है, एक भी दाना नहीं रहा। जो गिरदावरी का मसला है, यह तो बहुत पुराना है, आज से 30 साल पहले का तय हुआ है, इसको चेंज करना चाहिए। गिरदावरी करने का मसला डी0सी0 के नोटिस में तो बाद में आता है, पहले तो पटवारी गिरदावरी करता है और पटवारी का गिरदावरी करने का जो एन्गल है, वह सभी जानते हैं। स्पीकर साहब, आप जानते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। जिस किसान के साथ पटवारी का हिस्सा बंध जाता है, उसका ज्यादा खराबा दिखा दिया जाता है और जिस किसान के साथ हिस्सा नहीं बंधता उसका खराबा कम दिखाया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि फसलों की गिरदावरी की इंसपैक्शन खुद डी0सी0 करे कि आया पटवारी ने गिरदावरी की जो रिपोर्ट दी है, वह ठीक है या नहीं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, इसलिए आप जानते हैं और चौधरी अमर सिंह भी जानते हैं कि जब भी फसलों की गिरदावरी होती है तो उसकी इंसपैक्शन नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस0डी0एम0 करते हैं और डी0सी0 भी 10 या 15 परसेंट तक चैक करता है कि आया गिरदावरी ठीक हुई है या नहीं। जहां तक फसल के खराबे की बात है, खराबा अलग चीज है और मुआवजा देना अलग चीज है। खराबा क्या

होता है ? खराबा वह होता है कि अगर फसल खराब हो गई और उसका आबियाना माफ करना है तो वह स्पै ाल गिरदावरी के तौर पर माफ किया जाता है ।

प्रो० छतर सिंह चौहान: स्पीकर साहब, जैसे हमारे माननीय सदस्य श्री राम बिलास भार्मा जी ने बताया, उसी तरह से हमारे जिले भिवानी में भी बगैर पानी की भूमि में चने की फसल बाई जाती है । स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके पास 25 परसेंट और 40 परसेंट खराबे की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन उस खराबे का कोई कम्पैन्से ान देने का प्रावधान नहीं है । स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कृशि मंत्री सरदार हरपाल सिंह जी का वि ेश रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि सरदार हरपाल सिंह का कृशक परिवार से संबंध है और उनको कृशि का बहुत तजुरबा है । चौधरी भजन लाल जी को तो किसान का इतना तजुरबा नहीं है । मैं कृशि मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि हमारे भिवानी जिले में दादरी तहसील, लोहारू तहसील यानी जितनी भी तहसीलें हैं, उनमें फसलों के अंदर 90 परसेंट से 100 परसेंट तक खराबा है । जो 40 परसेंट खराबे की रिपोर्ट आयी है, वह तथ्यों से परे है । वहां पर चने की फसल अभी खडी है, मैं चाहता हूं कि उसका दुबारा से वि ेश निरीक्षण करवा लिया जाए ताकि पता चल सके कि आया वाकई कितने परसेंट खराब है । दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि जो 400, 500, 600 और 300 रूपये मुआवजे का

दिया जाता है, यह बहुत कम है क्योंकि पहले एक खाद का कट्टा 100 रुपये में आता था, वह अब 405 रुपये का हो गया है। इसके अलावा किसान की बिजाई, बाही और बीज आदि पर खर्चा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुआवजे की राशि बढ़ा कर कम से कम 2000 रुपये की जाये ताकि किसानों को राहत मिल सके क्योंकि ये किसान हितैशी बनते हैं। इसके अलावा, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को यह भी सुझाव देता हूँ कि वे इस विषय पर आज ही अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला कर इस मुआवजे की राशि को बढ़ा दें।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, यह ठीक है कि जो पैसे मुआवजे के देने फिक्स किए हुए हैं, ये पहले के हैं, अब खर्चा भी काफी बढ़ गया है। हम भी मानते हैं कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। हम इस मुआवजे की राशि को बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। एक बात इन्होंने यह कही कि भजन लाल किसान नहीं है। मैं चौहान साहब से पूछना चाहता हूँ कि या तो ये बता दें कि चने, गेहूँ और जीरी में कितने ओडे निकलते हैं, या आप मुझसे पूछ कर देखो, मैं बता देता हूँ और बे एक खेत में जाकर गिन लेना कि मेरी बात सही है या नहीं।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, a Minister will move the motion under Rule 15.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this days's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this days's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this days's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र

Mr. Speaker: Now a Minister will lay the papers on the Table of the House.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I beg to lay on the Table-

The 25th Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1991-92 as required under Section 619(A)(3) of the Companies Act, 1956.

The 25th Annual Report & Accounts of the Haryana Agro-Industries Corporation Limited for the year 1991-92 as required under Section 619(A)(3) of the Companies Act, 1956.

The 25th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1991-92 as required under Section 69(5)(a) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31 March, 1992 No. 2 (Revenue

Receipts) of the Govt. of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

समितियों की रिपोर्टस पे । करना—

(1) कमेटी आन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की 34वीं तथा 35वीं रिपोर्टस

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, Sh. Phool Chand Mullana, Chairman, Committee on Public Undertakings will present the Thirty Fourth and Thirty Fifth Report of the Committee on Public Undertaking for the year 1992-93.

Sh. Phool Chand Mullana (Chairman, Committee on Public Undertakings): Sir, I beg to present the Thirty Fourth and Thirty Fifth Reports of the Committee on Public Undertakings for the year 1992-93 on-

(a) the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1985-86 (Commercial); and

(b) the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1986-87 (Commercial); respectively.

(2) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 35वीं तथा 36वीं रिपोर्टस

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, Sh. Rajinder Singh Bisla, Chairman, Public Accounts Committee, will present the Thirty Fifth and Thirty Sixth Reports of the Committee on Public Accounts for the year 1992-93.

Sh. Rajinder Singh Bisla (Chairman, Public Accounts Committee): Sir, I beg to present the Thirty Fifth and Thirty Sixth Reports of the Committee on Public Accounts for the year 1992-93 on-

(a) the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Govt. for the year 1987-88; and

(b) the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1987-88 (Civil and Revenue Receipts), respectively.

(3) कमेटी औन गवर्नमेंट अ योरेंसिज की 24वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now, Sh. Verender Singh, Chairaman, Committee on Govt. Assurances will present the Twenty Fourth Report of the Committee on Govt. Assurances for the year 1992-93.

Sh. Verender Singh (Chairman, Committee on Govt. Assurances): Sir, I beg to present the Twenty Fourth Report of the Committee on Govt. Assurances for the year 1992-93.

(4) कमेटी औन सबोर्डिनेट लैजिस्ले ान की 26वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now, Mohammad Aslam Khan, Chairman of the Committee on Subordinate Legislation will present the Twenty Fourth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1992-93.

Mohammad Aslam Khan (Chairman, Committee on Subordinate Legislation): Sir, I beg to present the Twenty

Fourth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1992-93.

(5) कमेटी औन एस्टीमैटस की 24वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now, Sh. Om Parkash Beri, Chairman, Committee on Estimates will present the Twenty Fifth Report of the Committee on Estimates for the year 1992-93.

Ch. Om Parkash Beri (Chairman, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Twenty Fifth Report of the Committee on Estimates for the year 1992-93.

(6) कमेटी औन दी वैल्फेयर आफ ि डयूल्ड कास्टस एंड
ि डयूल्ड ट्राईब्ज की 18वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Sh. Mani Ram Keharwala, Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will present the Eighteenth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1992-93.

Sh. Mani Ram Keharwala (Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes): Sir, I beg to present the Eighteenth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1992-93.

सरकारी संकल्प—

- (1) संविधान (बहत्तरवां सं) गोधन) विधेयक, 1991 के अनु समर्थन
संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble, Members, now, the Chief Minister will move the Resolution regarding ratification of the Constitution (Seventy-Second Amendment) Bill, 1991.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैं यह प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन भारत के संविधान के उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ग) तथा (ड.) की व्याप्ति में आता है तथा संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।”

Mr. Speaker: Motion moved-

“That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clauses (c) and (e) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof proposed to be made by the Constitution (Seventy-second Amendment) Bill, 1991, as passed by the Houses of Parliament.”

Mr. Speaker: Question is-

“That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clauses (c) and (e) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof proposed to be made by the Constitution (Seventy-second Amendment) Bill, 1991, as passed by the Houses of Parliament.”

The motion was carried.

(2) संविधान (तिहत्तरवां सं गोधन) विधेयक, 1991 के अनु समर्थन
संबंधी

Mr. Speaker: Now the Chief Minister may move the Second resolution.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन भारत के संविधान के उस सं गोधन का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ग) तथा (ड.) की व्याप्ति में आता है तथा संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (तिहत्तरवां सं गोधन) विधेयक, 1991 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।”

Mr. Speaker: Motion moved-

“That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clauses (c) and (e) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof proposed to be made by the Constitution (Seventy-third Amendment) Bill, 1991, as passed by the Houses of Parliament.”

Mr. Speaker: Question is-

“That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clauses (c) and (e) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof

proposed to be made by the Constitution (Seventy-third Amendment) Bill, 1991, as passed by the Houses of Parliament.”

The motion was carried.

(3) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ऋण पर लिए जाने वाली
अधिकतम राशि संबंधी

Mr. Speaker: Now the Chief Minister will move the next resolution regarding raising of limit of loans by the Haryana State Electricity Board.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन बिजली (सप्लाई) अधिनियम 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम, 54) की धारा 65 की उप धारा (3) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 1000 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि जो कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, किसी भी समय, उस धारा की उप धारा (1) के अधीन ऋण के रूप में ले सकता है, का अनुमोदन करता है।”

Mr. Speaker: Motion moved-

“That this House approves under sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Govt. of a higher maximum amount of Rs. 1000 Crores of rupees which the Haryana State

Electricity Board may at any time have on loan under sub section (1) of that section.”

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, बिजली का महकमा हरियाणा प्रदेश में रहने वाले किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए एवं दैनिक उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही अहम महकमा है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक की 31 मार्च 1992 की रिपोर्ट के बारे में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: Dalab Sahab, this report has gone to the Committee for Examination. This is a Committee of the House, that will examine it. You kindly do not refer to that report. चूंकि यह मामला कमेटी में जो चुका है इसलिए आप इसे रैफर न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ही कहना चाहूंगा। बिजली के कनेक्टान जो हरियाणा में दिये जा रहे हैं उसके बारे में हरियाणा सरकार की कोई पोलिसी नहीं है। अधिकारीगण अपनी मर्जी से जैसा चाहते हैं, करते हैं। ये अधिकारी किसानों से, यानी उपभोक्ताओं से अपनी मर्जी से राशि ले लेते हैं, तभी कनेक्टान देते हैं और जो लोग कानून के मुताबिक दरखास्तें देते हैं, उनको कनेक्टान नहीं देते। इसी तरह से जो बिजली के बिल दिये जा रहे हैं, वे भी ठीक नहीं दिये जा रहे हैं। अगर किसी उद्योगपति का बिल लाखों रुपये का आया

हो तो वे अधिकारियों को दर्खास्त देंगे। अधिकारी लोग उद्योगपतियों के साथ नैगोशिएट कर लेते हैं और नैगोशिएट के नाम पर उस बिल का पैसा अधिकारियों की जेब में जाता है। महत्वपूर्ण लोगों को राजी करके उद्योगपतियों के बिल से भारी कटौती की जाती है। किसान और उपभोक्ता जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, उतना ही बिल होना चाहिए लेकिन बिलिंग ज्यादा होती है, इस अनियमितता के बारे में सरकार की ओर से कोई ऐसी हिदायत नहीं है, उसे चैक किया जाये। किसान और उपभोक्ता का बिल अगर वाकई ज्यादा है तो उस पर गौर की जानी चाहिए और सही पेमेंट लेनी चाहिए।

स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिजली की जो सप्लाई इन दिनों की जा रही है, वह नियमानुसार नहीं की जा रही। मेरे हल्के पलवल में बिजली पूरी नहीं दी जा रही, गांवों में जो बिजली दी जा रही है, वह काफी कम है और लाइट डिम है जिससे बच्चों की पढाई में काफी दिक्कत आती है। इसके अलावा, जो ट्रांसफार्मर सप्लाई किए जाते हैं, वे डिफैक्टिव हैं, इनके बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जबकि काफी पैसा ट्रांसफार्मर की रिपेयर पर खर्च किया जाता है। बिजली के अधिकारियों की मिलीभगत से ट्रांसफार्मर में जो कीमती सामान होता है, वह निकाल लिया जाता है। किसी गांव में कोई ट्रांसफार्मरी दो तीन महीने से ज्यादा सुरक्षित नहीं रहता। कोई भी अधिकारी यह पता लगाने की

कोर्णन नहीं करता कल सामान की चोरी कैसे होती हैं, इसमें कौन कौन से कर्मचारी सम्मिलित हैं। चोरी की एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की जाती। जहां ट्रांसफार्मर 100 मैगावट के होने चाहिए, वहां 50-60 के रखे होते हैं। स्पीकर सर, बिजली एक अहम मुद्दा है, इस पर सरकार को निश्चित तौर पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। अगर सरकार उद्योगपतियों को रियायत दे सकती है, बड़े उद्योगपतियों के साथ नैर्णन कर सकती है तो किसान और गरीब आदमी के साथ भी नैर्णन हो सकती है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिजली बोर्ड की जो कार्यशैली है, उस पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज बिजली बोर्ड साढ़े पांच सौ करोड रूपये से ज्यादा के घाटे में है। जिस तरीके से बिजली बोर्ड कार्य कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि लौस कम होगा, स्टेट पर यह बर्डन बढ़ता ही जाएगा। आज बिजली बोर्ड में एफीर्णन इम्पूव करने की आवश्यकता है ऐसी कोई नई कार्य प्रणाली तलाश करने की जरूरत है ताकि बिजली बोर्ड का घाटा कम हो सके लेकिन मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता। यह बात सोचने की है कि अगर इसी तरह से बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसी स्टेज आएगी कि बिजली बोर्ड का दिवालियापन दिखना पड़ेगा। आज जितना पैसा बिजली बोर्ड कोयला परचेज करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को देता है, उसे देखकर ऐसा लगता

है कि कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सप्लाई बंद कर दे। स्पीकर साहब, अभी हमने एक सवाल पूछा था और मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था कि लाइन लौसिज अब चौबीस परसेंट और छब्बीस परसेंट के बीच हैं। पिछले सै। न में जब यह सवाल आया था तो बताया गया था कि लाइन लौसिज कितने हो सकते हैं, उसके मुताबिक जो बड़ी लाइन हैं, जहां से बिजली भुरू होती है ओर 132 के0वी0 के स्टे। न पर पहुंचने तक लाइन लौसिज छः या आठ परसेंट के बीच होने चाहिए ओर उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यू। न होती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर लाइन लौसिज आज छब्बीस परसेंट है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि बीस परसेंट जो लाइन लौसिज हैं, वे 132 के0वी0 स्टे। न, जहां से आगे बिजली सप्लाई होती है, उससे आगे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस बात पर विचार करें कि हरियाणा में एक बिजली बोर्ड की जगह दो बिजली बोर्ड होने चाहिए। एक बिजली बोर्ड तो बिजली जनरेट करे और दूसरा बिजली बोर्ड बिजली का डिस्ट्रीब्यू। न करे। जो बिजली बोर्ड बिजली जनरेट करे, उसका अपना मीटर होना चाहिए ताकि पता लगे कि कितनी बिजली उन्होंने जनरेट की और आगे भेजी। स्पीकर साहब, आज कोई भी इंजीनियर या अधिकारी यह बात नहीं कह सकता कि इतनी बिजली जनरेट हुई, इतनी बिजली 132 के0वी0 स्टे। न पर आई और आगे सप्लाई हुई और आगे जब बिजली सप्लाई हुई तो वह कम कैसे हो गई ? आज किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी अधिकारी को इस बिना पर आज तक दंडित नहीं किया गया

कि बिजली इतनी सप्लाई हुई थी। और बिल इतना कम क्यों आया ? स्पीकर साहब, इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि जिस स्टेट के अंदर 36 परसेंट ट्रांसमिशन लौसिज हों उस स्टेट का बिजली बोर्ड कभी भी फायदे का प्रापोजीशन नहीं बन सकता। इस चीज का भार जनता पर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, 550 करोड़ रुपये को जो लौस है, वह जनता के ऊपर पड़ रहा है। विचाराधीन बात यह है कि बिजली बोर्ड की लोन की लिमिट एक हजार करोड़ कर दी जाए। इसका मतलब यह है कि भविष्य में बिजली बोर्ड को लोन लेने की अगर जरूरत पड़े तो एक हजार करोड़ रुपया लोन वह ले सकता है। स्पीकर साहब, इसका भार कंज्यूमर पर ही पड़ेगा। स्पीकर साहब, इसी सदन में कहा गया है, ये बड़े गर्व से कहते हैं कि सब से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजली की खपत हरियाणा में है

श्री अध्यक्ष: पंजाब में भी है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड के लौसिज को पूरा करने के लिए हर आदमी पर बिजली का टैरिफ यानी जो बिजली की ऐक्साईज डियूटी है, उसको बढ़ा दिया गया है और उसी वजह से हरियाणा के किसानों ने एजीटेशन की भावना अख्तियार की। उन्होंने हर जगह धरने दिए और कहा कि हमारे यहां बिजली के रेट पंजाब की तरह होने चाहिए ? यह स्थिति क्यों आई। यह स्थिति इसलिये आई कि बिजली बोर्ड में जलो इन्फ्लेफीसैन्सी है, उसकी वजह से यह बखेडा खडा हुआ है

और यही कारण है कि लोन लेने की लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। एक हजार करोड़ लोन की गारंटी सरकार देने जा रही है। स्पीकर साहब, इस स्थिति से निपटने के लिये यह जरूरी है कि यह लीपापोती की बात न की जाए, जैसे इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के चेयरमैन को बदल दो, क्योंकि वह टैक्नीकल आदमी नहीं है। कल को यह बात फिर आएगी कि बिजली बोर्ड का चेयरमैन एक टैक्नीकल आदमी है और वह एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐफीयान्ट नहीं है। इससे कोई बात हल होने वाली नहीं है। क्या हम ऐसा कोई सिस्टम इवोल्व कर सकते हैं जिसमें दो बिजली बोर्ड बनाए जाएं। दो सिस्टम काम करें। एक बोर्ड तो जनरेशन का काम करे और दूसरा सिस्टम बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि काम ठीक हो सके। दूसरी बात इसी सदन में कही गई कि हरियाणा में पानीपत और फरीदाबाद के प्लांट्स का प्लांट लोड 47 परसेंट है। स्पीकर साहब, हरियाणा में यह हालत है कि वहां 26 परसेंट तक प्लांट लोड फैक्टर रहा है और जनरेशन हम 47 परसेंट करते हैं, और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की ऐवरेज जनरेशन 46 परसेंट है यानी उससे 10 परसेंट कम है। यह भी सोचने वाली बात है कि इसकी ऐफीयान्टेंसी को कैसे इम्प्रूव किया जाये ? मैं आपसे फरीदाबाद व पानीपत थर्मल प्लांट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आप पानीपत थर्मल प्लांट को ही ले लीजियेगा। वहां इस वक्त 800 से ज्यादा इंजीनियर काम कर रहे हैं और उस थर्मल प्लांट की बीओएचओईओएलओ द्वारा मेनटेनेन्स करवायी जाती है। क्या उसकी रिपेयर के लिये अपने इंजीनियरिंग फिट नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष: बीरेन्द्र सिंह जी, मीनरी बाहर की है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: ठीक है स्पीकर साहब, मीनरी बाहर की है तो हमारे इंजीनियर्स उस मीनरी को समझे उसके बारे सीखें। यह बात हमारी समझ से बाहर है कि आप अगर मीनरी अमेरिका से इम्पोर्ट करें और सारी उम्र के लिये उन्हीं को उसकी रिपेयर व मेनटेनेंस का ठेका दे दें कि वे ही उसकी मेनटेनेंस करेंगे। अगर ऐसी बात है तो आप अपने इंजीनियर्स न लगाएं, बाकी अन्य क्लैरीकल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आप रख लें। एक तरफ सरकार पानीपत थर्मल प्लांट के कर्मचारियों को तनख्वाह देती है जो करोड़ों रूपया बनती है और दूसरी तरफ आप बी०एच०ई०एल० वालों को रिपेयर का ठेका देते हैं कि वे लोग ही इसकी मेनटेनेंस करेंगे। यह तो दोहरी भर्ती हो गई यानी दोहरे खर्चे हमारी सरकार कर रही है। ऐसी बातों पर हमारी सरकार बिल्कुल विचार नहीं करती, कोई नहीं सोचता कि यह भार प्रदेश के ऊपर क्यों पड़ रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड में अलग हट कर, एक कमेटी गठित करनी चाहिये जिसमें कंज्यूमर्स भी हों, पोलिटीकल आदमी भी हों, कुछ इंजीनियर्स भी हों, कुछ टैक्नोक्रेट्स भी हों जो बिजली बोर्ड के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन कर सकें।

स्पीकर साहब, आज बिजली बोर्ड के अंदर ओवर स्टाफिंग है, इसके बावजूद और लोगों को लेने की बात भी कर रहे हैं, यानी कब तक ऐसा होता रहेगा। जो भी सरकार आती है,

वह इन आदारों को इम्प्लायमेंट का साधन समझने लगती है। होता यह है कि दो चार हजार लडकें यहां फंसा दो, दो चार हजार कोआप्रेटिवज में फंसा दो, दो चार हजार लोग पुलिस में लगा दो। इसका बर्डन किस पर पडता है। मांगेराज जी पर, वित्त विभाग पर। मैं आपको बताता हूं कि आज से चार साल पहले जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी, उस समय 30 पैसे नान प्लांड ऐक्सपैन्डीचर था और वह ऐक्सपैन्डीचर, इनकी सरकार आते ही, 56 पैसे हो गया। मतलब कि सीधा एकदम 26 पैसे की इंक्रीज हो गयी और अब जो बजट यहां पर पे 1 हुआ है, उसमें खर्चने के लिये हमारे पास केवल 32 पैसे बचे हैं। क्या सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये ? सदन में विधायक इस हद तक ही बोलते हैं कि उनके हल्के में स्कूल अपग्रेड नहीं हुए, कोई कालेज नहीं है नहरों में पानी नहीं है लेकिन सारे सदन का ध्यान उस समस्या की ओर नहीं है जो सारी स्टेट के लिये एक चिन्ता का विशय बना हुआ है। विधायकों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। साथ में एस0वाई0एल0 की बात पर भी यहां पर चर्चा हुई। उसके लिये सरकार ने केवल 20 करोड रूपये ही रखे हैं और 20 करोड में से साढे 16 करोड रूपया तो केवल तनख्वाहों के लिये ही है, यानी प्लांड बजट में जो पैसा है, वह केवल तनख्वाहों के लिये ही है। केवल साढे तीन करोड रूपया बचा है इस स्थिति में स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी कब तक अपनी जिम्मेवारी से बचते रहेंगे ? कब तक जनता पर नये टैक्स लगाने से बचते रहेंगे ? कब तक सरकार बजट की फिगरज को इधर उधर

हिलाने झुलाने में लगी रहेगी ? आज जरूरत इस बात की है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज आप विपक्ष को कन्फीडेंस में लें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और टैक्नोक्रेट्स हैं, उनको कन्फीडेंस में लें। इनको लेकर एक रिसोर्सिज मोबलाईजेशन कमेटी गठित करें जो हरियाणा की वित्तीय स्थिति को ठीक कर सकें, हम साधन जुटा सकें और डिवैल्पमेंट के कामों में तेजी ला सकें। आपने पैंशन की स्कीम को कायम रखा। आज इस चीज को विचारने की जरूरत है कि क्या आप इसको इसी भोश में कायम रखेंगे क्या यह आपके रिसोर्सिज को ड्रेन आउट नहीं करेगी ? पहली सरकार ने पिछले चार सालों में यही सब से बड़ी भूल की थी। वे प्रगति के नाम पर ईंट भी नहीं लगा सके थे। प्रजा के अंदर इस बात की बड़ी भारी निराशा थी कि कैसी सरकार लोगों ने चुन कर भेजी है, जिसने एक ईंट भी नहीं लगाई। मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति बड़ी चिन्ताजनक और भावनीय है। आज अगर हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। लोगों से इस बात का क्रेडिट लेना कि आज हमने बिना टैक्स का बजट पास कर दिया है, विकास पर 10 परसेंट और बढ़ा लिया यह कोई क्रेडिट लेना नहीं है इन्फलेशन भी तो देखें कितना बढ़ा है ? आपने कहा कि बीस करोड़ की जगह 25 करोड़ की अलाटमेंट कर दी। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा, कल पार्टी मीटिंग में भी बात चली थी कि इस बात को भोप दें और एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाएं। मैं खुद महसूस करता हूँ। आज एक एक भाहर में सौ सौ ऐसे स्कूल हैं जिनको पब्लिक स्कूलों का नाम दिया हुआ है अगर

इनकी आमदनी देखी जाए तो किसी बिजनैस में ऐसा धंधा नहीं है जितनी कमाई इससे होती है। इनकी इतनी इंकम है लेकिन इन पर कोई टैक्स नहीं। आज कितने लोग डाक्टर बने बैठे हैं। गांव में नर्सिंग होम हैं। हम सब को पता है कि डाक्टर का कितना भारी काम है लेकिन उन पर कोई टैक्स नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक विनती है कि हमारे भाईयों को यहां आए हुए दो साल होने को हैं, आप एक छोटा सा स्कूल खोल दें ताकि ये लोग अकल से बात करनी सीख लें। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: ट्रेनिंग के लिये दिल्ली भेजेंगे।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी भजन लाल जी ने इनको स्कूल में दाखिल करवा दिया, ये आदमी तो भले थे। मैं एक बात कहता हूं कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह सरकार की वकालत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने एक ईंट भी नहीं लगाई चार साल में। मैं कहता हूं कि जितनी सड़कें उस समय बादली में बनी, उनका एक चौथाई भाग भी मेरे हल्के में बनवा दें, तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: बादली हल्के में सड़कें बनना स्वाभाविक था क्योंकि ये उस वक्त के मुख्य मंत्री के ब्लू आईड थे, इसलिये अगर सड़कें वहां न बनतीं तो कहां बनतीं ?

श्री धीरपाल सिंह: आप बिजली की सप्लाई और लाईन लौसिज के बारे में बता रहे थे, उस विषय से हट गए हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: यदि मैं विषय से हट कर बोलता तो मैं यह कहता कि इनके राज में अराजकता थी और बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं थी। स्पीकर साहब, जहां तक साधन जुटाने की बात है, मैं कहता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड के पास जो 100 करोड रूपए हैं, वे किसानों की भलाई के लिए लोगों की भलाई के लिये खर्च नहीं कर सकता। मार्किटिंग बोर्ड उस पैसे को वैसे ही अपने काबू में रखे हुए है। मैं कहता हूं कि ऐक्ट में तरमीम की जाए और 100 करोड रूपया स्टेट ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। स्पीकर साहब, जब 1977 में चौधरी देवी लाल हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था उस समय मैं एस्टिमेट्स कमेटी का चेयरमैन था, मैंने अधिकारियों से यह कहा था कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है

Mr. Speaker: Ch. Birender Singh Ji, this is not a part of the budget. This amount is collected from the traders in the Market Committees and not from the farmers.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: आज जब चेयरमैन थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी। मैं जजमेंट आने के बाद की बात कह रहा हूं। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, वह जजमेंट आने के बाद की बात है वह जजमेंट इस किस्म को है कि सारे

का सारा पैसा मार्किटिंग बोर्ड अपनी चारदीवारी के भीतर ही खर्च करे।

श्री अध्यक्ष: वह तो सडकें बनाने पर भी खर्च किया जा रहा है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं भी कहता हूँ कि वह पैसा सडकें बनाने पर खर्च होता है। उस पैसे से पार्क बनाए जाते हैं, भाहरों में सडक बनाई जाती है, इसका क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष: आप बिजली के बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब तक सरकार के पास साधन नहीं होंगे, तब तक बिजली बोर्ड सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं साधन जुटाने की बात करता हूँ हमारे पास जो साधन हैं, उनमें यह देखने वाली बात है कि आया वे ठीक खर्च होते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक रूलिंग दी जिसकी बिना पर मार्किटिंग बोर्ड उस पैसे को उन विशयों पर खर्चना चाहता है, जिनकी आज जरूरत नहीं है, इससे हमें नुकसान होता है। मेरा कहना है कि इस एक्ट के अंदर यह अमेंडमेंट कराई जाए ताकि *this money can be a part of Budget and a part of the State Exchequer. It should be part of the State Exchequer.* इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से उस पैसे को सरकार लोगों की भलाई के लिये, खास करके किसानों की भलाई के लिए

खर्च कर सकती है क्योंकि यह पैसा किसानों से इकट्ठा होता है। अभी फसल बीमा योजना की एक स्कीम पायलट की जा रही है।

12.00 बजे।

और मेरे ख्याल से यह स्कीम फाईनल होने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का यह कहना है कि हरियाणा में आने वाले पांच सालों में बिजली की खपत दुगुनी हो जाएगी। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर खपत डबल हो जाएगी तो इसको आप पूरा कैसे करेंगे ? दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो हाइड्रल पावर पार्वती प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट किया गया है, वह भी 10 साल से पहले पूरा नहीं होगा और न ही उससे पहले बिजली मिल पायेगी। इसी प्रकार यमुना नगर का जो गैस बेस्ड प्लांट पेपरों पर है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके अलावा जो हिसार का थर्मल प्लांट बनना है, वह अभी तक पेपरों पर भी नहीं है। इसी प्रकार से नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट का भी कुछ पता नहीं कि उससे कब बिजली मिलेगी। इसलिये इन सारी चीजों को देखते हुए कडे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि बिजली को अधिक से अधिक पैदावार हो सके। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे यहां बिजली उत्पादन के साधन इतने नहीं हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकें तो फिर ये नेशनल ग्रिडस में से कितनी बिजली प्राप्त कर सकेंगे ? इसलिये सरकार को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह सोचना चाहिये कि हम बिजली

की जनरे इन कैसे बढ़ा सकते हैं ? बिजली बोर्ड 1000 करोड़ रूपये की गारन्टी देने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिये कि बे एक बिजली बोर्ड एक अलग से ऑटोनोमस बाडी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती क्योंकि सरकार का काम बिजली बोर्ड को गाइड करने का भी है, इसलिये सरकार को किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी चाहिये ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुभाष बत्रा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि मार्किटिंग बोर्ड को पैसा किसानों से आता है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि किसानों से ही पैसा नहीं आता जबकि किसान मैं भी हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि पैसा व्यापारियों से भी आता है, और कन्ज्यूमर्स से भी आता है। (गोर) किसान बाहरों में भी रहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पैसा व्यापारियों से भी आता है और कन्ज्यूमर्स से भी आता है। (गोर एवं विघ्न)

साथी लहरी सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, अभी बत्रा जी ने कहा कि पैसा व्यापारियों से भी आता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मार्किटिंग बोर्ड को जो फीस मिलती है वह किसानों की जिन्स से मिलती है, इस बात को ये ध्यान में रखें। (गोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां): स्पीकर सर, अभी मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है कि हरियाणा बिजली बोर्ड की लोन के लिये लिमिट एक हजार करोड रूपये तक हो जाए। (विघ्न) स्पीकर सर, जहां तक बिजली बोर्ड का सवाल है, इसके तीन कम्पोनेन्ट हैं पहला जनरे इन का है, दूसरा ट्रांसमि इन या डिस्ट्रीब्यू इन का और थर्ड बिजली कन्ज्यूमर तक ले जाने का है। जहां तक जनरे इन का सवाल है, इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने असेम्बली के अन्दर और असेम्बली के बाहर भी कई बार दावा किया है। अभी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जिक्र किया और हम भी बार बार कह रहे हैं कि पावर जनरे इन को बहुत बढ़ाने की जरूरत है कन्जम्प इन बढ़ती जा रही है। आज हर आदमी बिजली पर डिपेंड करने लगा है ओर इसकी कन्जम्प इन हर साल 20-25 प्रति सेंट बढ़ जाती है। कोई छोटे से छोटा प्रोजैक्ट अगर लगाया जाए तो उसको कम्प्लीट होने में 3-4 साल लग जाते हैं। अगर आने वाले 4 सालों में जनरे इन डबल होगी, तभी हम कन्ज्यूमर्स की डिमांड पूरी कर पाएंगे। डिमांड को पूरा करने के लिये पिछले दो साल से इस सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ भाषण बाजी और असत्य ऐ योरेंसिज ही दी है। जनरे इन में यमुनानगर का थर्मल प्लांट है इसी तरह से हिसार का थर्मल प्लांट और गैस बैसड फरीदाबाद के प्लांट आते हैं। स्पीकर सर, इन तीनों प्रोजैक्ट्स की पोजी इन, इस सरकार के आने से पहले जो थी, वही पोजी इन अब है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। यमुनानगर थर्मल प्लांट की अभी एप्रूवल आनी है। अभी इस प्रोजैक्ट की एप्रूवल केन्द्रीय

कैबिनेट से भी नहीं हुई और गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने इसके लिए फौरमल एप्रूवल भी अभी तक नहीं दी है। खैर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके होते हुए हमारे अधिकार सुरक्षित हैं स्पीकर साहब, कल और आज कुछ साथियों ने, श्री नेहरा जी ने, अजय सिंह जी ने, बेरी साहब ने और मुलाना साहब ने उठते उठते, चलते चलते हमारे बहुत ही शिक्षित साथी भाई लछमन दास अरोडा जी ने कुछ कमेंट्स किए थे। नेहरा जी जब बोल रहे थे तो बोलते बोलते कह गए कि सम्पत सिंह, उस वक्त के गृह मंत्री पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था। सर, कल मैंने औन रिकार्ड कहा था कि 302 का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। मैं श्रीमान भजन लाल जी का बड़ा भुक्रगुजार हूँ आज मैंने दो तीन अखबारों में पढ़ा है कि सरकार सोर्सिज ने बताया है कि सम्पत सिंह और अभय सिंह के खिलाफ 302 का सरकार ने कल कोई मुकदमा दर्ज किया है। स्पीकर साहब, सम्पत सिंह और जनता पार्टी की आवाज को इस तरह से ये लोग दबा नहीं सकते हैं, हमने इनका जोर जोरा बहुत देखा है। कल नेहरा साहब यह भी कह गए थे कि ये तो गीदड हैं। स्पीकर साहब, 1982 से 1987 तक यही नेहरा साहब मंत्री थी और श्री भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे। स्पीकर साहब, मैंने पूरे पांच साल तक सरकार के मुंह और आंख में उंगली रखी लेकिन अपनी उंगली पर निहान नहीं आने दिया इनके दांत चाहे टूट गए हों या आंख खराब हो गई होगी। मैं फिर चैलेंज करके कहता हूँ कि हम हाउस में और हाउस के बाहर बाकायदा इनकी ज्यादतियों का, इनके भाषण का और

आतंक का डट कर मुकाबिला करेंगे। हम केसिज से घबराते नहीं हैं। जो करना चाहें वह करें। चाहे 302 का केस दर्ज करें चाहे कोई और केस दर्ज करें। हम उनमें से नहीं हैं कि केस दर्ज होने पर अंडर ग्रांड हो जाएं। जब चौधरी बंसी लाल जी हरियाणा प्रान्त के मुख्यमंत्री थे उस समय श्रीमान भजन जी पर केस दर्ज हुआ था। इन पर केस दर्ज होते ही यह श्रीमान अंडर ग्रांड हो गए थे। कोई कहता था हाउस अरैस्ट हो गए हैं, कोई कहता था बाबू जगजीवन राम की कोठी पर हैं। कोई कहता कहीं है, कोई कहता कहीं है। स्पीकर साहब, हम पब्लिक में रहेंगे। हम अंडर ग्रांड नहीं होंगे। स्पीकर साहब, वह दूसरी बात है कि चौधरी बंसी लाल जी ने बाद मकें कोई मेहरबानी कर दी और इनका आपस में समझौता हो गया। लेकिन जब इन श्रीमान जी पर मुकदमा दर्ज हुआ तो यह जनाब दिखाई नहीं दिए थे। स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी मेरे बुजुर्ग हैं लेकिन मैं तो इनको ही जिम्मेदार ठहराता हूँ। क्योंकि ये श्रीमान जी इनके राज के वक्त इनको छोड़ कर भागे और हमारे घर में आ गए और अगर ये श्रीमान जी हमारी थाली में छेद नहीं करते तो मुख्य मंत्री नहीं हो सकते थे। ये श्रीमान उधर से भागे और हमारे घर में आ गए, हमारी थाली में छेद किया और मुख्य मंत्री बन गए। चौधरी साहब कुछ दोश जो आपने किए हुए हैं उनको हमें भुगतना ही पड़ेगा। स्पीकर साहब, मैं क्या जिक्र करूँ कैप्टन अजय सिंह का ? पिछली बार जब ये कांग्रेस आई का टिकट ले कर चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले ये कहां थे ? स्पीकर सर, इससे लगता है कि इन

लोगों ने उस रिपोर्ट को पढ़ लिया है। इनको वह रिपोर्ट भाया करनी चाहिये। हो सकता है कि वह रिपोर्ट इनके ऐडवर्स हो, यह मैं नहीं जानता लेकिन जैसे ये बोल रहे हैं उससे तो ऐसा पता लगता है। इनके मन में जो काला रहता है उससे पता चलाता है कि उस रिपोर्ट में कोई ऐसी बात हो। इसी तरह से मेहम कांड से सम्बन्धित बातें भी इन लोगों ने यहां पर कहीं। अमीर सिंह हमारी पार्टी का वर्कर था और मार्किट कमेटी का चेयरमैन भी था। उन्होंने हमारी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में अपना फार्म भी भरा था और वे मौके पर अपना नाम वापिस नहीं ले सके थे। स्पीकर साहब, उनका कत्ल हुआ। जो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, वह एफ0आई0आर0 किसी इधर उधर के व्यक्ति ने दर्ज नहीं करवायी। कोई पुलिस का आदमी यूँ ही देख कर कहे कि मैं च मदीद गवाह हूँ, उसने नहीं करवाई बल्कि उसके अपने ही सगे भाई ने एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी थी और वह भी कोई साधारण आदमी नहीं है। गांव का बाकायदा सरपंच है, उसने एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई थी। उसमें जो नाम है वह सब को पता है। एफ0आई0आर0 में श्री आनन्द सिंह डांगी का नाम दर्ज है। उसके बाद ही पुलिस इनको पकडने गई। स्पीकर सर, जब मुकदमें दर्ज होते हैं तो उसके बाद पूरी इनवेस्टीगेशन होती है। अगर ये पोलिटीकल आदमी होते तो अपने आपको खुद औफर करते कि ठीक है मेरा नाम चूंकि इस रिपोर्ट में है इसलिए आप मेरे बयान लीजिये। अगर ये सच्चे थे तो उस इनवेस्टीगेशन में उस रिक्वायत को झूठा साबित कर देते और वह एफ0आई0आर0

कैंसिल हो जाती लेकिन बजाये इसके वहां पर वायलैन्स क्रियेट किया गया, आतंक फैलाया गया और तीन निर्दोश लोगों की जानें वहां पर गयीं।

स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि वहां पर वायलैन्स क्रियेट करवाया गया जिसके कारण से तीन निर्दोश जानें गयीं, जिसके दोषी ये लोग हैं। अगर ये लोग ऐसा वातावरण क्रियेट न करते तो तीन निर्दोश जाने न जातीं। उसके बाद स्पीकर सर, मदान कमी ान का गठन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जज श्री मदान के जिम्मे यह काम सौंपा गया। (गोर एवं व्यवधान)

हम भी कहते हैं कि कोई भी कमी ान ये बैठाएं। हम से जो भी वे मांगेंगे, हम पूरा सहयोग देंगे। हम उस इंकवायरी को फेस करेंगे। हम उस इंकवायरी को फेस करने के लिए तैयार हैं। हम कोई डरने वाले या घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम उस इंकवायरी को फेस करने के लिए तैयार हैं। स्पीकर साहब, इसी तरह से बार बार जिक्र आया क्रप ान का। इन्होंने कहा यह खा गए वह खा गए, भर्तियों में खा गए और फलां चीज में खा गए। स्पीकर साहब, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा जैसे साथी ओम प्रका ा बेरी जी ने कहा कि हम परिवार और उस मामले में नहीं पडते। अच्छी बात है, नहीं पडना चाहिए ब ार्ते कि श्रीमान भजन लाल की नायब तहसीलदार वाली बात न याद आ जाए तो। एक अपोजी ान के मेंबर ने जब क्रप ान की बात उठाई थी औन रिकार्ड है सरकार के मुंह पर इतना जबरदस्त तमाचा नहीं हो

सकता कि एक आई0ए0एस0 अफसर रिजाइन देकर जा रहा है और यह कह कर जा रहा है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्रिपल हो चुका है, टूट चुका है, समाप्त हो चुका है और कोई मैरिट का लिहाज नहीं है, कोई बात नहीं है। एक ही जाति विशेष के लोगों के साथ जो ईमानदारी से अपना पेट पालते हैं जो ईमानदारी से अपने बच्चे पालते हैं, जब से यह सरकार आई है तब से यह घोर अन्याय कर रही है। आज सारी ब्यूरोक्रेसी के अन्दर और सारी सिविल सर्विसिज के अन्दर डिमौरलाइजेड एन आई है। आज न जाने कौन दूसरा इस्तीफा दे जाए, न जाने कौन तीसरा इस्तीफा दे जाए। अगर स्पीकर साहब, इस तरह से वे इस्तीफा देने लगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यह मजाक की बात नहीं, यह हंसी में टालने की बात नहीं। आपके कारनामों को इस प्रदेश के लोग बाकायदा वाच कर रहे हैं। सारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव के अन्दर डिमौरलाइजेड एन, निराशा छाई हुई है। मैं कह रहा हूँ कि लोग अगर भागने लग गए और ईमानदार अफसर इस्तीफा देने लग गए तो स्पीकर साहब, इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव एन का, इस प्रॉब्लम का क्या हाल होगा, यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। स्पीकर सर, मैं इनको 300 करोड़ रुपये के लौस के बारे में बता रहा हूँ कि बिजली का इस्तेमाल कमिश्नरियल तथा औद्योगिक कंज्यूमर भी कर रहा है और दूसरा भी कर रहा है दोनों से डेढ़ रुपया दो रुपया पर यूनिट लेते हों। सरचार्ज डबल हो जाता है, कोई लौस नहीं हो सकता फिर भी बहुत लौस है जो इनके आंकड़ें हैं, वे दुरुस्त किए जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह, क्या आपके टाईम में लौस नहीं हुआ ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, लोसिज तो हर बार हुए हैं, लेकिन कहीं तो इसका एण्ड करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि हमारे टाईम में सब कुछ बढ़िया हो गया था। कमियां रहती हैं, बिजली बोर्ड का महकमा बहुत बड़ा है, उसका मैनेजमेंट भी बड़ा है, त्रुटियां रहती हैं, मगर हम कहते हैं इनको दूर करो, वरना कल फिर हमारा समय होगा तब हम इसको ठीक कर देंगे। स्पीकर सर, एग्रीकल्चर कंज्यूमर ओर डोमेस्टिक कंज्यूमर का क्या हाल किया है ? अरे, आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को लें, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहां चोरी होती है, वहां छापे मारो। असली रोक सरकार वहां करे और उनको पकड़े। हमारी सरकार ने एफर्ट्स किए थे, फरीदाबाद के अंदर 40 से ऊपर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पकड़े थे जो चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए थे लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा सरकार उनके साथ एग्रीमेंट कर रही है। ऐसे तो सारे के सारे केसिज विदड्रा हो जाएंगे।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदी । नेहरा): स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ये इररैलैवैन्ट बोल रहे हैं, इनको बैठाओ।

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं यही कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपये का गबन था, करोड़ों रुपये की चोरी थी उनसे रिवैन्यू कुलैव इन करें और उनके खिलाफ बाकायदा कार्यवाही करें ताकि रिवैन्यू कुलैव इन हो जाए। आज मुख्य मंत्री जी जानते हैं जो हैवी कंज्यूमर होता है, अपने बिलों को बचाने के लिये आरबीट्रे इन में चला जाता है उनको करोड़ करोड़ रुपये का बिल होता है वह आबिट्रे इन में जाकर 5-5 लाख रुपये करवा करके लाता है। खुद मुख्य मंत्री जी कह देंगे क्योंकि मैं आपको आन रिकार्ड की बात ही कह रहा हूँ।

Mr. Speaker: You are speaking irrelevant. Pleast sit down.

प्र० सम्पत सिंह: स्वयं मुख्य मंत्री के दामाद ने एक करोड़ का बिल आर्बीट्रे इन में जाकर दस लाख का करवा लिया। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदी ा नेहरा: स्पीकर साहब, इनको तो भानू इंडस्ट्रीज का फोबिया हो गया है। (गोर एवं व्यवधान)

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब,

श्री अध्यक्ष: जो कुछ सम्पत सिंह जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी जगदी ा नेहरा: स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड की लोन की लिमिट एक हजार करोड करने के बारे में रेजोल्यू ान हाउस में आया है और ये उस पर बोल रहे थे। बीच में भानू इंडस्ट्रीज कहां से आ गई ? स्पीकर साहब, 1987 में इनका राज था और इनके पास बिजली का महकमा था, इनके पास हौम डिपार्टमेंट भी था। भानू इंडस्ट्रीज उस वक्त भी थी, लेकिन ये भानू इंडस्ट्रीज की एक रत्ती भर गलती भी नहीं निकाल सके। ये अपने समय में भानू इंडस्ट्रीज के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं कर सके और एरियर के बारे में कोई बात नहीं निकाल सके। इन चार सालों में उसके खिलाफ कोई बात ये निकाल नहीं सके। इनकी तो भानू इंडस्ट्रीज का बुखार हो रहा है। स्पीकर साहब, इनका काम तो इररैलेवंट बोलना है, और कोई दूसरा काम नहीं है। जब तक ये ठीक बोलते रहे, हमने कुछ नहीं कहा। अगर इनके पास कोई सुझाव है तो ये बताएं। भानू इंडस्ट्रीज का नाम लेना तो कोई सुझाव नहीं है, यह तो बुखार है और बुखार का इलाज तो वैद्य ही कर सकेगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आप इसे पास करवा लेने दो। एक मिनट में जो कुछ आपने कहना है, कह लें।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अभी नेहरा जी ने कहा कि चार पांच साल क्या करते रहे। हम विद ड्यू प्रौसैस आफ ला चलते हैं। हम इनकी तरह से नहीं चलते कि जिसको चाहा, गिरफ्तार कर लिया और जिसको चाहा, जेल में डाल दिया। हम

तो विद ड्यू प्रौसैस आफ ला चलते हैं। स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि ऐस कंज्यूमर हैं, जिनका एक करोड का बिल होता है और वह आर्बीट्रे इन में जाकर उसको दस लाख का करवा लेता है उसमें भानू इंडस्ट्रीज भी है। उसका एक करोड का बिल था और उसने दस लाख का आर्बीट्रे इन में करवा लिया। अगर हम इस दि 11 में ठीक से काम करें तो बिजली बोर्ड की लिमिट एक हजार करोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्पीकर सर, अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स से पूरी रिकवरी कर ली जाए तो लिमिट बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रो० राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, सदन के नेता ने बिजली बोर्ड के कर्ज की लिमिट एक हजार करोड करने के बारे में अपने सुझाव रखना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार के बजट का छब्बीस या तीस परसेंट रूपया बिजली बोर्ड पर खर्च होता है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने ठीक ही कहा है कि यह सिर्फ भजन लाल की सरकार के लिए चिन्ता का विशय नहीं है, बल्कि हम सबको इसकी चिन्ता है। बिजली बोर्ड केवल हरियाणा में ही नहीं है, सारे दे 1 में बिजली बोर्ड हैं। हम कई बार सदन में रिपीट कर चुके हैं कि हमारी जो जनरे 11 है, वह सबसे ज्यादा कौस्टली है। हमारे जो लाइन लोसिज हैं वे मक्सीमम हैं, सारे दे 1 के मुकाबले में मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि 39 परसेंट लाइन लौसिज हैं
..... (गोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): पहले थे, अब नहीं है।

प्र० राम बिलास भार्मा: क्वै चन नम्बर 533 के जवाब में मुख्य मंत्री जी ने कहा था that Plant Load factor of this Thermal Power Plant is less than 50% i.e. 49.74%. यह इन्होंने अपने जवाब में कहा है। यह इन्होंने अपने जबान में कहा है। स्पीकर साहब, बम्बई के अंदर 'टाटा' बिजली जनरेट करता है। आप वहां गये होंगे, वहां के लोग कहते हैं कि वहां कभी भी 50 सैकिण्ड से ज्यादा बिजली कट नहीं होती। यदि कोई रिक्वायत कर दे कि यह लाईन सड़ी हुई है तो 24 घण्टे के अंदर अंदर वह लाईन रिप्लेस हो जाती है। आन्ध्र प्रदेश में भी 'टाटा' ही बिजली जनरेट करता है लेकिन हमारा 49 परसेंट तो प्लांट लोड फैक्टर है और बाकी का मिलाकर के 50 परसेंट से ज्यादा कभी भी यूटिलाईजेशन नहीं हुई। आज से दो महीने पहले ही ये काफी मात्रा में टैक्स लगा चुके हैं। जैसे टोल टैक्स लगाया है, खाद पर टैक्स लगाया है और सीमेंट आदि पर टैक्स लगाया है। जब इतनी सारी चीजों पर ये पहले ही टैक्स लगा चुके हों तो अब टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि बजट का 71 प्रतिशत पैसा देहात में खर्च होगा। (विधन) मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो विपक्ष के एम०एल०एज० हैं उनके हलकों में सरकार कोई काम नहीं कर रही। मैं गुजारिश करता हूं कि सरकार हमारे इलाके में भी स्कूलों का स्तर ऊंचा करे और नए हस्पताल व बिजली पानी का

प्रबन्ध किया जाये। हमारे इलाके में सडकों की बहुत खराब हालत है। खस्ता हालत में जो सडकें हैं, उनको भी ठीक किया जाये। गांव में जो पंचायत भवन नहीं बने हैं या जो हरिजन चौपालें नहीं बनी हैं उनको बनाया जाए और जो रिपेयर होने लायक हैं उनकी रिपेयर भी की जाए। इसके साथ ही साथ जो गांव सडकों से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी सडकों से जोड़ा जाए। अभी तक भी ऐसे गांव हैं जो 43 वर्ष की आजादी के बाद भी सडकों से नहीं जोड़े गए हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं खुद उस गांव से विधायक हूं जिसे सडके के साथ नहीं जोड़ा गया है। इस सडक को बनाने के लिये तीन बार ऐस्टिमेट्स बने हैं और तीनों ही बार कैंसल हुए हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। स्पीकर साहब, हमारी सरकार वैसे तो किसानों की बहुत ही हमदर्द है और इस बात का प्रचार भी खूब किया जाता है लेकिन आज तक इस सरकार ने किसानों को बीज, खाद, कीटना एक दवाईयां आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं करवाई। जो कीटना एक दवाईयां हैं उनके रेट्स बहुत ज्यादा हैं और उनसे कोड़े मरते भी नहीं क्योंकि दवाएं नकली होती हैं। स्पीकर साहब, डीजल के रेट्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। आज डीजल 6 से लेकर 8 रुपये लीटर तक बिक रहा है और वह भी मिलता नहीं है और इसकी ब्लैक की जा रही है। स्पीकर साहब, खाडी युद्ध से पहले तेल का मूल्य 34 हजार प्रति बैरल था जबकि अब तेल का मूल्य 16 डालर प्रति बैरल हो गया है लेकिन भारत सरकार के पास फारेन करन्सी

की कमी होने के कारण वह अधिक तेल खरीद नहीं रही है। डीजल एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है लेकिन बड़े बड़े लोगों द्वारा इसकी ब्लैक करके भंडार किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकी (विघ्न) सम्पत सिंह जी, आपने और श्री चौटाला ने मेरे पेट्रोल पम्प पर पुलिस बिठा दी थी और पेट्रोल बिकने नहीं दिया था।

स्पीकर साहब, मैं एक और बात यहां सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इन लोगों की जो पिछली सरकार थी उसने स्टेट एयर क्राफ्ट का बड़ा भारी मिसयूज किया था। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि हमारी यह सरकार इन बातों का विशेष ध्यान रखेगी। हमारी सरकार इसमें जरूर सुधार लाएगी हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार या लोग अपनी लीडरी चमकाने के लिये स्टेट के रिसोर्सिज को इस्तेमाल करें वे क्या अपनी स्टेट की भलाई कर सकते हैं। इसलिये मेरा एक सुझाव है आप इसके लिये एक कमेटी बनाएं या फिर स्वयं देखें परन्तु मैं इतना ही कहूंगा कि इसके जनरेल सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों में इसको इम्प्रूव किया गया है और यदि आपके प्रेजन्ट ब्यूरोक्रेट्स इम्प्रूव नहीं कर सकते तो मुख्य मंत्री से मैं कहूंगा कि इसका प्राइवेटाइजेशन कर दें, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा के किसानों, व्यापारियों और उद्योग धन्धे चलाने वाले

लोगों के लिए बिजली की जरूरत तिगुनी हो सकती है। यह मेरा सुझाव है।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा): स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी बिजली बोर्ड द्वारा लोन लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव हाऊस में लाए हैं। स्पीकर साहब, जहां तक मैं समझता हूं पीछे इनकी क्षमता 800 करोड़ रूपए थी और अब दो सौ करोड़ रूपया और बढ़ा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 'टाटा' का जो प्रोवीजीन है, उसको आप देखें। बम्बई की आबादी एक करोड़ है और हरियाणा की एक करोड़ 25 लाख है। हरियाणा में बिजली की इतनी प्रॉब्लम क्यों है ? यहां पर बहुत फलकचुए लाने हैं। आप लोन की क्षमता बे तक और बढ़ा दें लेकिन यह जरूर देखें कि बिजली बोर्ड की कार्य प्रणाली क्या है। न तो यहां जनरे लाने बढ़ रही है और न ही इसका एडमिनिस्ट्रे लाने ठीक है। दो जनरेटर दस मैगावाट के काफी मुददत से लगा रखे हैं। वे दो लाख यूनिट बिजली डेली पैदा करते हैं। उसमें इन्होंने यह कन्ट्रैक्ट एच0एस0ई0बी0 से कर रखा है कि 90 हजार यूनिट अगर मैं लूंगा तो एक लाख यूनिट मैं बोर्ड को दूंगा। तो यह कितना भानदार ऐग्रीमेंट है। इस ऐग्रीमेंट से किसान को लाभ होता है और उसकी बिजली नहीं कटती। आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस को ऐनकरेज करना चाहिए। अगर वे अपने जनरेटर लगाकर आपकी बिजली की बचत करते हैं और किसानों की तरफ उसको मुंह खोल देते हैं तो आपको उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए न

कि उन लोगों की बिजली काट कर उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। अब तीन चार दिन से जिन्दल स्ट्रिपस की बिजली काटी हुई है। इन्होंने 11 करोड़ रुपये से अपने दो जनरेटर दस मैगावाट के लगा रखे हैं इनकी बिजली काटने से केवल जिन्दल को कोई नुकसान नहीं है बल्कि हजारों लोग जो गरीब हैं, जो वर्कर हैं, वे बेरोजगार बैठे हैं। सुरजेवाल साहब, अपने को कोई ऐपरिसिएशन न मिले, अपने को कोई बैनिफिट न हो और हमें नुकसान होता हो तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिये हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, वे आज बेरोजगार और बिना रोटी के बैठे हैं। इसके अलावा जो लाखों रुपए का टैक्स सेल्ज टैक्स की भाकल में या इन्कम टैक्स की भाकल में सरकार को मिलता है, उससे सरकार वंचित है। बिजली के कनेक्टन को आप अपने तौर पर देखें और आप खुद उस बारे में जानकारी हासिल करें कि वह क्या बात है। हर सरकार के समय में इनके दो जनरेटर चलते रहे तो अब क्यों नहीं चलते ? अब क्या आफत आ गई ? एक आफत तो हो सकती है कि अब जिन्दल इस हाउस के आनरेबल मैम्बर बन गए हैं। और तो कोई बात नहीं हो सकती। मुख्य मंत्री को इतना महसूस नहीं करना चाहिए। जनता जनार्दन है कि जिसको चाहे उसको मेम्बर बना सकती है।

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे दो और बातों की चर्चा करनी है। यहां बोलते हुए हमारे साथी ने अभी यह कहा कि ओम प्रकाश जिन्दल की फैक्टरी की बिजली काट दी गई है। उन्होंने

हाउस को ऐसे बताने की कोशिश की कि जैसे हमने इस फ़ैक्टरी की बिजली वैसे ही काट दी है जैसे कि इनके राज में थाम्पसन प्रैस की बिजली बदले की भावना से काट दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी अमर सिंह जी को बताना चाहूंगा तथा हाउस को भी बताना चाहूंगा कि श्री ओम प्रकाश जिन्दल या किसी और से इस सरकार को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और सरकार ने बदले की भावना से कुछ नहीं किया है। बिजली की वोल्टेज की समस्या का जिक्र पहले भी करते हुए मैंने बताया था कि पूरे प्रान्त में वोल्टेज कण्ट्रोल करने के लिए हमने सारे हरियाणा में इस्पात के जो कारखाने हैं, इस्पात की जो भट्टियां हैं जिनमें मिनि स्टील प्लांट भी शामिल हैं, उनकी हमने थोड़े अर्से के लिए बिजली बन्द कर दी है। अगर एक हफते में बारिश न हुई तो इस बाद में देखा जाएगा कि क्या किया जाए और यदि बारिश हो गई तो फिर बिजली जारी करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सरकार की प्राथमिकता किसान की फसलों को और घरों को बिजली देने की है। यदि और ज्यादा दिक्कत आई तो हमें अफसोस है कि यह कट लम्बे अर्से तक जारी रखना होगा और इन कारखानों को इस बात की समस्या रहेगी। वोल्टेज की समस्या को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस्पात की भट्टियों और स्टील के कारखानों को बिजली बन्द करने से तथा जो दूसरे उपाय किये गये हैं उनका नतीजा यह हुआ है कि हरियाणा में पिछले 3 दिन से बिजली का

कट नहीं है। इस बारे में 10 तारीख और 11 तारीख के आंकड़े यहां पर बताना चाहूंगा। 10 तारीख को जो पूरी बिजली हरियाणा में उपलब्ध थी वह 2 करोड़ 95 लाख यूनिट थी जब कि पिछले साल इसी तारीख को 2 करोड़ 42 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध थी। 10 तारीख को खेतीबाड़ी के लिए जो बिजली दी गई थी वह 1 करोड़ 81 लाख यूनिट थी जबकि पिछले साल 1 करोड़ 28 लाख यूनिट थी। अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख को कुल 3 करोड़ 12 लाख यूनिट के करीब बिजली दी गई थी जबकि पिछले साल 11 तारीख को 2 करोड़ 41 लाख यूनिट बिजली दी गई थी और इसी दिन कुल उत्पादन में से ऐग्रीकल्चर के लिए 1 करोड़ 91 लाख यूनिट बिजली दी गई जबकि पिछले वर्ष 1 करोड़ 21 लाख यूनिट कृषि के लिए दी गई। पिछले 3 दिन से 10 और 11 तारीख को हरियाणा में बिजली में कोई भी कट नहीं था। यह सब सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के कारण हुआ। फरीदाबाद में ए0आई0सी0सी0 का सै। न हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक करोड़ रुपये के लेन देन में 10 करोड़ रुपये के बिल इंडस्ट्रीयलिस्ट्स के माफ हो जाएं तो बात ठीक नहीं है। यह बात अखबार में आई है, जिसको आपने भी पढ़ा होगा। यह बहुत ही गलत बात है। इस बात को वैरीफाई किया जाना चाहिए कि क्या यह सही बात है ? क्या यह हकीकत है या अखबार में वैसे ही खबर आ गई ? यह बात नै। नल पेपर्ज में आई है। एडमिनिस्ट्रे। न के तीन विंग हैं— ऐगजैक्टिव, लैजिस्लेचर एण्ड जूडी। यरी। and in additional to this Press is the Fourth

estate in the democratic system. नै नल पेपर में यह बात आई है। मुख्य मंत्री जी इस बात को वैरीफाई करें कि कहीं गडबड तो नहीं है। इसके अलावा, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज बिजली जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जब अंधेरा हो जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पहले देहातों में सरसों का दीया जलाया जाता था, लाइट नहीं होती थी। अब लाइट हमने सब जगहों पर दी, लेकिन लाइट का प्रयोग, लाइट की तरह नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो यह बड़ी दुखदाई बात है। मैं कहता हूं कि बिजली की जनरे न बढाने के लिए सर्वे कराया जाए ताकि पता चले कि बिजली की जो कमी है, वह किस तरह से पूरी हो सकती है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बिजली का मामला बहुत अहम है। हमसें कोई दो राय नहीं हैं। और इस मामले में सभी माननीय सदस्य चिन्तित हैं। लेकिन मुि कल क्या है, कुछ बातें बडे दुःख के साथ कहनी पडती हैं कि 800 करोड रूपये की जो गारंटी पहले की दी गई है, वह पहले की सरकारों की दी हुई है। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं। जो सही बात है वही कह रहा हूं। स्पीकर सर, इन लोगों ने प्रदे ा में इस तरह का वातावरण बना दिया जैसे भाखडी में बान्दर चालै सै। इन्होंने ऐसा वातावरण प्रदे ा के अन्दर बनाया कि सारे प्रदे ा का सत्याना ा कर दिया। आज ये कहते हैं कि अफसरों की

बदली कर दी। क्या हम ऐसे अफसरों की बदली नहीं करेंगे जिन्हें आपने इतना करप्टान में डुबो दिया जिसका कोई अन्त नहीं है। ये अफसर क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, जिले के सब अधिकारी करप्ट कर दिए। फरीदाबाद और गुडगांव इण्डस्ट्रियल एरियाज में जाते थे और कहते थे कि टर्न ओवर पर एक परसेंट हमें मिलना चाहिए। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्टरीज की टर्न ओवर करोड़ों और अरबों रूपयों में होती है लेकिन इसमें घाटा भी हो सकता है। लेकिन इन्हें घाटे से कोई मतलब नहीं इन्हें तो टर्न ओवर का एक परसेंट चाहिए। स्पीकर सर, मैं इन्हें यह बताना चाहता हूँ कि अगर मुझ में कोई कमी होती तो मैं दोबारा यहां नहीं आ सकता था। 4 साल इनका राज रहा है लेकिन इन्हें हमें या यही डर लगा रहा कि अगर इनका कोई सियासी दुश्मन है तो वह चौधरी भजन लाल ही है। मेरे खिलाफ इन्हें जो नहीं करना चाहिए था वह भी कर के देख लिया जो कोई भी जांच करनी थी वह भी कर के देख ली।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हमने कभी यह नहीं कहा कि छडियों या कट्टों (देगी पिस्तौल) से उनको मारा गया था। बाकायदा यह कहा गया था कि आधुनिक आर्म्ज इस्तेमाल किए गए थे। स्पीकर साहब, यह जो कुछ कह रहे हैं यह सच नहीं कह रहे हैं।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ हाउस के रिकार्ड पर है। मेरे पास कापी है उसकी। कोई कच्ची बात नहीं

है। यह सदन है। सदन में जो कहूंगा बिल्कुल ईमानदारी से और सच्चाई से कहूंगा। नहीं तो मेरे खिलाफ प्रिविलिज मोशन ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर साहब, मैं तो रिकार्ड की बात कह रहा हूँ। देहा और प्रदेश की जनता को पता है। मेरे पास कापी है मैं उसको लाकर दिखा दूंगा। वह रिकार्ड में है। स्पीकर साहब, उस रिकार्ड को निकलवाकर देख लेंगे। यह आप लोगों की स्पीच है। स्पीकर साहब, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की कि कानून नाम की चीज इस प्रदेश में कोई नहीं रही। स्पीकर साहब, मुझे कोई दुख नहीं आया क्योंकि यह काम सरकार करवा रही थी। कितनी बसें जलाई गईं, कितनी बिल्डिंग्स जलाई गईं और कितने सरकार मकान जलाए गए कि गिनती नहीं की जा सकती। सरकारी प्रॉपर्टी और दूसरे लोगों का बहुत नुकसान हुआ और जो नुकसान हुआ वह आपके सामने है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो वह देहा और प्रदेश कैसे चलेगा? स्पीकर साहब, इस तरह का वातावरण इन लोगों ने बनाकर खड़ा किया। इन लोगों ने इस प्रदेश का माहौल इतना बिगाड़ा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पीकर साहब, इस प्रदेश का नाम सारे संसार में ऊंचा था। हरियाणा प्रदेश की लोग मिसाल देते थे। इन्होंने इस प्रदेश का नाम इतना बदनाम करके रख दिया जिसका कोई अन्त नहीं और इसका नतीजा इस प्रदेश के लोगों ने इनको दे दिया। स्पीकर साहब, मैंने प्रैस में इनका बयान पढ़ा। सम्पत सिंह कहते हैं कि निदान बदल दिया पता

नहीं कि क्या हो गया। हलधर का नि गान पता नहीं कुछ और हो गया। पता नहीं कि हमारा क्या हो गया क्या नहीं हो गया।

श्रीमान जी बिजली साढे पांच साल से पहले बन ही नहीं सकती। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के पास यह विभाग रहा है वे बता दें कि एक थर्मल प्लांट को बनने में कितना समय लगता है ? अगर एक थर्मल प्लांट पर दिन रात भी काम चले तो भी वह थर्मल प्लांट साढे पांच साल से पहले चालू नहीं हो सकता। स्पीकर साहब, इनका राज पूरे चार साल भी नहीं रहा। क्या यह बिजली इन्होंने चालू की है ? यह बिजली तो हमारी देन है।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, वैसे यह सारे प्रोजैक्ट मेरे ही बनाये हुए हैं। ये धक्के से क्रेडिट ले रहे हैं। (हंसी)

श्री भजन लाल: चलो आपने ही बनाये। हम मान लेते हैं पर इन्होंने तो नहीं बनाये यह तो कह दो खडे होकर। (हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, यह फैसला तो ये दोनों ही करेंगे कि किस ने बनाये किसने नहीं बनाये लेकिन अब भी ये बनाएंगे और चलाएंगे हम।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि साढे सात साल मैं मुख्यमंत्री रहा और बंसी लाल जी आपके जमाने में एक या दो चालू हुए होंगे बाकी तो मैंने ही चालू किये हैं।

श्री बंसी लाल: स्पीकर सर, कंसैपान आफ प्रोजैक्टस सारे के सारे मेरे ही चालू किये हुए हैं।

श्री भजन लाल: यह हरियाणा भी आपने ही बनवाया था, यह भी कह दो।

श्री बंसी लाल: यह बात भी आपकी सही है कि मैंने ही बनवाया क्योंकि उस कमेटी के 20 सदस्य थे जिसके चेयरमैन सरदार हुकम सिंह जी थे और उन 20 सदस्यों में से एक मैं भी था। यह बात भी सही है कि हरियाणा बनाने में मैं 20 आदमियों में से एक था।

श्री भजन लाल: मैं तो यह भी कहता हूँ कि ताजमहल भी आपने ही बनावाया। (हंसी) चौधरी बंसी लाल जी मेरा तो कहने का मतलब यह था कि इन्होंने नहीं बनवाये या मैंने बनवाये या आपने बनवाये थे। ये कांग्रेस ने बनवाए थे। आपने बनवाये या मैंने बनवाए। आपने बनवाये तो भी कांग्रेस ने बनवाए और मैंने बनवाए तो भी कांग्रेस ने बनवाए।

श्री भजन लाल: आपने भी इनका दो साल साथ देकर इस प्रदेश का बड़ा नाम किया और आपने भी दो साल मौज कर ली। **श्री भजन लाल:** ये भी हमारे साथ थे, इनका आतिर्वाद हमारे साथ था। आज डा० मंगल सैन जी नहीं हैं, मैंने तो उनसे कह दिया था कि अब हमारा असली घर कांग्रेस है। हम कांग्रेस में

जाएंगे और आपको भी चलना हो तो स्वागत के साथ लेकर चलता हूँ। यह बात मैं ईमानदारी से कहता हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: उन्होंने तो हाउस में कहा था कि मुझे सी0एम0 सूट में बिठा गए और खुद राजीव गांधी के पास चले गए।

श्री भजन लाल: नहीं, मैं कह कर गया था। मैंने उनको कहा था कि हम राजीव गांधी जी के पास जा रहे हैं, अगर आपको चलना हो तो चलिए। सुबह वे मेरे पास थे, मैं ईमानदारी से कहता हूँ और औन ओथ कहता हूँ कि यह गलत बात नहीं है। हमने किसी से कोई धोखा नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां सुबह सम्पत सिंह जी ने कही कि हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमारी थाली में छेद करके मुख्य मंत्री बन गए। क्या हमने थाली में छेद किया था ? हमने देवी लाल जी को चैलेंज किया था कि चौधरी देवी लाल जी आपके बेटे राज चला रहे हैं यह बात हम बर्दा त नहीं कर सकते। इस राज में चूंकि बड़ी ज्यादाती और जुल्म लोगों के साथ हो रहा है। इसलिए हम आपके साथ भागीदार नहीं रह सकते। बाकायदा चार मन्त्रियों ने मेरे साथ इस्तीफा दिया जिनमें भोर सिंह जी भी थे जो आज भी इस सदन में मैम्बर हैं। हमने चौधरी देवी लाल को चैलेंज किया कि तीस दिन के अन्दर अन्दर आपकी सरकार बदलेंगे। हमने तीस दिन नहीं होने दिए बल्कि 29वें दिन इनका बिस्तरा गोल करके घर भेज दिया। ऐसा नहीं कि हम कोई फर्जी बात कर रहे हों, हम चैलेंज

देकर लडे और साथ ही सभी एम0एल0एज0 ने भारत द न्न कर लिया। क्या बुरी बात है जिसने कोई जगह नहीं देखी थी वह देख ली। मेरे कहने का मतलब है कि हमने चैलेंज करके उनको गददी से उतारा। ये श्रीमान जी लैक्चर दे रहे थे उस समय बरवाला में और चारपाई पर बैठ कर हुक्का पी रहे थे। (हंसी) तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमने धोखा नहीं दिया बाकायदा ज्यादाती और जुल्म के खिलाफ पूरी बगावत करके चैलेंज दे करके बाद में मैं मुख्य मंत्री बना। लेकिन जिस तरह का वातावरण इस प्रदेश में बना है उस वातावरण को हमने ठीक करना है और ठीक करने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम आपसे कोई फर्जी बात नहीं करते, अगर सरकार में कोई कमी है तो आप हमें जोर से क्तिसाइज करें हमें उस बात की खु ि होगी। लेकिन सही बात को तो कम से कम सही बात कह कर हमारा साथ दें ताकि हम सब मिल कर इस प्रदेश का जो बुरा माहौल उन्होंने बना दिया था चाहे वह प्रजातन्त्र का माहौल है, चाहे प्रदेश में क्रप ान की बात है, चाहे प्रदेश में भाई भतीजावाद की बात है और चाहे प्रदेश में लोगों की जमीन हडप करने की बात है, उसको ठीक कर सकें। हमने फैसला किया है कि तीस दिन के अन्दर अन्दर इस प्रदेश में जो नाजायज कब्जे हैं, जो बदमा ा लोगों ने किए हैं उनको खाली करवा कर दिखाएंगे।

स्पीकर साहब, बहुत से महानुभावों ने यहां पर चर्चाएं की। मैं उन चर्चाओं के विषय के बारे में तफसील से आपको बताना चाहूंगा जरा मेहरबानी करके सुनने की कृपा करें।

एक आवाज: भोंडसी फार्म वाली बात भी बता दें।

श्री भजन लाल: वह तो आप अपने नेता से पूछना। आप चौधरी देवी लाल और ओम प्रका 1 चौटाला या सम्पत सिंह से पूछ लेना वे बताएंगे आपको। जहां तक हमारे जमीन देने का ताल्लुक है मैंने उनको भारु में 25-26 एकड़ जमीन दी थी। वे एक आश्रम बनाने जा रहे थे। संस्था के लिए कोई ऐसे महानुभाव जमीन मांगे जो दे 1 में जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हों और एम0पी0 भी रहे हों तो कैसे इन्कार किया जा सकता है। वे बहुत अच्छे इन्सान हैं देवी लाल की तरह से घटिया नहीं हैं और न वे ओम प्रका 1 चौटाला की तरह घटिया हैं। मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि उनमें कुछ सिद्धांत हैं, इखलाक हैं। उन्होंने अपनी मां के नाम से आश्रम बनाने के लिए जमीन मांगी थी। मां के नाम से कोई आश्रम बनाए, संस्था के लिए बनाए, और मुख्य मंत्री उसको जगह न दे तो यह अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती: औन ए प्वांयट आफ और्डर। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी इस बात पर प्रका 1 डालें कि क्या वहां पर बी0एस0सफ0 की बैरैक्स नहीं थीं और वहां आना जाना भी बी0एस0एफ0 की बैरैक्स के अन्दर से होता है। उस वक्त यह ध्यान

रखा जाना चाहिए था कि बी0एस0एफ0 की बैरैक्स के अन्दर से ट्रेस पार्सिंग न हो। आज सारे बी0एस0एफ0 के अन्दर से ट्रेस पार्सिंग ही नहीं हुई है बल्कि जंगलात की जमीन कुछ तो भोंडसी फार्म ने और कुछ एक वहां कंसल है या क्या नाम है उन्होंने भी उसको दबाया है। इस बात की आप इन्क्वायरी करवाएं। (विधन) किसके राज में जमीन दबाई है वह बात दूसरी है, पर दबाई है, इसकी मुख्य मंत्री जी इन्क्वायरी जरूर करवाएं।

श्री भजन लाल: मेरे राज में तो कोई जमीन दबी नहीं इनके राज में दबी हो तो मुझे कुछ पता नहीं लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बी0एस0एफ0 का दूसरा रास्ता है और उनका दूसरा रास्ता है।

श्रीमती चन्द्रावती: लेकिन अब तो मैं भी कई सालों से उनसे मिलने जुलने के लिए जाती रही हूं। बी0एस0एफ0 के अन्दर से ही रास्ता जाता है। प्रधान मंत्री बनने के बाद भायद उन्होंने दुरुपयोग किया हो। मैं चाहती हूं कि बी0एस0एफ0 के अन्दर से उस फार्म तक रास्ता नहीं जाना चाहिए।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस बात को हम जरूर देख लेंगे अगर बी0एस0एफ0 को कोई आपत्ति होगी तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और यदि चन्द्र शेखर जी को कोई आपत्ति होगी तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। बी0एस0एफ0 को इतने साल में जब कोई रुकावट नहीं आई तो मैं समझता हूं कि

आगे भी नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई ऐसी बात है तो उसको दिखा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई मुद्दे उठे। सबसे पहले मैं महम के बारे में जिकर करना चाहता हूं। जिन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हैं उनको सस्पेंड किया है। सस्पेंड ही नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। चाहे वह भिवानी का इलैकान कांड है, चाहे वह मेहम का कांड है, जिन अधिकारियों के खिलाफ किसी दफा के तहत केस दर्ज हुआ है, सबके खिलाफ पूरी जांच करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी, उन सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। किसी को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं। जहां तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है वह तो करेंगे ही लेकिन सियासी आदमियों को यदि छोड़ देंगे तो यह बात कोई अच्छी बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हैं। ये एफ0आई0आर0 हमारे समय की नहीं, इनके समय की हैं। भिवानी में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, डी0आई0जी0 खान के खिलाफ। मुकदमा नं0 147 दिनांक 22-11-89 - 307 आई0पी0सी0। इसमें धर्मवीर के खिलाफ भी है। लाला के खिलाफ भी है। एस0ए0 खान के खिलाफ भी है। (विघ्न) दूसरा मुकदमा नं0 492 है। यह दिनांक 22-11-89 का है। इसमें धर्मवीर है, उसका भाई राजवीर है और डी0आई0जी0 खान है। एक मुकदमा नं0 493 है। दिनांक 22-11-89 का 302 का है।

यह धारा 148, 149 का है। इसमें चौधरी बंसी लाल जी और सुरेन्द्र सिंह जी हैं। मुकदमा नं० 108-48 दिनांक 12-11-89। इसमें चौधरी बंसी लाल जी, महेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह जी का नाम है। इसके अलावा मेहम कांड में मुकदमा नं० 75 दिनांक 1-3-90 है धारा 436, 342, 148, 149 और 427 आई०पी०सी०। इसमें दोषी हैं महेन्द्र सिंह लाठर, सम्पत सिंह, जयप्रकाश और श्री सुखदेव राज डी०एस०पी०। जिनके नाम एफ०आई०आर० में दर्ज हैं। ये एफ०आई०आर० उस समय की है जब ये गृह मंत्री थे। मेरे टाईम की नहीं है। फिर मुकदमा नं० 76 दिनांक 3-1-90 है जो जेरे दफा 302, 307, 149 और 148 है। इसमें अभय सिंह पुत्र ओम प्रकाश चौटाला, भामदेव सिंह, डी०आई०जी०, सुखदेव राज डी०एस०पी०। मुकदमा नं० 164 दिनांक 8-7-90 जेरे दफा 302, 307 और 120बी के तहत है। इसमें ओम प्रकाश चौटाला, वाई०एस०नकई, करतार सिंह तोमर, जिले सिंह, बीर सिंह डी०एस०पी० और ओम प्रकाश इन्सपैक्टर तथा प्रेम सिंह सब इन्सपैक्टर हैं। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सरकारी ऑफिसर को तो एक मिनट में सस्पेंड कर दें और उनके खिलाफ कार्यवाही कर दें और सियासी आदमियों को यदि छोड़ दें क्योंकि वह सियासी आदमी हैं तो ठीक नहीं है। जहां तक कानून इजाजत देगा हम उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे लेकिन जो लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसको माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

राजस्व मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख को जो मुकदमा दर्ज हुआ है वहां पर ग्रीन ब्रिगेड वालों की गोलियों से लोग मरे थे और घायल हुए थे। वह भी इन मुकदमों के साथ भामिल करने की कृपा करें। उसमें सम्पत सिंह, जयप्रकाश और श्री तोमर भामिल हैं। पुलिस ने हमारी रिपिटिड रिक्वैस्ट के बाद भी वहां के एस0पी0, श्री तोमर ने इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया था और उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है इस बारे में मैंने सुना तो है क्योंकि हिसार मेरा अपना जिला है। वहां पर गोलियां चलने से आदमी मारे गए। उसके बारे में भी हम जरूर दुबारा जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही सरकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर सुप्रिया कांड का भी जिक्र आया है। यह एक ऐसा कांड है जो इंसान का दिल दहलाता है। एक पुत्रवधु की जबकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर चौधरी देवी लाल खुद हों और वे मौके पर भी हाजिर हों यदि हत्या हो जाये तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है ? मैं आपको बताता हूँ कि जब चौधरी देवी लाल जी अबूब भाहर में काला तीतर में ठहरे हुए थे तो उनको इस घटना की जानकारी दी गई। जहां पर वे ठहरे हुए थे वहीं पर उनको बताया गया कि आपके पोते ने आपकी बहू

को मार दिया है तो वहां से चौधरी देवी लाल जी काफी गुस्से में चले और जब वे कार से उतरे तो 20 आदमी मौके पर खड़े थे और कहने लगे कि कड़ै है वह हरामजादा अभय सिंह, उसने हमारी बहू ने मार दियो बोल्यो (जिसने अपनी बहू को मार दिया है)। उस समय उनको पकड़ कर दूसरे आदमी अन्दर ले गए कि बाहर आदमी सुन रहे हैं, घर का मामला है, मुक्ति कल हो जाएगी इसको पर्दे में रखो। फिर लोग अन्दर गए और जिन लोगों ने वहां देखा उन्होंने कहा कि साहब एक नहीं तीन तीन गोलियां चली हैं। एक गोली भी ने में लगी है दूसरी गोली कुछ उसको लगी और कुछ चारपाई में लगी। तीसरी गोली उसको लगी। फिर कहते हैं कि खुदक गिर कर ली। मरने वाला कभी भी 3-3 गोलियां नहीं चला सकता। एक गोली माथे में मारेगा और उसके साथ ही उसका काम पूरा हो जायेगा। वहां पर तीन तीन गोलियां चली हैं और फिर कहते हैं कि पोस्ट मार्टम हमने करवाया है। उसके मां बाप को रात के तीन बजे लाया गया और फिर सुबह 7.00 बजे ही दाह संस्कार कर दिया। उसका पोस्ट मॉर्टम कतई नहीं हुआ। मैं उसी के जनदीक इलाके का रहने वाला हूं। मेरी सैकड़ों रिश्तेदारी उस इलाके में है। जगदीश आनेहरा जी वहां से आते हैं। एक मेरे भाई लछमन दास अरोडा जी भी वहां के रहने वाले हैं पोस्ट मॉर्टम हुआ नहीं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उस केस में कुछ हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि खुदक गिर अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी एफ0आई0आर0 दर्ज की जाती है और जांच की जाती है कि किन हालात में खुदक गिर हुई है और

इसमें कौन दोषी है। ये उसकी जांच करवाते और बताते कि उसका कोई दोष था या नहीं। जब किसी का दोष नहीं पाया जाता तो एफ0आई0आर0 कैंसिल भी हो सकती है। एफ0आई0आर0 भी दर्ज न करें और पोस्टमॉर्टम भी न करें और फिर बूढ़े मां बाप को बुला करके और उनको डरा धमका करके अपनी बात मनवा लें। अभय सिंह का ससुर जो 80 साल का है, वह क्या करता ? उसने कहा कि कोई बात नहीं जो परमात्मा की होनी थी वह हो गई। वह देहाती आदमी है उसने कहा कि ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी दूसरी बेटी भी दे, नहीं तो लोग कहेंगे कि जरूर मार दी ? दूसरी बेटी के साथ भी इन्होंने रि ता कर लिया। लडकी की मां अभी तक कहती है कि मेरी बेटी पर बडा जुल्म हुआ है। एक आदमी के पास इसका टेप है। मैं दावे के साथ तो इस सदन में नहीं कह सकता। उस आदमी ने मुझे बताया कि उसने इसे टेप करने की को ि ा की। अभय सिंह की सास ने कहा कि मैं तो इस घर में डांगर भी कोना बैचूं। यह हमारी मारवाडी भाशा है। इसका मतलब यह है कि मैं तो इसके घर में प ़ु भी नहीं बैचूं बेटी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस घर में तो मेरी बेटी की इस तरह से हत्या हुई है। स्पीकर सर, अगर ये बेईमान नहीं थे या बिल्कुल दूध के धोये थे तो इन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई। इनका फर्ज बनता था कि सी0बी0आई0 से जांच करवाते। इन्हें अहसास होना चाहिए था कि “मैं प्रदे ा का चीफ मिनिस्टर हूं, कल को लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे इसलिए इसकी जांच सी0बी0आई0 से

करवाई जाए।” मेरे खिलाफ लोगों ने मेंमोरेन्डम दिया। मैंने खुद प्रधान मंत्री जी से कहा कि मेरे खिलाफ कमी न बिठाईये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए नहीं तो लोग भागे मचाते रहेंगे। मैंने खुद कह कर कमी न बिठवाया था और कमी न ने मुझे निर्दोश ठहराया। अगर इनमें हिम्मत थी तो ये कमी न बिठाते तथा इस बात को लोगों में साबित करके दिखाते कि चौधरी देवी लाल बिल्कुल बेकसूर हैं और हम भी मान जाते। कमी न न बिठाते, सी0बी0आई0 से ही इन्कवायरी करवा लेते फिर भी हम इन्हें निर्दोश मान लेते। इनके खिलाफ करण न के और कई दूसरे सीरियस चार्जिज हैं क्या इन्होंने कहा है कि “मेरे खिलाफ कमी न बिठाईये।” अगर आज भी ये कमी न बिठाना मान लें तो फिर भी हम मान लेंगे कि ये बड़े ईमानदार हैं। स्पीकर साहब, हम साबित करके दिखाएंगे इन्होंने अपने 4 साल के भासन में किस तरह से और किस प्रकार के अन्याय और जुल्म लोगों के साथ किये हैं और किस तरीके से इन्होंने नाजायज सम्पत्ति बनाई है। सारे प्रदेश के लोग जानते हैं कि किस तरह का माहौल और किस तरह के हालात इन लोगों ने प्रदेश में पैदा किये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ किस तरह से इन के छोटे बेटे जगदीश ने खेत में रहने वाले एक गरीब आदमी की बीबी के साथ बलात्कार किया। इस बात को सारा देवता जानता है। अध्यक्ष महोदय, इस समय सारा सदन बैठा हुआ है, जगदीश के बारे में पता करवा लें कि वह 24 घण्टे भाराब के नौ में रहता है। रात को पीकर सोता है और सवेरे बची हुई बोतल से नाश करता

है। यह बात मैं आप को औन औथ कहता हूं क्योंकि वह मेरे पडौस में रहता है। सवेरे ना ता भाराब से करता है, फिर दोपहर को पी लेता है और भाम से फिर पीना भुरू हो जाता है। उसने उस गरीब औरत के साथ बलात्कार किया, उनको घर से नहीं निकलने दिया और फिर पुलिस वहां बैठी रही। बडी मुि कल से रात को छुप कर वह वहां से निकला और जगदी । नेहरा उसको साथ लेकर मेरे पास दिल्ली आए। उस गरीब आदमी ने मुझे बताया कि उसके साथ यह बुरा हाल हुआ है। हम लोग राष्ट्रपति से मिले। राष्ट्रपति जी को हमने पूरा ज्ञापन बना कर भी दिया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की कितनी मर्यादा होती है और कहां तक वह किसी मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने मामला नीचे गवर्नमेंट को भेजा और गवर्नमेंट ने उठा कर उसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया या फाड कर फैंक दिया होगा।

अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिला चौधरी देवी लाल का खुद का जिला है लेकिन सिरसा के कितने ही पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज किए गए और अनेक पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। ये इन लोगों के कारनाम हैं जो कहा करते थे "सारे पत्रकारों ने ही दे । आजाद करायो है" आज ये कैसी भाशा का इस्तेमाल करते हैं। पत्रकारों का तो सम्मान होना चाहिए लेकिन इन लोगों ने पत्रकारों का यह सम्मान किया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमें बना कर उन्हें जेलों में बन्द किया।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस भर्ती की बात भी आई। पुलिस के बारे में एक बात चौधरी बंसी लाल जी ने कही कि पुलिस की ऐसोसिये इन होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं सर्टिफिके इन आफ राईट्स ऐक्ट, 1966 के अधीन पुलिस यूनियन के गठन पर पाबन्दी लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस बहुत बहादुर है और उनके कारनामों बहुत अच्छे हैं। सिपाही से लेकर ऊपर तक हम उनको बड़ा भारी सम्मान करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस और फौज दो ऐसे महकमें हैं जहां अगर यूनियन बनाने की प्रथा चल पडी तो मुल्क में अमन नहीं रह सकेगा और बडी मुक्ति कल खडी हो जाएगी। हमें जितने भी पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी हैं उन सबसे पूरी हमदर्दी है। अगर उनकी कोई ऐनोमली है चाहे वह वेतन में है, चाहे प्रमोशन में है या और किसी किस्म की ज्यादाती है तो हम उसको ठीक करेंगे और पुलिस कर्मचारियों को कोई गिला नहीं रहने देंगे कि उनके साथ कोई अन्याय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर हम चाहेंगे कि बहुत गहराई से विचार करना होगा। पुलिस और फौज का मामला दूसरे तरीके का है। हम इस पर जरूर गौर करेंगे और जो ठीक बात होगी वह करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और खासतौर से इस हाउस के सभी महानुभावों से कि फौज और पुलिस के मामले में हमें स्वायतता की बात नहीं करनी चाहिये ताकि वातावरण और अमन में कोई बाधा बडे। ऐसा माहौल हमें नहीं बनाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन्दगी में आज तक

दामाद के बारे में किसी अफसर को कहा हो कि इसकी फेवर कर दो, तो मैं अपने दोनों लडकों की कसम खाता हूँ।

प्रो० सम्पत सिंह: यह भी बता दें कि आर्बिट्रे टरन हुई या नहीं हुई ?

चौधरी भजन लाल: आर्बिट्रे टर कोर्ट के हिसाब से बैठता है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आर्बिट्रे टर तो जुडिचियल प्रोसेस है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मेरे दामाद को इतनी बड़ी फ़ैक्टरी का लाइसेंस मिला था। इन्होंने एक अखबार वाले में लिखवा दिया कि भजन लाल के दामाद को लाइसेंस दे दिया तो मेरे दामाद ने फ़ौरन कह दिया कि मैं हरियाणा में कोई फ़ैक्टरी नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि क्या हरियाणा में कोई फ़ैक्टरी लगाने का धर्म है ? उन्होंने कहा कि मेरी वजह से मेरे ससुर की बदनामी करते हैं। उन्होंने उस लाइसेंस को वापिस कर दिया। वह सम्पत सिंह की तरह भुगडे नहीं बेचता है। (गोर) जब इसके पास साइकिल तक नहीं थी तो उनके पास हवाई जहाज था। बे बुनियाद बात करने की तो इनकी आदत हो गई है। श्री राम बिलास भार्मा जी ने जो बातें कहीं हैं (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब,
..... (गोर)

श्री अध्यक्ष: जो कुछ सम्पत सिंह जी ने कहा है, वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, श्री राम बिलास भार्मा जी ने ट्रांसमिशन के बारे में बात कही और बिजली के जनरेटर सिस्टम को ठीक करने की बात कही। उनके बहुत अच्छे सुझाव हैं उनको हम मानेंगे। जहां तक बिजली के कनेक्शन देने की बात है और बिजली के सुधार लाने की बात है। मैं यही कहूंगा कि जिन ट्यूबवैल्ज को बिजली के कनेक्शन नहीं मिले, उनको कनेक्शन देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठे भाईयों के राज में किसानों को चार साल तक बिजली के कनेक्शन नहीं मिले। उस समय किसानों ने लोन ले करके अपने ट्यूबवैल्ज लगाए थे और उनकी लोन की किस्तें भी आनी भुरु हो गई थी लेकिन उनको बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए। इनके समय में किसानों की इतनी बुरी हालत थी जिसका कोई अन्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आते ही हमने 31 हजार ट्यूबवैल्ज को बिजली का कनेक्शन दे दिया जो कि एक रिकार्ड की बात है।

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो एप्रोप्रियेशन बिल पेश किया गया, उस पर माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितना समय इस सदन में बजट पर चर्चा करने का माननीय सदस्यों को दिया है और भाग्यद ही कोई माननीय सदस्य इस हाउस का बाकी रहा होगा जिसने

अपने हल्के के बारे में स्टेट के बारे में चर्चा न की हो। पूरा समय आपने दिया और अध्यक्ष महोदय, लगातार तीन दिन से माननीय सदस्यों की बातें हाउस में चर्चा के रूप में आई, चाहे वह हल्के की मांग थी। चाहे सरकार पर नुक्ताचीनी थी, नोट कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी द्वारा दूसरे मंत्रियों एवं मेरे द्वारा उस पर पूरे स्पष्टीकरण दिए गए। मांगों के बारे में भी पूरा वि वास दिलाया गया है। सरकार पूरी सहानुभूति से इस पर गौर करेगी और किसी से भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि इसमें विधायक का सवाल नहीं है। हरियाणा की जनता ने अपना नुमाइंदा चुनकर विधान सभा में भेजा है। वह हरियाणा की एक करोड़ 65 लाख जनता की सरकार है। सरकार विकास के कार्यक्रम में कोई भेदभाव नहीं रखती। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 7 हजार के करीब गांव हैं और इनके 90 विधायक हैं, हर विधायक के हल्के में किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70 गांव हैं। हर विधायक की अलग अलग मांगों को जोड़ा जाए और इस पर जवाब दिया जाए यह हमारा कर्तव्य है। कोई विधायक स्कूलों के अपग्रेड करने के बारे में कहता है कि उसके हल्के का स्कूल मिडल से हाई स्कूल नहीं हुआ। अगर हाई स्कूल हो जाए तो 10 जमा 2 नहीं हुआ, कोई कस्बा है तो उसमें कालेज नहीं खोला गया। गांव में अस्पताल नहीं है, स्कूल में स्टाफ नहीं है। पीने के पानी का इंतजाम सरकार ने किया है, सडकों का जिक्र है। हरियाणा में भायद ही कोई गांव ऐसा होगा जो एक सडक से न जुडा हो। रामपाल सिंह जी का गांव तो 6 सडकों से जुडा है यह विकास की ही बात है। सडके की मुरम्मत

की विभागायत हो सकती है, जो चीज बनेगी, उसको इस्तेमाल किया जाएगा उस पर ट्रक, ट्रैक्टर और छोटी सवारी भी चलती है। एक खास बीमारी यह कि गांव हो या भाहर हो, घर का पानी टूटी का पानी, नलके का पानी सडक पर जमा हो जाता है। उस सडक का ध्यान उस वक्त कोई भी व्यक्ति नहीं करता लेकिन सडक पर जो पानी जमा हो जाता है, यह सडक को बरबाद करता है। तारकोल और पानी का बैर ऐसा है जैसे सांप और न्योले का हैं समय समय पर मुरम्मत करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो मांगें हैं चाहे सडक की मुरम्मत की है और चाहे सडक बनाने की है, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज किया कि कुछ सडकें अधूरी रह गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास होगा कि हरियाणा की कोई सडक बिना मुरम्मत न रहें। आज चारों तरफ सडकों पर काम होता दिखाई देता है। चाहे जी०टी० रोड की बात है और फोर लेनिंग की बात है और चाहे पुल बनाने की बात है। स्पीकर साहब, हरियाणा में इस बात की मिसाल नहीं मिलेगी कि पानीपत के अन्दर दो पुल यानि दो ओवर ब्रिज एक ही समय में बनाए गए हैं। ऐसी मिसाल अभी तक नहीं है। यह पानीपत के लोगों की मांग थी और इसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। सतबीर सिंह कादियान पानीपत के बारे में बहुत बात करते हैं

.....

श्री सतबीर सिंह कादियान: हमारी सरकार इनको मंजूर करके गई थी।

श्री मांगे राम गुप्ता: तुम्हारी सरकार क्या करके गई थी यह हमें अच्छी तरह से पता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को वि वास दिलाता हूँ। कई विपक्ष के सदस्यों ने स्वीकार किया है कि काम तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक कि प्रदे 1 के अंदर वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होगी। सरकार का प्रयास है कि अपने रिसोर्सिज बढ़ाए जाएं। सरकार इस बारे में काफी चिन्तित है। आज टैक्स लगाना बहुत मुश्किल है। हर आदमी की नौकरी की मांग है और जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं उनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। सरकार ने अपने खर्च में कमी करने का काफी प्रयास किया है और रिसोर्सिज बढ़ाने के लिए हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। उस कमेटी के द्वारा जो सुझाव होंगे उन पर अमल करके रिसोर्सिज बढ़ाए जाएंगे। रिसोर्सिज जब बढ़ जाएंगे तो नहर का पानी भी मिल पाएगा, स्कूल पूरे खुल जाएंगे, अस्पताल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। यहां पर पानी और बिजली के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मुख्य मंत्री जी भी और मैं भी मानता हूँ कि किसान के खेत में पूरा पानी नहीं पहुंचा है, पानी की कमी है। स्पीकर साहब, मैं तो सभी सदस्यों को इतना ही वि वास दिला सकता हूँ कि जब तक एस0वाई0एल0 का पानी नहीं आ जाएगा तब तक किसान के खेत में पानी की कमी

बनी रहेगी। टेल पर भी पूरा पानी नहीं पहुंचेगा और खेत में पानी की कमी रहेगी। लेकिन आज मैं पूरे वि वास के साथ कह रहा हूं कि आप चिन्ता न करें। यह सरकार इस मामले में चिन्तित है और यह सरकार एस0वाई0एल0 का पानी लाएगी और किसान को खेत के पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी और उसी के साथ पीने के पानी का संबंध जुड़ा हुआ है। (गोर एवं व्यवधान)। समय सीमा नहीं बांधी जा सकती क्योंकि मामला काफी उलझा हुआ है। समय तो पहले भी सरकारें देती रही हैं लेकिन कभी वायदा पूरा नहीं किया गया। स्पीकर साहब, यहां पर बिजली की चोरी के बारे में जिक्र किया गया कि बिजली की चोरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को मुख्य मंत्री जी ने भी माना है। यह इतना बड़ा महकमा है। फील्ड से लेकर ऊपर तक कितने मुलाजिम हैं। चोरी जरूर हो रही है इससे इंकार नहीं कर सकता लेकिन मुख्य मंत्री जी ने वि वास दिलाया है कि चोरी को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की एक डिमाण्ड थी कि बिजली बोर्ड का चेयरमैन कोई टैक्नोक्रेट लगाया जाए उसको पूरा कर दिया है। बिजली की चोरी कादियान साहब 30—32 परसेंट थी और अब वह 24—25 परसेंट तक आ गई है और मुझे वि वास है कि लाइन लौसिज बीस पच्चीस परसेंट तक ले आएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात रमेश कुमार ने कही कि जीरी के भाव के बारे में बनिया लूट लेता है। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि क्या इसने कभी जीरी बेची है। तुझे क्या पता है कि जीरी कौन बेचता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं

कि किसान का माल मण्डी में जो बिकने के लिए आता है, अगर कोई आडती किसान के साथ हेराफेरी करता है, बेईमानी करता है तो वह नालायक है। किसान के माल को बेचने के लिये अगर कोई कोताही करता है तो वह आडती आडती कहलाने का हकदार नहीं है, वह बेईमान है।

इससे आगे मैं अपने भाई जयपाल जी की बात का भी उत्तर अव य देना चाहूंगा। उन्होंने यहां बोलते हुए एक समस्या का जिक्र किया कि यमुना के किनारे जो खाद एरिया है, उसमें उनका इलाका लगता है और वहां पर यमुना की जमीन, दरिया में कटाव होने के कारण कभी इधर हो जाती है तो कभी उधर चली जाती है। उस जमीन पर यू०पी० के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, खाने बनाई हुई हैं और वे लोग 20-20 सालों से रह रहे हैं। इन्होंने कहा कि उन लोगों को हटाया जाए क्योंकि इस कारण से कभी न कभी झगडा भी हो सकता है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हमने वहां के डी०सी० व कमि नर को यह हिदायतें दे रखी हैं कि वे अपने काउंटर पार्ट के साथ जल्दी ही मीटिंग करें। यदि यू०पी० के किसी आदमी ने किसी खान पर या किसी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो उसको छुड़ाया जाये। मैं जयपाल जी को वि वास दिलाना चाहता हूं कि वहां पर इस कारण से किसी झगडे की नौबत हम कभी नहीं आने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बिजली की चोरी की बात भी हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाई बार बार पानीपत

का जिक्र करते हैं। मैं इनको बता देता हूँ कि मेरा लडका 15 सालों से पानीपत में अपनी फ़ैक्टरी चला रहा है। आपने कभी उसका कोई जिक्र सुना ही नहीं होगा फिर आप लोग कैसे उस फ़ैक्टरी की बात कह रहे हैं ? मैं बताना चाहता हूँ कि उस फ़ैक्टरी का बिजली से कोई ताल्लुक ही नहीं है और न ही सेल्ज टैक्स का कोई ताल्लुक है। वह तो हैण्डलूम का काम करता है, हाथ से कपडा बनाता है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर बिजली की चोरी को रोकना है तो इसका प्रबन्ध हमारे सभी विधायक भाई मिल कर कर सकते हैं। पानी की चोरी को रोकनाभी हम सबका कर्तव्य है। हम सब विधायकों का फर्ज बनता है, चाहे वे ट्रेजरी बेंचिज से हैं, चाहे वे विपक्षी दलों से हैं, अगर सभी विधायकों का सरकार के साथ पूरा सहयोग होगा, सभी विधायक पूरा सहयोग देंगे तो चोरियों पर काबू पाया जा सकता है। सभी अपना सहयोग सरकार को दें, पुलिस को दें और हमारे संबंधित अधिकारियों को दें, इस तरह बिजली की चोरी नहीं होगी और पानी के कट को भी रोका जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोडा ही कहना चाहूंगा। बिजली के कनैक्शन जो हरियाणा में दिये जा रहे हैं उसके बारे में हरियाणा सरकार की कोई पोलिसी नहीं है। अधिकारीगण अपनी मर्जी से जैसा चाहते हैं, करते हैं। ये अधिकारी किसानों से, यानी उपभोक्ताओं से अपनी मर्जी से राशि ले लेते हैं, तभी कनैक्शन देते हैं और जो लोग कानून के मुताबिक दरख्वास्तें देते हैं, उनको कनैक्शन नहीं देते। इसी तरह से जो बिजली के बिल दिये जा रहे हैं, वे भी ठीक नहीं दिये

जारहे हैं। अगर किसी उद्योगपति का बिल लाखों रूपये का आया हो तो वे अधिकारियों को दर्खास्त देंगे। अधिकारी लोग उद्योगपतियों के साथ नैगोशिएट कर लेते हैं और नैगोशिएट के नाम पर उस बिल का पैसा अधिकारियों की जेब में जाता है। महत्वपूर्ण लोगों को राजी करके उद्योगपतियों के बिल से भारी कटौती की जाती है। किसान और उपभोक्ता जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, उतना ही बिल होना चाहिए लेकिन बिलिंग ज्यादा होती है, इस अनियमितता के बारे में सरकार की ओर से कोई ऐसी हिदायत नहीं है, उसे चैक किया जाये। किसान और उपभोक्ता का बिल अगर वाकई ज्यादा है तो उस पर गौर की जानी चाहिए और सही पेमेंट लेनी चाहिए।

स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिजली की जो सप्लाई इन दिनों की जा रही है, वह नियमानुसार नहीं की जा रही। मेरे हल्के पलवल में बिजली पूरी नहीं दी जा रही, गांवों में जो बिजली दी जा रही है, वह काफी कम है और लाइट डिम है जिससे बच्चों की पढाई में काफी दिक्कत आती है। इसके अलावा, जो ट्रांसफार्मर सप्लाई किए जाते हैं, वे डिफैक्टिव हैं, इनके बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जबकि काफी पैसा ट्रांसफार्मर की रिपेयर पर खर्च किया जाता है। बिजली के अधिकारियों की मिलीभगत से ट्रांसफार्मर में जो कीमती सामान होता है, वह निकाल लिया जाता है। किसी गांव में कोई ट्रांसफार्मरी दो तीन महीने से ज्यादा

सुरक्षित नहीं रहता। कोई भी अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि सामान की चोरी कैसे होती है, इसमें कौन कौन से कर्मचारी सम्मिलित हैं। चोरी की एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की जाती।

इससे आगे मैं शिक्षा के बारे में भी बताऊंगा। कई माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा कि स्कूलों की बुरी हालत है, वहां पर स्टाफ नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने टीचर्स की भर्ती कर ली है और जहां जहां स्कूलों में स्टाफ की कमी है, वहां वहां जल्दी ही स्टाफ तैनात कर दिया जाएगा और यह काम अगले सैकड़ों तक पूरा कर लिया जाएगा। किसी भी स्कूल में स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। सभी सदस्यों ने अलग अलग सडकें गिनवाई, माइनर गिनवाए तथा और बातें बताई, ये सारी मांगें हम संबंधित महकमों को भिजवा देंगे और सभी मंत्रियों और अधिकारियों से कहेंगे कि फंडज की उपलब्धि को देखते हुए इन कामों को पूरा करने की कोशिश करें। किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तब तक यह संदेह होना चाहिये कि भजन लाल कोई बड़ा गुल खिलाने वाले हैं, तभी उन्होंने ऐसा किया है। वरना जब तक भजन लाल भ्रष्ट आचारण करते रहते हैं, तब तक चिन्ता और संदेह की या भाोर मचाने की कोई बात नहीं है। (विघ्न एवं भाोर)

खेल राज्य मन्त्री (श्री राजे भार्मा): स्पीकर साहब, यह अखबार में से नहीं पढ रहे हैं (भाोर)

प्रो० सम्पत सिंह: आप चिन्ता न करें, यह भाोर मचाने की बात नहीं है। (गोर) यह 6-3-1993 की जन सत्ता की फोटोस्टेट कापी है।

चौधरी जगदी ा नेहरा: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। (विघ्न एवं भाोर) यह फोटोस्टेट कापी रिकार्ड के लिए इनसे ले लेनी चाहिए। (गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, यह 6-3-1993 की जनसत्ता अखबार की फोटोस्टेट कापी है, आप यह ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप इसको सर्टिफाई भी कर दें और इस पर अपने दस्तख्त भी कर दें।

(अखबार की फोटोस्टेट प्रति हस्ताक्षर करके दी गई)

चौधरी जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने पढा है और मैं भी अखबार से कुछ पढना चाहता हूँ। (गोर)

श्री अध्यक्ष: नेहरा साहब, बैटर है आप इसे न पढ़ें, that is enough अखबार में जिसने जो लिखा है, वह उसका इनडिविजुअल व्यू है कि वह किस ढंग से एक चीज को देखता है। (विघ्न एवं भाोर) Please take your seat.

Mr. Speaker: Question is-

“That this House approves under sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Govt. of a higher maximum amount of Rs. 1000 Crores of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under sub section (1) of that section.”

The motion was carried.

बिल्ल-

(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1993

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill 1993 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sh. Mange Ram Gupta): Sir, I beg to introduce the Haryana Apropriation (No. 1) Bill, 1993.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister to move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sh. Mange Ram Gupta): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1993

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill 1993 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sh. Mange Ram Gupta): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1993.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती जानकी देवी मान (इन्द्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मेरे हल्के इन्द्री का अब तक कोई काम नहीं हुआ है। मैंने इनसे पिछले सै। न में भी कहा था कि इन्द्री अनाज मंडी से सरकार को तकरीबन एक करोड़ रूपए की इंकम है। इंकम का कुछ भाग तो मंडी पर खर्च करना चाहिए। मंडी की सारी सडकें बुरी तरह से टूटी पडी हैं। बरसात में मंडी में पानी भर जाता है और किसानों को अपनी फसल लाने में बहुत दिक्कत आती है। बिजली की तारें सारी नंगी पडी हैं जिस वजह से दो तीन आदमी और पं। मर गए हैं। पानी की पुरी सुविधा नहीं है। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि ये तीनों काम जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करें ताकि किसानों को कठिनाईयों से राहत मिले। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के इन्द्री की बहुत सी सडकें बुरी हालत में टूटी पडी हैं। बहुत बड़े बड़े गडढे सडक में हो रहे हैं। जहां तक बिजली के कनैक्शन देने की बात है और बिजली के सुधार लाने की बात है। मैं यही कहूंगा कि जिन ट्यूबवैल्ज को बिजली के कनैक्शन नहीं मिले, उनको कनैक्शन देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठे भाईयों के राज में किसानों को चार साल तक बिजली के कनैक्शन नहीं मिले। उस समय किसानों ने लोन ले करके अपने ट्यूबवैल्ज लगाए थे और उनकी

लोन की किस्तें भी आनी भुंरु हो गई थी लेकिन उनको बिजली कनेक्ट नून नहीँ दिए गए। इनके समय में किसानों की इतनी बुरी हालत थी जिसका कोई अन्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आते ही हमने 31 हजार ट्यूबवैलज को बिजली का कनेक्ट न दे दिया जो कि एक रिकार्ड की बात है।

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो एप्रोप्रिये न बिल पे ा किया गया, उस पर माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितना समय इस सैं न में बजट पर चर्चा करने का माननीय सदस्यों को दिया है और भायद ही कोई माननीय सदस्य इस हाउस का बाकी रहा होगा जिसने अपने हल्के के बारे में स्टेट के बारे में चर्चा न की हो। पूरा समय आपने दिया और अध्यक्ष महोदय, लगातार तीन दिन से माननीय सदस्यों की बातें हाउस में चर्चा के रूप में आई, चाहे वह हल्के की मांग थी। चाहे सरकार पर नुक्ताचीनी थी, नोट कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी द्वारा दूसरे मंत्रियों एवं मेरे द्वारा उस पर पूरे स्पष्टीकरण दिए गए। मांगों के बारे में भी पूरा वि वास दिलाया गया है। सरकार पूरी सहानुभूति से इस पर गौर करेगी और किसी से भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि इसमें विधायक का सवाल नहीं है। हरियाणा की जनता ने अपना नुमाइंदा चुनकर विधान सभा में भेजा है। वह हरियाणा की एक करोड 65 लाख जनता की सरकार है। सरकार विकास के कार्यक्रम में कोई भेदभाव नहीं रखती। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 7 हजार के करीब गांव हैं और इनके 90

विधायक हैं, हर विधायक के हल्के में किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70 गांव हैं। हर विधायक की अलग अलग मांगों को जोड़ा जाए और इस पर जवाब दिया जाए यह हमारा कर्तव्य है। धनौरा व कलसोरा के पुल बिल्कुल टूटे पड़े हैं (इस समय उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, पुल टूटा होने की वजह से किसानों को आने जाने की बड़ी दिक्कत है। मैंने पिछले सै।ान में भी मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था परन्तु पता नहीं मुख्य मंत्री जी ने ध्यान क्यों नहीं दिया ? उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को भेदभाव का बर्ताव नहीं करना चाहिए। विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो उस समय वहां पर था और आज भी वह वहीं पर पोस्टिड है। क्या कारण है कि सरकार ने उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और दूसरी तरफ भिवानी में भी लोगों का काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, बसों का कम से कम लगभग 3 लाख के करीब नुकसान हुआ है। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ये सब काम करवा दें।

चौधरी जाकिर हुसैन (तावडू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने हल्के के बारे में जो दिक्कतें हैं, उन पर चर्चा करना चाहता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्व विभाग के तहत 1980-81 में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने मेवात

डिवैल्पमेंट बोर्ड का गठन किया था और इस विकास के लिए अलग से स्कीम बनाई थी ताकि मेवात का विकास हो और पिछडापन दूर हो सके। मैं यह मानता हूं कि सूचना देने से सरकार इन्कार नहीं कर सकती। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि अगर इन्होंने कोई जरूरी सूचना बाहर भेजी थी तो कम से कम परसों हाउस में बता देते तो हाउस में इतना हंगामा न होता परन्तु इन्होंने ऐसा न करके हाउस को गुमराह किया है। यह हाउस की कनटैम्ट है कि हाउस को बताये बगैर इंफर्मे न बाहर भेजी गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय व गृह मंत्री महोदय इस बात का साफ साफ उत्तर दें कि इस तरह क्यों किया गया है ? इस हाउस की एक स्पै ल कमेटी गठित की जाये और उस कमेटी का अध्यक्ष विपक्ष की आरे से हो जो इस बात का न्याय करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो मुददे मैंने उठाये हैं, मुख्य मंत्री उनका जवाब दे और हकीकत का पता लगाएं कि किन कारणों से ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज सारा हिन्दुस्तान हिल गया है। इसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है। इस सारी बात की जांच हो और जो सच्चाई हो, वह यहां सदन के सामने लाई जाए। स्पीकर साहब, भाराब का जिक्र आया। कहा गया कि भाराब से बहुत ज्यादा रैवेन्यू आता है। काफी पैसा इकटठा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि भाराब के कारण ला एण्ड आर्डर खराब होता है। जो भाराब पीता है, वह आदमी अपने हो । मैं नहीं रहता और झगडा करता है जिससे ला एण्ड आर्डर

की स्थिति पैदा होती है। मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां सरकार का काम नहर बनाना, पीने का पानी देना, सडक बनाना, स्कूल बनाना और बिजली सप्लाई करना है, वहां सरकार का काम लोगों का चरित्र बनाना भी है। अगर चरित्र खराब हो गया तो ये सब चीजें बेकार हो जाएंगी। लोगों का चरित्र रखना सरकार का पहला काम है। भाराब के कारण आज हमारा सब कुछ तबाह होता जा रहा है। वह आमदनी किस काम की जो चरित्र को खराब करके हो। वह पैसा किसी काम नहीं आएगा। स्पीकर साहब, भाराब पिलाकर आने वाली पीढी के जीवने के साथ खिलवाड न किया जाए। यह भाराब ला एण्ड आर्डर की प्रोब्लम को बढ़ाती है। आपको टैक्स चाहिए तो इसका इलाज यह है कि जितनी भाराब पर हजार गुणा टैक्स लगा दो। दो सौ रूपए का पऊआ कर दो। जितनी भाराब सस्ती होगी, लोग उतना ही अधिक इसे पिएंगे। अगर आप इस पर हजार गुणा टैक्स लगा दोगे तो समृद्ध आदमी ही पिएगा। मजदूर और छोटा आदमी भाराब नहीं पिएगा। समर्थ आदमी जब भाराब पिएगा तो वह घर में बैठ कर पिएगा सडक पर हु हल्ला नहीं करेगा। मेरा कहना यह है कि भाराब पिलाकर आने वाली पीढी को बरबाद न करो। आप भाराब को महंगी कर दो जिससे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। चरित्र की कीमत पर जो टैक्स लिया जाता है, वह ठीक नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसो तोडा न जाए बल्कि उसमें कई ट्रेड बढ़ाई जाएं। अगर उसको वहां से हटाया जाता है तो वहां के लोगों के साथ अन्याय होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मडकोला में जो आई0टी0आई0 है, उसको वहां से हटा लिया गया है। हटाने की केवल अफवाह ही नहीं है।

चौधरी जाकिर हुसैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी दुबारा प्रार्थना है कि उसको वहां से हटाया न जाए, उसको वापिस ले जाया जाए और उसमें ट्रेडज बढ़ाई जाएं। एक बहुत बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ ओर वह है सिंचाई। जहां तक एस0वाई0एल0 के कम्पली इन का ताल्लुक है उसके बारे में सभी चिन्तित हैं। पानी का मसला बहुत जरूरी है। माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस बात को महसूस करते हैं कि गर्मी आने वाली है और अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो कोई मुनासिब बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ये स्कीमें पहले की बनी हुई हैं। चौधरी बंसी लाल जी को मैं इसके लिये दोष नहीं देता। आबादी बढ़ती है तो पानी की मात्रा भी आधी पर आ जाती है। अभी चौधरी अमर सिंह जी ने कहा कि 18 लीटर पानी एक व्यक्ति के लिये बहुत कम होता है। इससे पांच घड़े भरते हैं। (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय 18 से 30 लीटर की जो बात कही गई, अगर सही मात्रा में पर व्यक्ति सही पानी मिलता रहे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। (गोर) अध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने के पानी का सवाल है और इस बारे में हम भी

समझते हैं कि पीने के पानी का बन्दोबस्त हर हालत में होना ही चाहिये। भिवानी जिले की समस्या का काफी जिकर यहां पर आया। सिर्फ भिवानी जिला ही नहीं, रोहतक, झज्जर व रिवाड़ी, कोसली व मेवात के इलाकों में भी सभी जगहों पर पीने के पानी की समस्या है। जहां नहर का पानी न पहुंचता होगा, नीचे का पानी खारा होगा, वहां पानी मिलना ही चाहिये। हम इस बात को मानते हैं। मैं वि वास के साथ कह सकता हूं कि चालू आठवीं पंचवर्षीय योजना में भिवानी के अंदर 40 लिटर पानी हर व्यक्ति को हम देंगे। जहां वाटर सप्लाई स्कीम्ज बनी हुई हैं और जहां पर नहरी पानी नहीं पहुंचता या नीचे का पानी खारा है, उस एरिया में पानी का बन्दोबस्त सबसे पहले किया जाएगा और जिस जिस जिले में पानी की समस्या है, उसको पहले दूर किया जाएगा, चाहे हमें खेती को तरजीह बाद में देनी पड़े। यह वि वास में सदन के सामने आपको दिलाता हूं। अपने जवाब में जो फिगरज दी हैं, वे ठीक हैं। इन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि फरवरी के महीने में 1.2.93 से 25.2.93 तक वैस्टर्न यमुना कैनल में पानी का मामला साफ हो गया। स्पीकर साहब, हमें वैस्टर्न यमुना कैनल और भाखडा कैनल से ही पानी मिलता है। आजकल चर्चा है और पंजाब के मुख्य मंत्री ने मांग की है कि यमुना के पानी में पंजाब का भी भोयर होना चाहिये। यदि उनको पानी दे दिया गया तो फिर यमुना में तो पानी रहेगा ही नहीं। एस0वाई0एल0 का पानी कब हरियाणा को मिलेगा, आज 26 साल हो गए, अब तक तो मिलना नहीं और न ही इस पानी के निकट भविष्य में मिलने की

उम्मीद है। मन्त्री महोदय ने फिगर्ज दी हैं कि दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में 10/92 को 2393 क्यूसिक डेज और 1.2.93 से 25.2.93 तक 701 क्यूसिक डेज पानी मिला। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब फरवरी के महीने में पानी की यह हालत है तो आगे आने वाले मई और जून के महीनों में क्या हालत होगी ? उस समय तो फिर यह बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसलिये मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें कि उन दिनों फिर हमको किस तरह से पानी देने का प्रबंध करेंगे।

मैंने पहले जवाब में कहा है कि यमुना का पानी बहुत कम हो गया है और जो पिछली एवरेज है उससे भी बहुत कम हो गया इसलिये यह कमी आई है। जैसे कि मैंने कहा कि दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी 701 क्यूसिक्स डेज चला है। अभी तक दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी चल रही है और 4 दिन इससे पहले चल चुकी है और बाकी 2-3 दिन और चलेगी। (विघ्न) जहां तक यमुना का पानी टेल तक न पहुंचने का ताल्लुक है मैं एडमिट करता हूँ, यमुना में पानी कम आने की वजह से टेल पर पानी कम आया। जहां तक अक्टूबर की बात है जो फिगर्ज हैं वह मैंने दे दी हैं। दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी महीने में 14 दिन चली। बोन्द डिस्ट्रीब्यूटरी की कैपेसिटी 119 क्यूसिक्स है (विघ्न) जो कमी है, वह हमने एडमिट कर ली है। यमुना में जितना पानी आएगा, उसी के मुताबिक तो हम दे सकेंगे। मैं जो फिगर्ज दे रहा हूँ, वे वास्तव में सही हैं। यमुना के पानी की डिविजन ताजेवाला हैड पर होती है

उसमें यू0पी0 का पानी भी होता है। (विघ्न) जो कमी आई है, वह हम ऐडमिट करते हैं। (विघ्न)

ऐसी बात नहीं है। जो फिगरज हैं, जवाब उसके मुताबिक सही है। सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर महीनों में यमुना में जितना पानी आया, उसमें से जितना मैक्सिमम दिया जा सकता था, वह हमने दिया था। जनवरी और फरवरी के महीने लीन मन्थस होते हैं और इनमें साल का सबसे कम पानी आता है क्योंकि सर्दी की वजह से बर्फ कम पिछलती है और दूसरे वर्षा नहीं हुई। जिसकी वजह से डब्ल्यू0जे0सी0 में पानी कम रहा। (विघ्न) इस वक्त पांच या साढ़े पांच हजार क्यूसिक पानी है। (विघ्न) स्पीकर साहब, मेरी गुजारि है कि जो यह बात कह रहे हैं, वह सच्ची नहीं है। डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़, रिवाडी और झज्जर के ऐरिया में जहां पीने के पानी की स्केयरसिटी है, वहां यमुना का पानी लेकर उनको पीने के लिये मुहैया कराया गया। जहां पीने के पानी की दिक्कत रही है, उनको पीने का पानी दिया गया है।

स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो फिगरज इन्होंने दी हैं, यह सत्यता से बहुत दूर हैं। हो सकता है इन्होंने 3 महीने का एक महीना बना दिया हो। मन्त्री महोदय, यह बात भी देखें कि डिस्ट्रीब्यूटरी में जितना पानी जाना चाहिए उसका 30 प्रति ात भी नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मोटर उठवा कर श्री आनन्द सिंह डांगी लाड ले गए। जब लोगों ने भाोर मचाया तो वापिस वहीं लगवा दी। इसी

तरह से नेहरा साहब भी वहां पर पहुंचे हों और कह दिया हो पानी चला दो तो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं कि सारी नहरों में डी सिल्टिंग नहीं हुई है। उनकी डी सिल्टिंग करवाई जाए। एक एक नहर में चार चार फुट रेत है और नेहरा साहब उसे पानी समझते हैं। रेत की वजह से ही पानी टेल तक नहीं पहुंचता है। अध्यक्ष महोदय, जिस नहर में चार फुट सिल्ट होगा उसमें पानी टेल तक कैसे पहुंचेगा ? मैं नेहरा साहब से प्रार्थना करूंगा कि चण्डीगढ़ के एयरकंडीशन दफतर को छोड़ कर वहां भी जाएं। इस बारे में मैंने पहले भी कई बार इनके आफिस में जाकर कहा है कि मंत्री जी हमारे जिले के किसी भी सिस्टम की आपके राज में डी सिल्टिंग नहीं हुई है। डी सिल्टिंग न होने की वजह से रेत को भी पानी में नापा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले राज में भी बिल्कुल नहीं हुई है। उसके बाद तो आज दो साल हो गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं। किसानों के प्रति आपकी हमदर्दी होनी चाहिये। यह सरकार भी उन्हीं पिछली सरकारों के पद चिन्हों पर चल रही है। कम से कम भिवानी जिले के बारे में तो मैं कहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, लोहारू कैनल के सारे पैम्प खराब पड़े हैं। वे अभी तक रिपेयर नहीं हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्र न ही पूछ रहा हूं। मेरा सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि यह जो सारा पानी सिरसा ले

जा रहे हैं कृपा करके भाखडा का पानी वैस्टर्न यमुना कैनल में भी दे दें। इसका सिर्फ एक रास्ता है लेकिन वह इनको सूट नहीं करता है। ये पिछली सरकार की सारी नीतियों की आलोचना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, भाखडा सिस्टम 22 दिन तक चलती है और डब्ल्यू0जे0सी0 7 दिन चलती है। कम से कम ये ठीक नीतियों की तो बात करें। उसमें भिवानी का भी हक है, झज्जर का भी हक है। ये जो सारा पानी सिरसा ले जा रहे हैं मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इनको भी वहीं दिन देखने पड़ेंगे जो वे लोग देख रहे हैं। मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप भाखडा से डब्ल्यू0जे0सी0 को पानी दें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भाखडा कैनल का सिस्टम बना हुआ है, वहां से राजस्थान को भी पानी दिया जाता है। यह पानी हमें आ चलता रहता है। इसमें विसंगति वाली कोई बात नहीं है। दो तरह के चैनल्स हैं। एक तो ग्रेविटी से पानी यमुना में आता है और दूसरे ग्रेविटी से पानी भाखडा में आता है। साथ ही इसमें लिफ्ट इरीगेशन भी है। इसके हिसाब से इसकी जो कैपेसिटी भाखडा कैनल को पानी देने तथा राजस्थान में पानी जाने की है, वह हमें आ से चल रही है यह सरकार ने अलग नहीं की है। जैसा सिस्टम है उसी हिसाब से चल रहा है लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें जरूर हैं। य, यह तो सरकार ने भी माना है कि इसके अंदर खामियां हैं, फिर उन खामियों को दूर क्यों नहीं किया जाता ? (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है

क्योंकि इसको सरकार भी मान रही है। सरकार ने भी इस बात को माना है कि पानी के बांटने में अंतर है। मंत्री महोदय भी कह रहे हैं कि पानी के बांटने में खामियां हैं। इन भावों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता बहुत एक बार पुनः मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेवात बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर बहुत गरीबी है। मेवात के एरियामें पानी नहीं है इसलिये वहां का किसान बहुत गरीब है तो आप दोनों दिल खोल कर मेवात की तरक्की के लिए कोई स्कीम बनाएं और उसके लिए दिल खोल कर पैसा दें। (धन्यवाद)

श्री धर्मपाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: आपको भी टाईम मिलेगा। पहले आप श्री बलवन्त सिंह को बोलने दें।

श्री धर्मपाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, 12 दिन हो गए हैं, मुझे बोलने के लिए टाईम नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको भी टाईम मिलेगा। जो लिस्ट मेरे पास है, उसमें आपका नाम है।

श्री धर्मपाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, कल भी मेरा नाम लिस्ट में था लेकिन कल भी बोलने का टाईम नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष: आपको टाईम मिलेगा, आप बैठिए।

श्री अमर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। हम स्पीकर साहब को लिस्ट देते हैं और स्पीकर साहब, आर्डर आफ प्रिफरेंस के हिसाब से बुलाते रहते हैं। यह स्पीकर साहब ने पहले ही फैसला किया हुआ है। वह लिस्ट तो आपके पास रहती है, लेकिन आर्डर आफ प्रैफरेंस से नहीं बुलाया जाता।

Mr. Deputy Speaker: It is a consolidated list.

श्री अमर सिंह: अब कंसोलीडेटेड लिस्ट के मुताबिक ये ज्यादा हैं, हम कम हैं इसीलिए सभी मैम्बरज का नम्बर नहीं आता। मैं कहता हूँ कि आप हाउस को एक्सटेड कर दें और एक महीना चलाएं ताकि सभी मैम्बरज बोल सकें। आप हमारी पार्टी के मैम्बर को बुलाए।

श्री उपाध्यक्ष: पहले श्री बलवन्त सिंह जी बोल लें, उसके बाद उनको टाईम देंगे।

चौधरी बलवन्त सिंह मैना (हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज हरियाणा प्रदे 1 एक कृषि प्रधान प्रदे 1 कहलाता है। पानी के लिए हरियाणा सरकार बहुत लारे देती रही है कि हरियाणा प्रदे 1 के अन्दर एस0वाई0एल0 नहर को पानी बहुत जल्दी आएगा और एक साल के अन्दर आ जाएगा। कांग्रेस की

सरकार बने दो साल गुजर चुके हैं लेकिन आज तक एस0वाई0एल0 नहर की खुदाई का काम भुरु नहीं हुआ है, डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार इस नहर का पानी हरियाणा में नहीं ला सकती। जैसा कि मैंने विसंगति के बारे में कहा था, वह बात इस सरकार पर लागू नहीं होती है। पहली सरकार के समय से ही ऐसा सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन अगर इस तरह का फर्क रहेगा तो जो आज हम एस0वाई0एल0 का पानी पंजाब से मांग रहे हैं, वह कैसे मांग सकते हैं जब हम अपनी स्टेट में ही पानी की बांट पूरी और सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं ? (विधन)

डिप्टी स्पीकर साहब, वे तो एस0वाई0एल0 की डिगिंग को यमुना वाटर से जोडते हैं। चूंकि यह नहर हरियाणा की लाईफ लाइन है उस पर या तो किसी सैंट्रल एजेंसी से काम भुरु करवाया जाए वरना वर्तमान ठेकेदारों को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि नहर पर काम चल सके। लेकिन उस पर कार्यवाही ही नहीं हुई। उसके बाद जब सैंटर में सरकार बदली तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर से खतों किताबत किया। 20.2.91 को हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी तथा मैं, प्रधान मंत्री जी से मिले उनकी हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई उसमें आदरणीय प्रधान मंत्री जी, वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर, फाइनेन्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और उनके सैक्रेटरीज थे। उन्होंने उस मीटिंग में एस0वाई0एल0 कैनल की कंस्ट्रक्शन के बारे में हम से सारे बयान लिये और यह पूछा कि उसका कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है।

हमारी सारी बात सुनने के बाद प्रधान मंत्री जी ने इस बात का बहुत ही सीरियस नोटिस लिया और यह कहा कि मैं नहीं जानता किसी न किसी तरीके से एस0वाई0एल0 कैनल का काम पूरा करवाया जाए। इसलिए आदरणीय उप प्रधान मंत्री चौधरी देवी लाल जी ने यह कहा है कि अगली फसल तक एस0वाई0एल0 कैनल का पानी हरियाणा में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदमी उस नहर को देखने के लिये आए थे और उनको उस समय हमारी तरफ से बाकायदा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। उन्होंने कहा था कि एस0वाई0एल0 की कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी ही भुरू हो जाएगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर और इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर बार बार यह कह रहे हैं कि हम इस नहर को नहीं बनायेंगे, जब तक यमुना के पानी का फैसला नहीं हो जाता। (व्यवधान व भाोर)

डिप्टी स्पीकर साहब, यह केवल अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये ऐसा कर रहे हैं। इनकी नीयत का सबको पता है। अगर मुख्य मंत्री जी वाकई हरियाणा प्रदेश के हितों के बारे में चिंतित हैं तो वे सीधे प्राइम मिनिस्टर से यह कह सकते हैं कि दोनों प्रदेशों में एक ही पार्टी की सरकारें हैं। पंजाब में और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। मुख्य मंत्री ने एक भाब्द भी इस बारे में कडे भाब्दों में नहीं कहा कि पंजाब के मुख्य मंत्री बार बार ऐसे मुद्दों को क्यों उछाल रहे हैं, जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश के हितों पर कुठाराघात होता है? हमारे मुख्य मंत्री केवल

आ वासन देते हैं और वे भी गलत आ वासन देते हैं। स्पीकर साहब, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। प्राईम मिनिस्टर से इनको कड़े भावों में कहना चाहिये। (व्यवधान व भाोर)

डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्री पंजाब की स्टेटमेंट के बारे में चिन्ता व्यक्त की और यह कहा है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि 1966 की पोजी उन वापिस लाओ। उन्होंने यमुना के पानी में अपने भोयर की बात भी कही है। स्पीकर साहब, अपनी स्टेट में कोई कुछ भी कहता रहे, उसका हरियाणा के ऊपर कोई असर नहीं है और न ही उसका असर सैंटर के ऊपर है। मेरे कहने का मतलब यह है भारत सरकार के ऊपर उस बात का कोई असर नहीं है। अगर हम अपनी स्टेट में यह कहते रहें कि सारा पंजाब हमारा है तो क्या हमारे कहने से सारा पंजाब हमारा हो जाएगा ? आदमी को वह बात कहनी चाहिए जो ठीक हो और बड़ी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। उन्होंने गवर्नर एड्रैस में कह दिया कि यमुना में हमारा भोयर है और हमने भी अपने गवर्नर एड्रैस में कह दिया कि यमुना के पानी में पंजाब का कोई भोयर नहीं है। यह बात सारे सदन को मालूम है। भारत सरकार ने भी यमुना के पानी के मामले में सभी स्टेटस को बुलाया लेकिन पंजाब को नहीं बुलाया। अगर कभी भारत सरकार ने पंजाब को यमुना के पानी के मामले में बुलाया हो तो खद े की बात हो सकती है लेकिन पंजाब को कभी भी नहीं बुलाया गया। भारत सरकार के इरीगे उन के

मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यमुना के पानी में पंजाब का कोई भोयर नहीं है और मैं भी इस सदन को वि वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से भजन लाल ने चण्डीगढ़ के मामले में स्टैंड लिया था, उसी तरह से अगर पंजाब को यमुना के पानी की एक बूंद भी दे देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (गोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, जहां तक एस0वाई0एल0 का सवाल है इस बारे में हम रात दिन लगे हुए हैं कि किसी तरह से बातचीत के जरिए मामला सुलझ जाए, लडाई से कोई लाभ नहीं है। बहुत लडाई लड चुके हैं हम। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में इस नहर की आधार ि ाला रखी थी। उस वक्त से कुछ काम चलता रहा और झगडा भी चलता रहा लेकिन नहर नहीं बनी। चौधरी देवी लाल के पगडी पलट भाई सरदार प्रका ि सिंह बादल ने इस नहर के बनने में काफी अडचन डाली और उनके कारण इस नहर का सत्याना ि हो गया। आप पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार बेअंत सिंह के इस नहर के मामले में बयान की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने परसों ही कहा है और सारे अखबारों में आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए और नहर बननी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, हम तो आ वासन चाहते हैं कि उनको यमुना का पानी नहीं मिलेगा। यहां भी कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में भी कांग्रेस सरकार है। आप प्राईम मिनिस्टर को

जाकर क्यों नहीं कहते कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर ऐसे बयान न दें ?

डिप्टी स्पीकर साहब, अपनी अपनी स्टेट के इंट्रैस्ट का सवाल है। उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। सारे कन्ट्री का मामला है। स्पीकर साहब, सरदार बेअंत सिंह ने पंजाब के अंदर बहुत ही भानदार काम करके दिखाया है। बहुत मुश्किल से पंजाब के हालात ठीक हुए हैं। हो सकता है अपनी स्टेट के मामले में उनकी कुछ मजबूरी हो। उन्होंने पंजाब में बहुत ही भानदार काम करके पंजाब में भ्रान्ति स्थापित की है। वे बहुत पुराने देवभक्त हैं। उनके विभाग में अकेले पंजाब की बात नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने यह कहा है कि नहर बनेगी और पानी हरियाणा को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी उनसे मीटिंग होनी थी पर हो नहीं सकी क्योंकि वे लुधियाना चले गये थे। मेरी उनसे मीटिंग होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा। जब बातचीत से मसला हल हो जाएगा तो नहर हर हालत में बनेगी। इस एस0वाई0एल0 की आधारभूमि मैंने ही रखवाई थी और 95 परसेंट अगर कोई काम करवाया था तो वह भजन लाल ने ही करवाया था और इसका पानी भी भजन लाल ही हरियाणा के अन्दर लाएगा। यह आप लोगों के बस की बात नहीं कि आप कुछ कर सकें। मैं विवास दिलाता हूँ कि एस0वाई0एल0 और यमुना का हरियाणा के हिस्से का एक बून्द पानी भी पंजाब को नहीं दिया जाएगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, ये स्वयं ही ठेकेदार बने बैठे हैं। पानी की रिसर्पोन्सिबिलिटी तो कुलैक्टिव है। सभी की प्रदे 1 के हित में कुलैक्टिव रिसर्पोन्सिबिलिटी है कि पानी हमारे प्रदे 1 को पूरा मिले। हम पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं। लोगों की तकलीफें सुनाने के लिए; लोगों की मांगों पे 1 करने के लिए हम यहां पर चुनकर आये हैं। जब भी हम जनता की आवाज उठाते हैं तो ये हमें दबाने का प्रयास करते हैं लेकिन हम इनकी बातों के आगे झुकेंगे नहीं। हम जनता की आवाज को उठाते ही रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठिये आपका टाइम हो गया है।

चौधरी बलवन्त सिंह मैना: उपाध्यक्ष महोदय, हम किसी भी बात से डरने वाले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको 15 मिनट बोलते हुए हो गये हैं, इसलिए अब आप बैठिये।

चौधरी बलवन्त सिंह मैना: उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदे 1 में पुलिस के थाने बिक रहे हैं। खुलेआम उनसे पैसा लिया जा रहा है

.....

श्री उपाध्यक्ष : जो यह बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) धर्मपाल जी, अब आप बोलें।

श्री धर्मपाल सिंह (दादरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इसकी 75 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। गांव में बसने वाले लोग 90 प्रतिशत हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, जहां तक खेती बाड़ी का ताल्लुक है, वह मुख्यतः तीन साधनों पर ही निर्भर करती है— बारि, नहरें और ट्यूबवैल। जहां तक ट्यूबवैलों का मामला है, मेरे हल्के का कुछ भाग ऐसा है। जहां नीचे का पानी अच्छा है और लोग खेती ट्यूबवैल से ही करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहरी पानी से खेती करते हैं। यहां पर नीचे का पानी खराब है। इसके साथ ही अब मैं इरीगेशन मिनिस्टर साहब को एक सुझाव देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने इरीगेशन के लिये प्रदेश में चार ग्रुप्स बनाये हुए हैं। एक सुन्दर, एक अन्टा, एक और एक बुटाना ग्रुप। इनमें से रिवाडी को भी किसी ने किसी ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाये ताकि इन्हें भी महीने में कम से 7-8 दिन तक पानी तो मिल सके। इस इलाके को इरीगेशन फैसिलिटी देने के लिये किसी न किसी ग्रुप में शामिल किया जाना चाहिये। ताकि वहां के लोगों को भी सिंचाई के लिये पानी मिल सके। वहां पर पानी की बहुत ही किल्लत है। इरीगेशन के मामले में लोगों की भावनाएं बहुत भार्प हैं। पानी के बारे में वहां के लोगों को इन्साफ दिया जाना चाहिये। पन्द्रह साल से वहां के लोगों के साथ गैर इन्साफी की जा रही है। दक्षिणी हरियाणा के साथ अब इन्साफ किया जाना

चाहिए। हमको एक माह में दो हफता नहरी पानी मिलना चाहिये। अब ज्यादा दिन गैर इन्साफी चलने वाली नहीं है। सरकार इस बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और कौनाल वाटर का ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये। इन भाब्दों के साथ मैं मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात बड़े अदब के साथ और अर्ज करना चाहूंगा कि ओला वृष्टि के कारण हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा देना हमने भुलू किया था। जिस समय यह योजना लागू की गई उस समय यह बात सामने आई थी कि हरिजनों का लामणी में जो पांच परसेंट मिलता है वहीं पांच परसेंट इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप से हुए नुकसान के मुआवजे में से भी दिया जाए। वह पांच परसेंट पैसा उनको भी मिलता है। इसके अलावा चौधरी देवी लाल जी ने हरिजनों को दो बच्चों तक बच्चा और जच्चा के लिए इमदाद देने की बात कही थी वह इमदाद भी उनको दी जा रही है। हिन्दुस्तान के किसी भी दूसरे सूबे में हरिजनों को ऐसी सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं। इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने एक परिवार एक रोजगार के बारे में बहुत कुछ कहा। स्पीकर साहब, मेरी समझ में यह बिल्कुल नहीं आता कि रोजगार मिलने से इनको क्या परे पानी है ? (विधन) मोहतरिम स्पीकर साहब, अगर सरकार कोई अच्छी बात करने जा रही हो तो उससे इनको परे पानी नहीं होनी चाहिए। (विधन) आप मुझे बोलने का मौका दें। मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। जैसे हमारे माननीय सदस्य ने बताया, उसी तरह से हमारे जिले में भी बगैर पानी की भूमि में

चने की फसल बाई जाती है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास खराबे की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन उस खराबे का कोई कम्पैन्सेशन देने का प्रावधान नहीं है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री सरदार हरपाल सिंह जी का विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ क्योंकि सरदार हरपाल सिंह का कृषक परिवार से संबंध है और उनको कृषि का बहुत तजुरबा है। चौधरी भजन लाल जी को तो किसान का इतना तजुरबा नहीं है। मैं कृषि मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूँगा कि हमारे भिवानी जिले में दादरी तहसील, लोहारू तहसील यानी जितनी भी तहसीलें हैं, उनमें फसलों के अंदर खराबा है। जो खराबे की रिपोर्ट आयी है, वह तथ्यों से परे है। वहां पर चने की फसल अभी खडी है, मैं चाहता हूँ कि उसका दुबारा से विशेष निरीक्षण करवा लिया जाए ताकि पता चल सके कि आया वाकई कितने परसेंट खराब है। दूसरे मैं कहना चाहता हूँ कि जो 400, 500, 600 और 300 रुपये मुआवजे का दिया जाता है, यह बहुत कम है क्योंकि पहले एक खाद का कटटा 100 रुपये में आता था, वह अब 405 रुपये का हो गया है। इसके अलावा किसान की बिजाई, बाही और बीज आदि पर खर्चा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुआवजे की राशि बढ़ा कर कम से कम 2000 रुपये की जाये ताकि किसानों को राहत मिल सके क्योंकि ये किसान हितैशी बनते हैं। इसके अलावा, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को यह भी सुझाव

देता हूँ कि वे इस विषय पर आज ही अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला कर इस मुआवजे की राशि को बढ़ा दें।

डिप्टी स्पीकर साहब, यह ठीक है कि जो पैसे मुआवजे के देने फिक्स किए हुए हैं, ये पहले के हैं, अब खर्चा भी काफी बढ़ गया है। हम भी मानते हैं कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। हम इस मुआवजे की राशि को बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। एक बात इन्होंने यह कही कि भजन लाल किसान नहीं है। मैं चौहान साहब से पूछना चाहता हूँ कि या तो ये बता दें कि चने, गेहूँ और जीरी में कितने ओडे निकलते हैं, या आप मुझसे पूछ कर देखो, मैं बता देता हूँ और बे एक खेत में जाकर गिन लेना कि मेरी बात सही है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, इसलिए आप जानते हैं

विकास की उम्मीद रखना बिल्कुल फजूल है। इस बजट में प्रदेश के विकास की झलक नहीं दिखाई देती है। इस बजट में कोरी भाब्डों की कारीगरी है केवल भाब्डों की बाजीगरी है। यहां सदन के अंदर बार बार माननीय सदस्य मांग करते हैं कि उनके हल्कों में विकास के कार्य किए जाएं जैसे मैंने अपने हल्के के अंदर कालेज के ग्रांड के बारे में बात कही, होस्पिटल के बारे में बात कही उन सभी बातों का सरकार की तरफ से एक ही जवाब आया कि धन उपलब्ध होने पर उन कामों का निर्माण करने की कोशिश की जाएगी। इस बजट में कहा गया है कि टोटल बजट का 71 परसेंट पैसा देहात के विकास के कार्यों पर खर्च

किया जाएगा। मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि वह 71 परसेंट पैसा देहात के कौन कौन से विकास के कार्यों पर खर्च करेगी ? उस बारे में इस बजट में कुछ नहीं बताया गया है। मेरे हल्के में 6-7 गांव ऐसे हैं जो सडक न होने के कारण टोहाना से नहीं जुड़े हुए। उन गांवों की सडकों बनाने के लिये मैंने सरकार को लिस्ट दे दी है। बरसात के दिनों में उन 6-7 गांवों के किसान अपना अनाज की मंडी में नहीं ला सकते। सडक न होने के कारण उन गांवों के किसानों को बहुत ही परेशानी होती है। जब मैंने उन सडकों के निर्माण के बारे में कहा तो सरकार की तरफ से यही जवाब दिया गया कि धन उपलब्ध होने के बाद उन सडकों का निर्माण कार्य भुरू हो पाएगा। मेरे हल्के में 1988 में बहुत फलड आया था। उस समय रंगोई नाले के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गई थी। दो साल बीत गए सरकार ने उस रंगोई नाले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रंगोई नाला हर साल उस क्षेत्र में नुकसान करता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार उस नाले के चौड़ा कराए ताकि मेरे हलके में किसानों की फसलें तबाह न हों। एक बात मैं भूना भूगर मिल के बारे में कहना चाहता हूँ। उस मिल की कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए एक ठेकेदार बीच में ही भाग गया। हमें पता लगा है कि उस ठेकेदार ने उसमें करोड़ों रूपये का गबन किया है। (गोर) इस ओर भी सरकार ध्यान दे। मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूँ कि उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक रखा। (विघ्न) जहां तक कर्मचारियों को सुविधा देने की बात है हमारी सरकार ने

अपनी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रखा। सरकार ने उनकी मांगे पहले ही पूरी कर दीं अब तो ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिये कहते हैं कि हम उनके साथ हैं वरना और कोई बात नहीं है। इस सरकार ने 24 घंटे बिजली देकर किसानों को बहुत खुलाहाल बनाया है। मेरा हलका पैडी का हल्का है वहां पर बिजली की बहुत कमी रहती है। पिपली का जो सब स्टेसन है वह पहले 66 केवी का था और अब वह 132 केवी का मंजूर हुआ है। मेरा निवेदन है कि उसे भीघ्र पूरा किया जाए। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 815 रूपये बांधी है इसके लिये मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर हरेक को बोलने की इजाजत दी जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रोजैक्ट के लिए विदेशी सेवा प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श चल रहा है जिसको सम्भवतः भीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। आगे श्री जैन ने यह भी अनुरोध किया कि वे इस प्रोजैक्ट को हरियाणा में फरीदाबाद के निकट लगाना चाहेंगे जिसके लिए उनके पुत्र नरेन्द्र जैन ने एक प्रस्ताव औपचारिक तौर से सचिव पर्यटन को पहले ही भेज दिया है। (गौर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि अगर सारे मामले की जांच करवा दें तो बहुत कलई खुल जाएगी। (गौर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा के मामले में सचमुच में सराहनीय कार्य किया है और कर रही है। इसमें बहुत

कानूनी पहलू हैं। मु तरका मालिकान की जमीन पंचायत के नाम से ट्रांसफर करवा दी और वह जमीन पंचायत से आगे बिक गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात की तह में जाएंगे।

स्पीकर साहब, सदन में इस बात का भी जिक्र आया कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकों के पांच हजार पद खाली पड़े हैं। मैं हाउस को वि वास दिलाता हूं कि हम अध्यापकों के खाली पड़े पदों को बहुत जल्दी भरेंगे। जिस स्कूल में भी टीचर्स की कमी है उस कमी को पूरा कर देंगे। एक बात स्कूलों को अपग्रेड करने के बारे में कही गई। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार जाते जाते एक बड़ी भारी गलत बात कर गई। बजट में पैसा नहीं है। बहुत मामूली पैसा है। उस सरकार ने वोट लेने के लिए स्कूल अपग्रेड कर दिए। पिछली सरकार ने जाते जाते 350 स्कूल अपग्रेड करने के आर्डर कर दिए। वह आर्डर हमें आकर रद्द करने पड़े। उस सरकार ने यह नहीं देखा कि बिल्डिंग है या नहीं है। जब कोई स्कूल अपग्रेड किया जाता है तो वह नौर्म्ज के मुताबिक अपग्रेड किया जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन स्कूलों को अपग्रेड करके इन्हें सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाया जाए। इसके साथ साथ मैं टैक्नीकल शिक्षा के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने भी नौर्म्ज के मुताबिक ही स्कूल अपग्रेड किए थे और वह आर्डर लागू भी हो गए थे। मैं इस सरकार से कहता हूं कि पिछली सरकार ने जो कोई स्कीम बनाई उसको मिटाओ नहीं। आपने तो

आते ही मलियामेट कर दिया। आपने पिछली सरकार की स्कीमों के बारे में यह फैसला कर लिया है कि उन सभी स्कीमों को मिटा दो। मैं जानना चाहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग कालेज गुडगांव में खुलना था उसे कब तक खोलने जा रहे हैं

, मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है। आज भी मैं उनकी कद्र करता हूँ जैसे पहले करता था। अगर मैंने कोई गलती की होगी, उनकी भान के खिलाफ कोई लफज कहा होगा तो मुझे वह मानने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भार्म नहीं है। मैं माफी मांगने के लिए उनके घर तक जाऊंगा। गुप्ता जी सिद्धान्तवाद की बात करते हैं और मैं तो उनके सिखाये हुए सिद्धान्तों की ही बात करता हूँ। स्पीकर साहब, कल डिप्टी स्पीकर महोदय का इलैक्शन हुआ तो इन भाईयों ने कांग्रेस पार्टी की स्पोर्ट ली। गुप्ता जी बता दें कि कांग्रेस की स्पोर्ट लेना उनका कौन सा सिद्धान्त था और अपने आप को सिद्धान्तवादी कहना कहां तक उचित है ? स्पीकर साहब, कल से काफी कुछ गलत बातें मेरे खिलाफ कही गईं, हम चुप चाप बैठे सुनते रहे, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। मैं इस असेम्बली में बता रहा हूँ कि मैंने सारी जिन्दगी गालियां खाई हैं लेकिन भडका नहीं। किसी ने और गालियां देनी हों तो दे लें। ये कहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें, इस बारे में सारी कहानी होम मिनिस्टर साहब ने बता दी है। (गोर) मेरी प्रार्थना है कि उन प्लेटस को ट्रांसफर करने की आज्ञा होनी चाहिये ताकि जो लोग

इंडस्ट्रीज लगाने के इच्छुक हैं, वे लोग उन प्लॉटों को खरीद सकें और नई इंडस्ट्रीज लगा सकें।

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोडा): यह प्रोवीजन हम करने जा रहे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह: धन्यवाद, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार परिवहन की ओर भी कुछ ध्यान देवे। दादरी बस स्टैंड व वर्कशाप के काम को पूरा किया जावे और उस इलाके को पर्याप्त मात्रा में बसें भी दी जावें और फोर व्हीलरज वगैरह के नाजायज चालानों को रोका जाये। यहां तक कि मोहकान जाने वाली व रि तेदारों के जाने वाली गाड़ियों के नाजायज चालान भी कर दिये जाते हैं। जलसे, जलूस में जाने वाली गाड़ियों के चालान भी कर दिये जाते हैं। 2424 नम्बर गाडी का चालान जी0एम0 भिवानी ने पिछले दिनों किया और उस बेचारे ने 200 रूपये जुर्माना अदा किया, यह गलत बात है। बस इतना कहते हुए और आपका धन्यवाद करता हुआ इतना ही कहूंगा कि मुझे आज बहुत थोडा टाईम दिया गया है और इसलिये मैं अपने हल्के की पूरी बात भी नहीं कह पाया। धन्यवाद।

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरे बारे में सी0एम0 साहब ने कहा है इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाये। (गोर)

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, इन साथियों ने कल भी हाउस को चलने नहीं दिया था और आज भी इनका यही विचार लगता है। इसलिए आप कृपया हाउस के आज के बिजनैस को भुरु करवायें। (गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरे खिलाफ सी0एम0 साहब ने आरोप लगाए हैं इसलिए आप मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का मौका दें। (गोर)

Mr. Speaker: Gupta ji, I would not permit you. (Interruptions). I will not permit any body. Please take your seats.

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, यह तो मेरे साथ ज्यादाती होगी क्योंकि आप मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं देना चाहते। (गोर)

Mr. Speaker: Gupta ji, you please take your seat. (Interruptions)

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, जिन बातों का जिकर इन्होंने किया है वह मेरे से ताल्लुक रखती हैं। यदि आप मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का मौका नहीं देते तो वह मेरे साथ ज्यादाती होगी। (गोर)

Mr. Speaker: Everybody should listen please. I am not going to hear anybody in this respect now. (Interruptions). Nothing is to be recorded which is said without my permission.

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब,

...

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारि है अभी मुख्य मंत्री महोदय ने बोलते हुए स्वयं यह कहा है कि अगर बी०डी० गुप्ता जी इस बारे में अपना जवाब देना चाहें तो बाद में दे सकते हैं। (गोर)

Mr. Speaker: No, I am not going to hear anybody now. (Interruptions).

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है कि इन्हें बोलने का मौका दिया ही जाना चाहिए। (गोर)

Mr. Speaker: No further discussion on this matter now. (Interruptions).

Sh. Ram Bilas Sharma: Mr. Speaker, Sir

Mr. Speaker: Please take your seat and let me hear Ch. Verender Singh.

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यदि आप हमें अपनी बात स्पष्ट करने का मौका नहीं देते और बी०डी० गुप्ता जी को अपनी बात स्पष्ट करने का मौका नहीं देते तो हम विरोध स्वरूप वाक आउट करते हैं।

(इस समय जनता दल के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, सी0आई0डी0 करते हुए जो दो कर्मचारी पकड़े गए हैं और जिस पर इतनी देर तक बहस हुई है, उस पर सरकार की ओर से जो जवाब आया है, वह एक झूठी कहानी पर आधारित है। हम इस जवाब से सन्तुष्ट नहीं हैं। (गोर)

Mr. Speaker: Ch. Mohinder Pratap Ji. This is not the way. (Interruptions). You please take your seat.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : सरकार की तरफ से सही जवाब नहीं आया है इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय कांग्रेस (आई) पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, आप हमारी बात को भी सुनिए। (गोर)

Mr. Speaker: Ram Bilas Ji, No further discussion on this subject now. (Interruptions)

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें।

Mr. Speaker: Ram Bilas Ji, this is not the way. I will not give you time. Please take your seat.

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने इस मामले पर जो जवाब दिया है, वह एक झूठी कहानी है।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज सर्वश्री रतन लाल कटारिया और हीरा नन्द आर्य एम0एल0एज0 की 4 तारीख को ऐडमिट की गई काल अटैं इन मो इंज नं0 6 और 9 क्रम 1: जो कि राज्य में भार्टेज आफ डीजल और पैट्रोल के बारे में थी, पर कल दिनांक 6.3.1991 को फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर ने स्टेटमेंट देनी थी लेकिन हाउस के ऐडजर्न होने की वजह से नहीं दे सके थे। वे अब अपनी स्टेटमेंट दें।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा): जनवरी, 1991 में खाड़ी युद्ध के फलस्वरूप जनता में अचानक थोड़े समय के लिए अविवास पैदा हो गया था कि कहीं आवश्यक वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाये। इस सन्देह के कारण कुछ लोगों ने गेहूं, डीजल आदि का भण्डार उनकी सामान्य आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में करना शुरू कर दिया। यह अस्थायी रूप में कुछ अवधि के लिए कमी का कारण बना। फिर भी इस स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए जन वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से चलाया गया। जन वितरण प्रणाली के तहत 6532 उचित मूल्य की दुकानें जिसमें से 2087 बाहरी क्षेत्र में तथा 4445 ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं को जनता में पहुंचाने हेतु खोली हुई हैं। ये उचित मूल्य की दुकानें चीनी, गेहूं, चावल, खाद्यान्न तेल, मिट्टी

का तेल निश्चित दरों पर बांटती हैं। डीजल तथा पेट्रोल राज्य में स्थित पम्पों द्वारा बांटा जाता है। स्थिति से निपटने के लिए जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं गतिशील बनाया गया। जन वितरण प्रणाली के तहत एवं खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धि को सुनिश्चित किया गया है। राज्य की मासिक सामान्य गेहूं की एलोकेशन 10000 टन है, परन्तु मास जनवरी तथा फरवरी 1991 में जन वितरण प्रणाली के तहत 50000 टन गेहूं जारी की गई। इसके अतिरिक्त 30000 टन गेहूं मास मार्च 1991 में जन वितरण प्रणाली के तहत वितरण करने हेतु एलोकेशन की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए गेहूं तथा आटे की कीमतें असामान्य रूप में न बढ़ें, राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य से गेहूं तथा आटा बाहर भेजने वाले प्रतिबन्ध लगा दिया है। जमाखोरी को रोकने के लिए थोक तथा खुदरा विक्रेताओं के भण्डारण पर राज्य सरकार ने 250 क्विंटल गेहूं एवं चावल तथा 50 क्विंटल गेहूं एवं चावल की क्रमशः भण्डार सीमा निर्धारित की है। गेहूं की सप्लाई को बढ़ाने के लिए मास जनवरी तथा फरवरी 1991 में 43000 टन गेहूं राज्य में स्थित फ्लोर मिल्स, चक्कीज तथा व्यापारियों को जारी की गई। डीजल तथा पेट्रोल की सप्लाई भी बढ़ाई गई यद्यपि आरम्भ में भारत सरकार ने हाई स्पीड डीजल पर 20 प्रतिशत की कटौती लगाई थी परन्तु तुरन्त ही इस मामले को भारत सरकार से उठाया गया और सप्लाई की पुनः बहाल करा लिया गया। इसके अतिरिक्त 2298 किलो लीटर हाई स्पीड डीजल

कृषि क्षेत्र के लिए भारत सरकार से प्राप्त किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि, औद्योगिक क्षेत्रों तथा जनता को नियमित तथा बिना बाधा डीजल तथा पेट्रोल की सप्लाई जारी रखने हेतु सामयिक कदम उठाये गए। जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी भिन्न-2 नियन्त्रण आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए कड़ी हिदायतें जारी की गईं ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि सुगमता से बनी रहे। हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त उठाए गए कदमों के फलस्वरूप राज्य में डीजल तथा पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हो रही हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि खाडी युद्ध के कारण कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर डीजल और पेट्रोल का भण्डार कर रखा है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पेट्रोल/डीजल के गैर कानूनी भण्डार के लिए क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या किसी ने अगेन्स्ट केस दर्ज किया गया है? यदि हां, तो कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई या केस दर्ज किए गए हैं?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ डीजल और पेट्रोल की ही बात कर रहे हैं। मैं इनको थोड़ा सा ब्यौरे से बता देता हूँ जिसमें दूसरे खाद्यान्नों के वितरण के बारे में जिक्र है।

श्री अध्यक्ष: आप इन्हें इतना ही बताइये कि कोई केस दर्ज किया है या नहीं किया है ?

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, पेट्रोल और डीजल के लिए हरियाणा में लम्बी लम्बी लाईनें लगती हैं। किसानों को ट्रैक्टर तथा ट्यूबवैल्ज चलाने के लिए डीजल नहीं मिलता। कुछ स्टाकिस्ट्स ब्लैक मार्किटिंग करने के लिए गैर कानूनी ढंग से इनका स्टाक करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आर्य जी, आपने सवाल पूछा ही नहीं। आपका सवाल क्या है ?

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि जलसे करने पर जो हजारों लीटर और पेट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे कामों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, हीरा नन्द आर्य जी ने यह सवाल उठाया है कि तेल की कमी है, इसके लिए क्या स्टैप्स सरकार ने लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई तेल लेने के लिये जाता है, तो उसको यह पता चलता है कि इसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। थोड़ी सी किल्लत जरूर है इसीलिये हमने

थोडा सा इसके लिये क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि किसान के ट्रैक्टर को कितना डीजल मिलेगा, ट्रक वाले को कितना मिलेगा और फोर व्हीलरज वालों को कितना मिलेगा। इसके लिये कोई रिस्ट्रिक्ट इन नहीं है कि कोई आदमी कितना तेल ले सकता है इसके लिये कोई रुकावट नहीं है, कोई कितना भी तेल ले सकता है।

डा० हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैंने भी एक ध्यानाकषण प्रस्ताव आपके सामने रखा था कि गेहूं की सप्लाई में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है।

श्री राम बिलास भार्मा: मेरा भी इसी विषय पर एक प्रस्ताव था, उसका क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष: आप दोनों के कालिंग अटैं इन मो इन्ज नं० 1 और 19 इसी मो इन के साथ अटैच कर दिये हैं आप भी एक एक सवाल क्लैरिफिके इन लेने के लिए पूछ सकते हैं और मंत्री जी आपको जवाब दे देंगे।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि हमारा हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। परन्तु आज गांव के अन्दर रा इन का गेहूं मिलता नहीं है। जगह जगह से ि कायते आ रही हैं। क्या मंत्री महोदय फूड एंड सप्लाई विभाग को टोन अप करेंगे ? खास तौर पर रिवाड़ी, महेन्द्रगढ और

गुडगांव जिलों की िाकायतें हैं। इस बारे में क्या मंत्री महोदय कुछ करैंगे ?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, जहां का यह जिक्र करते हैं, मैंने खुद वहां का दौरा किया है और वहां पर खुद डिपो होल्डर से बात की है। वहां पर उस समय यह पता चला था कि डिपो होल्डर कनक नहीं उठा रहा है। (विधन) यह पैतावास की बात है। मैंने वहां पर खुद दौरा किया है और लोगों से पूछा है कि आप कनक क्यों नहीं ले रहे हो? यह दिसम्बर के महीने की बात है। उस समय बाजरे का भाव 220 रूपये बोरी का था और पी0डी0एस0 की गेहूं का भाव 250 रूपये था। उस वक्त उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। उसके बाद जनवरी में उन लोगों ने सौ बोरी कनक की मांग की। मैंने पूछा कि अब क्या बात है ? तो वे कहने लगे कि अब बाजार में बाजरे का भाव 280 रूपए पहुंच गया है। लेकिन पी0डी0एस0 के गेहूं का भाव 2650 रूपए है इसलिए हमें गेहूं चाहिए। स्पीकर साहब, जिन लोगों ने कनक की मांग की है, उस सब को कनक दिया गया है। यह हो सकता है कि सारी मांग पूरी न कर पाएं हो। कई बार ऐसा होता है कि कौनफैड या प्राईवेट डीलर पैसा जमा नहीं कराते इसलिए वहां कनक नहीं पहुंचती लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कनक की कोई कमी नहीं है जितनी मांग करेंगे, उतनी कनक हम देंगे। सरदार हरनाम सिंह तो दो दो किलो की मांग कर रहे हैं, अगर वह चाहें तो मैं अस्सी अस्सी किलो भी दिलवा सकता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट 4 तारीख को पे 1 हुई थी। उस समय मैंने कहा था कि मुझे खद 11 है कि नौन औफि रिायल डे को ये औफि रिायल डे में कन्वर्ट करेंगे और आपने मजाकिया तौर पर कुछ कहा जैसा कि आप कहते हैं। लेकिन मैंने तब भी अर्ज किया था कि नौन औफि रिायल डे को औफि रिायल डे में कन्वर्ट करने से जो मैम्बर्ज अपना कोई प्राइवेट रैजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं उनके हकूक पर बडा भारी असर पडता है। स्पीकर साहब, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 तारीख तक सैशन चलना है और अगर इस बिजनैस के लिए या किसी और बिजनैस के लिए दो दिन और सैशन बढा दिया जाए तो इसमें क्या अन्तर आ जाएगा। केवल इसलिए आज का दिन औफि रिायल डे में बदला जा रहा है कि सैशन पन्द्रह तारीख तक जरूर खत्म करना है। मैजोरिटी इनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस मोडेशन को ये यहां पेर पास भी करा जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम हम आपसे यह ऐक्सपैक्ट तो करते हैं कि आप गवर्नमेंट को कहें, मुख्य मंत्री को कहें और मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स को कहें कि वे अपनी मैजोरिटी का दुरुपयोग न करें। जो नौन औफि रिायल बिजनैस होना था उसको ट्रांजैक्ट होने दें, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री राम बिलास भार्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमति प्रकट करता हूँ। जो प्राइवेट मैम्बर्ज डे को सरकारी दिन में बदला जा रहा है, यह ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, आप के पास पांच प्रस्ताव आए हैं। मेरा कहना यह है कि ऐसी कोई प्राथा न डाली जाए जिससे आगे जाकर गलत असर पड़े। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि बिजनैस कम है और दूसरी तरफ नौन औफिियल डे को औफिियल डे में बदला जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको कन्वर्ट न करें। यह गलत रिवाज पड जाएगा।

श्री जयपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी को बच्चों की लिखित परीक्षा थी। उसमें आम जनता के बच्चे भी बैठे थे और सिफारिशि बच्चे भी बैठे थे। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से रिकवैस्ट करूंगा कि आज अगर हमें अपने मुद्दों पर बोलने का पूरा समय न दिया गया तो हम अपने हकों को यूज नहीं कर पाएंगे। जिस काम के लिए हमें जनता ने यहां हाऊस में चुनकर भेजा है वह काम हम पूरा नहीं कर पाएंगे और हम इसके लिये जनता के साथ अन्याय ही करेंगे। आप मुझे भागिल करे ताकि मैं बच्चों के बयान दिलवा कर सच्चाई को सिद्ध कर सकूँ। यह कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है, यह स्पोर्टस स्कूल है। इस स्कूल से कर्नल, बिग्रेडियर और दूसरे बडे अधिकारी बनने वाले बच्चे निकलते हैं इसलिए मेरी आपसे मांग है कि इसकी जांच अव य करवाएं। धन्यवाद।

श्री रामपाल सिंह कंवर (घरौंडा): डिप्टी स्पीकर साहब, आज इस एप्रोप्रिएटन बिल को सरकार पास करने जा रही है। मैं कुछ ही मिनटों में अपनी दो चार बातें कह कर अपना स्थान लूंगा। जो सप्लीमेंटरी ऐस्टिमेट्स आये हैं मैं उन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में आया है कि जो एच0सी0एस0 के पेपर्ज हुए उनमें मास चीटिंग हुई है और इस तरह से इस साईड में जो पैसा खर्च किया गया है वह बेकार में ही खर्च किया गया है। जो सरकार अपने सिटिजनन्ज की रक्षा नहीं कर सकती तो वह और क्या कर सकती है ?

स्पीकर साहब, अब मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। इस डिमांड के तहत भी काफी पैसा खर्च किया गया है। इस बारे में मैं अपने हल्के के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे हल्के की भी ओलावृष्टि से काफी फसल खराब हुई है लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा दिए जाने बारे मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं हुई है। इसलिए इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस डिमांड के तहत भी काफी पैसा खर्च किया गया है। इसमें आफिसर्ज के टी0ए0/डी0ए0 पर भी बहुत अधिक पैसा खर्च किया हुआ दिखाया गया है। इन डिमांड के बारे में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जो सेल्ज टैक्स बैरियर्ज हैं उन पर काफी लूट मच रही है इसको सरकार आज तक कन्ट्रोल नहीं कर पाई है। इसलिए मेरा सरकार से

अनुरोध है कि वहां जो लूट मचाई जा रही है उसको रोका जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस डिमांड के तहत भी बहुत अधिक पैसा खर्च किया गया है। लेकिन सरकार का कानून और व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेरे हल्के रिवाडी की हालत बहुत ही खराब है। वहां पर आए दिन डकैती और मर्डर हो रहे हैं लेकिन इस तरफ सरकार को कोई ध्यान नहीं है। वहां पर हालत यहां तक आ पहुंची है कि हमारी महिलाएं आजादी से अपने खेतों में काम करने नहीं जा सकती। इस डिमांड के तहत जो पैसा मांगा जा रहा है वह फिजूल में ही मांगा जा रहा है। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल हो तो बात समझ में आने वाली है। जो समस्या मैंने इस बारे में अपने हल्के की बताई उसको ध्यान में रखते हुए मेरे हल्के की कानून व व्यवस्था की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मेरे हल्के के अंदर 1987-88 और 1988-89 में रिवाडी से रामगढ भगवानपुर नहर पर एक पुल बनाने का आवासन दिया गया था। हाउस में इस बारे में दो बार आवासन दिया जा चुका है लेकिन उस पर अभी तक काम भुरू नहीं हुआ है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ ध्यान देते हुए इस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ऐसी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिस तरफ आज तक किसी ने नहीं दिलाया है। पानीपत से अम्बाला तक जो जी०टी० रोड पर फोर लेनिंग का काम होना था वह अभी तक नहीं हुआ है। वहां पर आए दिन ऐक्सीडेंट्स होते हैं और काफी नुकसान होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पानीपत से अम्बाला तक जी०टी० रोड की फोर लेनिंग का काम जल्दी से जल्दी कम्प्लीट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस डिमांड के तहत मैंने सेन्टरी बोर्ड की प्रोसिडिंग्स देखी है। उसकी रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि रिवाड़ी क्षेत्र और महेन्द्रगढ़ जिले के लिए बहुत कम पैसा दिया गया है।

स्पीकर साहब, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आने वाले बजट में हमारी जो 3.47 करोड़ रुपये की पानी की योजना है उसके लिए सरकार पैसा रखे ताकि हमारे इलाके के लोगों की पानी की समस्या दूर हो सके।

फूड एण्ड सप्लायज के बारे में है। इसमें ट्रेडिंग ऐक्सपेंसिज बहुत ज्यादा रखे गये हैं। गेहूं साढ़े पांच रुपये किलो के हिसाब से ब्लैक में बेचा जा रहा है और सरकार का इस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। बड़े बड़े डिपो होल्डर्स गेहूं की ब्लैक कर रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चैक करने के लिए

नहीं जाता। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अगली बात मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। हमारे इलाके में जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनमें पानी बहुत कम आता है। लाधुवास, बालावास और बालियर खुर्द के टेल पर होने के कारण उनमें पानी नहीं आता या बहुत कम पानी आता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट बना कर मैंने माननीय इरीगे टन मन्त्री जी को भेजी है लेकिन इरीगे टन मिनिस्टर की ओर से मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है कि वह लिस्ट उन्हें मिली या नहीं।

स्पीकर साहब, अब एक्साईज के बारे में है, पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। यह बड़े ही भार्म की बात है कि आज महात्मा गांधी के दे टा में भाराब की बिक्री को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। (विघ्न)

यह ठीक है कि जो पैसे मुआवजे के देने फिक्स किए हुए हैं, ये पहले के हैं, अब खर्चा भी काफी बढ़ गया है। हम भी मानते हैं कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। हम इस मुआवजे की राशि को बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। एक बात इन्होंने यह कही कि भजन लाल किसान नहीं है। मैं चौहान साहब से पूछना चाहता हूँ कि या तो ये बता दें कि चने, गेहूँ और जीरी में कितने ओडे निकलते हैं, या आप मुझसे पूछ कर देखो, मैं बता देता हूँ और

बे एक खेत में जाकर गिन लेना कि मेरी बात सही है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, इसलिए आप जानते हैं और चौधरी अमर सिंह भी जानते हैं कि जब भी फसलों की गिरदावरी होती है तो उसकी इंसपैक्टिव नानायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस0डी0एम0 करते हैं और डी0सी0 भी 10 या 15 परसेंट तक चैक करता है कि आया गिरदावरी ठीक हुई है या नहीं। जहां तक फसल के खराबे की बात है, खराबा अलग चीज है और मुआवजा देना अलग चीज है। खराबा क्या होता है ? खराबा वह होता है कि अगर फसल खराब हो गई और उसका आबियाना माफ करना है तो वह स्पैक्टिव गिरदावरी के तौर पर माफ किया जाता है।

स्पीकर साहब, मैं अपनी बात पर ही आ रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि मेरे बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है, यह बिल्कुल निराधार है, गलत है, और बेबुनियाद है कि किसी व्यक्ति से पैसे लेकर मैंने लाईसेंस दिया ही। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं। मैं इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे एक इन्क्वायरी कमीशन बिठा दें। जब से यह सरकार बनी है तब से लेकर आज तक के सारे कालोनाईजेरों के और सारे हुड्डा के मामले की वह थोरो इन्क्वायरी करे। उसमें जो जो भी दोषी पाया जाये, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें। मैं इस बात का चैलेंज स्वीकार करता हूं। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं। मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं इनका चुनाव घोशणा पत्र जो है, उसके अनुसार ये लोकायुक्त द्वारा जांच की घोशणा कर दें।

मेरे मामले भी और दूसरे सारे मामले भी सारे इसके सुपुर्द कर दें और यह देखें कि इस हमाम में कौन कौन नंगे हैं। इस किस्म के झूठे और निराधार आरोप लगा कर यह हमारी जुबान को बन्द करना चाहते हैं। यह जांच की घोशणा कर दें। लोकायुक्त नियुक्त कर दें। इसके अन्दर सारे मामले वीरेन्द्र सिंह जी का मामला सूरजभान जी का मामला भी और सारे मामले लोकायुक्त को सुपुर्द करें और देखें कि कौन कितने पानी में है। यह सारा पता लग जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राज्यपाल महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सारे प्रदेा में बहुत ही निष्पक्ष चुनाव करवाए, किसी जगह भी गुंडा गर्दी बूथ कैपचरिंग नहीं होने दी। मैं सारे प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूँ। जो इलैक्ट्रान से जुड़े हुए लोग थे उन सभी अधिकारियों ने बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ काम करके जो प्रदेा पर बहुत बडा कलंक लग गया था उस कलंक को धोने की कोशिश की है। उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र में अगर हम प्रजा को वोट न डालने दें तो प्रजातन्त्र का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि इसी वोट के लिए कितनी ही माताओं के सपूतों ने और बहिनों के भाइयों ने फांसी के फंदे को चूमा। प्रदेा में पिछले चार सालों में किस तरह से प्रजातन्त्र की हत्या की गई थी, इसकी मिसाल इतिहास में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि बहुत विस्तार से चर्चा की, मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो बातें कही गई हैं उनको दोहराने का

फायदा नहीं है। लेकिन जिस तरह की हालत जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया वह बड़ा भारी दुखदाई है। चौधरी देवी लाल जी प्रजातन्त्र की बड़ी दुहाई दिया करते थे। किस तरह से प्रजातन्त्र की धज्जियां उन्होंने उड़ाई इसकी मिसाल नहीं मिलती। प्रजातन्त्र ही नहीं उम्मीदवार की हत्या कर दी गई।

गांव में अस्पताल नहीं है, स्कूल में स्टाफ नहीं है। पीने के पानी का इंतजाम सरकार ने किया है, सडकों का जिक्र है। हरियाणा में भायद ही कोई गांव ऐसा होगा जो एक सडक से न जुडा हो। रामपाल सिंह जी का गांव तो 6 सडकों से जुडा हैं यह विकास की ही बात है। सडके की मुरम्मत की िाकायत हो सकती है, जो चीज बनेगी, उसको इस्तेमाल किया जाएगा उस पर ट्रक, ट्रैक्टर और छोटी सवारी भी चलती है। एक खास बीमारी यह कि गांव हो या भाहर हो, घर का पानी टूटी का पानी, नलके का पानी सडक पर जमा हो जाता है। उस सडक का ध्यान उस वक्त कोई भी व्यक्ति नहीं करता लेकिन सडक पर जो पानी जमा हो जाता है, यह सडक को बरबाद करता है। तारकोल और पानी का बैर ऐसा है जैसे सांप और न्योले का हैं समय समय पर मुरम्मत करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से मैं यही निवेदन करना ाहता हूं कि आपकी जो मांगें हैं चाहे सडक की मुरम्मत की है और चाहे सडक बनाने की है, उसको पूरा करने की को िा की जाएगी। कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज किया कि कुछ सडकें अधूरी रह गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि

सरकार का पूरा प्रयास होगा कि हरियाणा की कोई सड़क बिना मुरम्मत न रहें। आज चारों तरफ सड़कों पर काम होता दिखाई देता है। चाहे जी०टी० रोड की बात है और फोर लेनिंग की बात है और चाहे पुल बनाने की बात है। स्पीकर साहब, हरियाणा में इस बात की मिसाल नहीं मिलेगी कि पानीपत के अन्दर दो पुल यानि दो ओवर ब्रिज एक ही समय में बनाए गए हैं। ऐसी मिसाल अभी तक नहीं है। यह पानीपत के लोगों की मांग थी और इसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। सतबीर सिंह कादियान पानीपत के बारे में बहुत बात करते हैं यदि मैं विषय से हट कर बोलता तो मैं यह कहता कि इनके राज में अराजकता थी और बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं थी। स्पीकर साहब, जहां तक साधन जुटाने की बात है, मैं कहता हूँ कि मार्किटिंग बोर्ड के पास जो 100 करोड रूपए हैं, वे किसानों की भलाई के लिए लोगों की भलाई के लिये खर्च नहीं कर सकता। मार्किटिंग बोर्ड उस पैसे को वैसे ही अपने काबू में रखे हुए है। मैं कहता हूँ कि ऐक्ट में तरमीम की जाए और 100 करोड रूपया स्टेट ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था उस समय मैं एस्टिमेट्स कमेटी का चेयरमैन था, मैंने अधिकारियों से यह कहा था कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जब तक सरकार के पास साधन नहीं होंगे, तब तक बिजली बोर्ड सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं साधन जुटाने की बात करता हूँ हमारे पास जो साधन हैं, उनमें यह देखने वाली बात है कि आया वे ठीक खर्च होते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक रूलिंग दी जिसकी

बिना पर मार्किटिंग बोर्ड उस पैसे को उन विशयों पर खर्चना चाहता है, जिनकी आज जरूरत नहीं है, इससे हमें नुकसान होता है। मेरा कहना है कि इस एक्ट के अंदर यह अमेंडमेंट कराई जाए ताकि this money can be a part of Budget and a part of the State Exchequer. It should be part of the State Exchequer. इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से उस पैसे को सरकार लोगों की भलाई के लिये, खास करके किसानों की भलाई के लिए खर्च कर सकती है क्योंकि यह पैसा किसानों से इकटठा होता है। अभी फसल बीमा योजना की एक स्कीम पायलट की जा रही है। और मेरे ख्याल से यह स्कीम फाईनल होने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का यह कहना है कि हरियाणा में आने वाले पांच सालों में बिजली की खपत दुगनी हो जाएगी। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर खपत डबल हो जाएगी तो इसको आप पूरा कैसे करेंगे ? दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो हाइडल पावर पार्वती प्रोजैक्ट का एग्रीमेंट किया गया है, वह भी 10 साल से पहले पूरा नहीं होगा और न ही उससे पहले बिजली मिल पायेगी। इसी प्रकार यमुना नगर का जो गैस बेस्ड प्लांट पेपरों पर है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके अलावा जो हिसार का थर्मल प्लांट बनना है, वह अभी तक पेपरों पर भी नहीं है। इसी प्रकार से नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट का भी कुछ पता नहीं कि उससे कब बिजली मिलेगी। इसलिये इन सारी चीजों को देखते हुए कडे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि बिजली को अधिक से अधिक पैदावार हो सके। इसके

अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे यहां बिजली उत्पादन के साधन इतने नहीं हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकें तो फिर ये ने नेशनल ग्रिडस में से कितनी बिजली प्राप्त कर सकेंगे ? इसलिये सरकार को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह सोचना चाहिये कि हम बिजली की जनरेटन कैसे बढ़ा सकते हैं ? बिजली बोर्ड 1000 करोड़ रुपये की गारन्टी देने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिये कि बेनामक बिजली बोर्ड एक अलग से ऑटोनोमस बाडी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती क्योंकि सरकार का काम बिजली बोर्ड को गाइड करने का भी है, इसलिये सरकार को किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी चाहिये। हम एक एक गांव में जगह जगह पर गए। लोगों को इकट्ठा करके सदभावना का माहौल बनाने की कोशिश की और हमारी यह कोशिश कामयाब रही और हमारी कोशिश आज भी है। स्पीकर सर, हमने यह तय कर लिया है कि अमन रखें। मार्किटिंग बोर्ड को पैसा किसानों से आता है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि किसानों से ही पैसा नहीं आता जबकि किसान मैं भी हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि पैसा व्यापारियों से भी आता है, और कन्ज्यूमर्स से भी आता है। (गोर) किसान भाहरों में भी रहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, अभी बत्रा जी ने कहा कि पैसा व्यापारियों से भी आता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मार्किटिंग बोर्ड को जो फीस मिलती है वह किसानों की जिन्स से मिलती है, इस बात को ये ध्यान में रखें। (गोर एवं विघ्न)कि पैसा व्यापारियों से भी आता है

और कन्ज्यूमर्ज से भी आता है। (तोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, डा० साहब बहुत पढे लिखे आदमी हैं और इन्होंने पी०एच०डी० भी कर रखी है। हम तो साधारण आदमी हैं इसलिए ये खुद ही समझ लें कि क्या लिखा है। उन्होंने अच्छी बातों को जैसे कर्जा माफी है और पैन्शन की बात है उसकी भी बैसाखी बनाने की कोशिश की। यह गलत बात है इनको अच्छी बात को तो अच्छा कहना चाहिए था।

वे झुग्गी झोंपड़ियों का भी जिक्र कर रहे थे। उसके लिए हमने एक योजना बनाई है। हमने फरीदाबाद में फेज वन में 90 एकड़ जमीन इस काम के लिए रखी है। हम झुग्गी झोंपड़ियों वालों को 150 रूपये गज के हिसाब से 35-35 गज जमीन देंगे ताकि उनका आउटरनेटिव इन्तजाम हो सके। तो स्पीकर साहब, ये सब चीजें हैं जो हमने की हैं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। एक बात यहां कही गई कि किसानों को कोई बैनिफिट नहीं दिया गया। हमने इसी साल पैस्टीसाइडज और सीडज पर सेल्ज टैक्स माफ किया है। पिछली बजट स्पीच में यह कहा गया था कि दो ऐडवांसमेंट्स का पूरे साल का खर्चा 4-5 करोड़ रूपए पड़ेगा। हमने बढ़ा कर वह खर्चा साढ़े आठ करोड़ रूपए कर दिया है। जहां तक मुलाजिमों की बात है, मुझे इनकी सारी यूनियनों से बात करने का मौका मिला था। मेरे साथ चीफ सैक्रेटरी भी थे और फाइनेंस सैक्रेटरी भी थे। सर्व कर्मचारी संघ के लोग सात तारीख को जब आए तो इतने उत्सुक थे और चाहते थे कि आठ तारीख

को ही इन बातों का जब आए तो इतने उत्सुक थे और चाहते थे कि आठ तारीख को ही इन बातों का ऐलान कर दिया जाए। मेरे अपने दफ्तर के कमरे में उनके साथ बातचीत हुई थी। हमने कहा जितनी भी हरियाणा में यूनियन्ज हैं चाहे वह हरियाणा सबोर्डिनेट सर्विस फ़ैडरे इन है, चाहे वह कर्मचारियों को कोई यूनियन है और चाहे सैक्रेटेरियट के कर्मचारियों की एसोसिए इन है उन सभी से बात होगी। लगातार 15-16 दिन तक बात करके उनकी मांगों के बारे में सरकार ने फ़ैसला किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि किसी भी यूनियन ने सरकार का लिखित रूप में धन्यवाद नहीं किया। मैं कहता हूँ कि कुछ यूनियनों ने बाकायदा लिखित रूप में सरकार का धन्यवाद किया है। आप अगर किसी पोलिटीकल मकसद को पूरा करने के लिए यह बात कहते हैं तो वह अलग बात है लेकिन उससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हरियाणा के कर्मचारियों को जितनी भी यूनियन्ज हैं उन सभी से बाकायदा मेरी बात हुई है। उन सभी से बातचीत करके ही सरकार ने उनकी मांगों को माना है जिसके लिए कुछ यूनियनों ने लिख करके सरकार का धन्यवाद किया है। उनकी जो सही मांगें थीं वे हमने मान ली हैं और वे सारी बातें आपके सामने अनाउंस भी की हैं। स्पीकर साहब, मैं अपनी बात पर ही आ रहा हूँ। मैं यह कहता हूँ कि मेरे बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है, यह बिल्कुल निराधार है, गलत है, और बेबुनियाद है कि किसी व्यक्ति से पैसे लेकर मैंने लाईसेंस दिया ही। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ। मैं इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना

करता हूँ कि वे एक इन्क्वायरी कमीशन बिठा दें। जब से यह सरकार बनी है तब से लेकर आज तक के सारे कालोनाईजेसन्स के और सारे हुड्डा के मामले की वह थोरो इन्क्वायरी करे। उसमें जो जो भी दोषी पाया जाये, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें। मैं इस बात का चैलेंज स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ। मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं इनका चुनाव घोशणा पत्र जो है, उसके अनुसार ये लोकायुक्त द्वारा जांच की घोशणा कर दें। मेरे मामले भी और दूसरे सारे मामले भी सारे इसके सुपुर्द कर दें और यह देखें कि इस हमाम में कौन कौन नंगे हैं। इस किस्म के झूठे और निराधार आरोप लगा कर यह हमारी जुबान को बन्द करना चाहते हैं। यह जांच की घोशणा कर दें। लोकायुक्त नियुक्त कर दें। इसके अन्दर सारे मामले वीरेन्द्र सिंह जी का मामला सूरजभान जी का मामला भी और सारे मामले लोकायुक्त को सुपुर्द करें और देखें कि कौन कितने पानी में है। यह सारा पता लग जायेगा। अजराना कलां गांव में लडकियों का स्कूल तो बना हुआ है लेकिन इस स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, लडके और लडकियां इकट्ठे पढते हैं। इस बारे में लडकियों को बडी परेशानी है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि लडकियों के स्कूल के लिए अलाहिदा बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाई जाए। गांव में घा माजरा से जलबेड़ा के लिए एक सडक तो बनी हुई है, लेकिन इस पर एक पुल बना होने की वजह से यह सडक इस्तेमाल नहीं हो रही है। इस सडक पर बारामासी चलने वाली नहर पडती है जिस पर पुल बनाया जाना है। इसलिए इस पुल को

जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि इस सडक का इस्तेमाल हो सके। अगर पुलिस ला एण्ड आर्डर मेनेटेन नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा ? पुलिस को लोगों के खिलाफ मजबूर होकर गोली चलानी पडी और अपना बचाव करना पडा। जो लाग जख्मी हुए उनका मैडिकल हुआ और रिपोर्ट में यह आया कि उन लोगों ने भाराब पी रखी थी, तभी लोगों ने हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, तभी पुलिस को मजबूर होकर गोली चलानी पडी.....
..... भाोर।

श्री कृष्ण लाल (असन्ध, एस0सी0): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है जैसा कि कंवर रामपाल सिंह ने बताया कि उन लोगों ने भाराब भी पी रखी थी, यह बिलकुल निराधार है। इस बात का पता करने के लिये मैं वहां पर साढे चार बजे पहुंचा। जहां तक हरियाणा प्रान्त का सवाल है, यहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर ला एंड आर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है। जैसा कि आप इस हाउस के अन्दर देख ही रहे हैं चाहे जमीनों पर कब्जों की बात हो, चाहे रेप केसिज हों, चाहे पानी का मसला हो, या स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सडकों के निर्माण का मामला हो, हर तरफ असन्तोश ही असन्तोश है। अध्यक्ष महोदय, जमीनों के कब्जों के बारे में हम इस हाउस में और हाउस के बाहर रोज सुनते आ रहे हैं। रेप की घटनाओं के बारे में तो सुनते सुनते थक गए हैं लेकिन आज इस प्रान्त के अन्दर इन घटनाओं के आगे भी घटनाएं हो रही हैं। अध्यक्ष

महोदय, आज इस प्रान्त के अन्दर जो घटना हो रही हैं, वे स्कूलों पर कब्जे की हो रही है। मुझे बडी भार्म के साथ कहना पडता है कि जहां कोर्ट द्वारा मैनेजिंग कमेटी को मान्यता दे दी थी लेकिन कुछ स्वार्थी लोग उसको छोडना नहीं चाहते हैं और स्कूल को दुकानदारी का धन्धा बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, आप तो शिक्षा क्षेत्र से भलीभांति परिचित हैं कि स्कूल चलाना कोई आसान काम नहीं है लेकिन जहां नीयत ही खराब हो, वहां वह दुकानदारी बन कर रह जाती है। उन्होंने जो पत्र लिखकर भेजना है, उसमें से मैं दो लाईनें पढ कर सुनाना चाहता हूं कि इन लोगों ने क्या किया है। कोर्ट के फैसले के बावजूद भाहर के सम्मानित नागरिकों ने जो कार्यकारिणी के सदस्य थे। मैं चाहूंगा कि बिजली बोर्ड बालन्टरी तौर पर किसानों को कम से कम दो महीने का टाईम दें ताकि वे अपनी ज्यादा हार्स पावर की मोटरों की सिक्योरिटी भर करके अपने बिजली के कनैक्शन को रैगुलराईज करवा सकें। उससे बिजली बोर्ड को फायदा भी होगा और बोर्ड को पैसा भी मिलेगा। इस तरह से किसानों को मजबूर भी नहीं होना पडेगा कि वे गलत मोटरें चलाएं और उनके खिलाफ केस दर्ज हों। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री रमे । कुमार (बड़ोदा, एस0सी0): स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिये आपका धन्यवाद। आज हरियाणा प्रदे । कृशि पर निर्भर है। आज हर

तरह से किसानों को लूटा जा रहा है। आज जितनी बेरहमी के साथ किसानों को मारा जा रहा है ऐसा कहीं पर नहीं सुना था। किसानों को समय पर पानी और बिजली नहीं मिलती। यहां हाउस में सरकार की तरफ से झूठे आवासन दिए जाते हैं किसानों को समय पर पानी और बिजली मिलती है।

श्री अध्यक्ष: आप अपने हल्के की बात भी कह लो।

श्री रमेश कुमार: स्पीकर साहब, अभी तो मैंने भुरुआत की है। मैं अपने हल्के की बात भी कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बिजली और पानी की बड़ी भारी समस्या है वहां पर न बिजली आती है और न पानी आता है। जब भी किसान बिजली या पानी के लिये जाता है, उसकी सुनवाई नहीं की जाती और समय समय पर उनको परेशान किया जाता है। इसी प्रकार से खाद, बिजली, कीटनाशक दवाइयां कृषि के दूसरे बीज आदि में किसानों के साथ भेदभाव किया जाता है। हरियाणा प्रान्त एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर 85 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। अध्यक्ष महोदय, 'मन्डूसी' (कनकी) गेहूं की फसल का हानिकारक खरपतवार है, तथा यदि इस खरपतवार का नियन्त्रण न किया जाये तो पैदावार में काफी कमी आ जाती है। इस खरपतवार का नियन्त्रण आइसोप्रोटूरान खरपतवारनाशक दवाई का प्रयोग करके किया जा सकता है। जैसा कि यह महान सदन जानता है गत वर्षों में इस खरपतवारनाशक दवाई की काफी कमी महसूस की गई थी। अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस

खरपतवार नाटक दवाई का उत्पादन हरियाणा कृषि उद्योग निगम व हैफेड द्वारा कराया जाये। वर्ष 1990-91 के दौरान 500 मी० टन (50 प्रति टन) में आईसोप्रोटूरान खरपतवार नाटक दवाई को 20 प्रति टन अनुदान पर वितरण करने की योजना बनाई गई थी। हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा 350 मी० टन, जब कि हैफेड द्वारा 123.7 मी० टन आईसोप्रोटूरान खरपतवार नाटक दवाई का उत्पादन किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कृषि उद्योग निगम तथा हैफेड द्वारा बनाई गई आईसोप्रोटूरान खरपतवार नाटक दवाई किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (मिनी बैंकों) हरियाणा भूमि सुधार निगम, हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम और सहकारी विपणन समितियों के द्वारा अनुदान पर बेची गई। कुल 900 मी० टन आईसोप्रोटूरान संस्थागत समितियों व खुले बाजार के माध्यम से वितरित की गई। इस प्रकार इस वर्ष खरपतवार नाटक दवाई की कोई कमी नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय, बनाई गई खरपतवार नाटक दवाई की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने 690 नमूने और हैफेड ने 430 नमूने लेकर अपनी प्रयोगशाला में इनको विश्लेषण किया। कृषि विभाग ने भी हरियाणा कृषि उद्योग निगम व हैफेड की फैक्ट्रीयों से 28 नमूने (हरियाणा कृषि उद्योग निगम से 15 व हैफेड से 13) लिये। इन दोनों संस्थाओं के

सभी नमूने सही पाये गये। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग ने एक अभियान चलाकर 122 नमूने सहकारी समितियों व प्राईवेट ट्रेड के द्वारा भण्डारण की गई खरपतवार ना एक दवाई में से लिये गये। हैफैड और हरियाणा कृषि उद्योग निगम की फैक्ट्रीयों से लिये गये सभी नमूने सही पाये गये, केवल प्राईवेट ट्रेड के 6 नमूने निम्न स्तर के पाये गये। दोशी पाई गई सभी पार्टियों के खिलाफ मुकदमें दायर करने की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा बनाई गई खरपतवार ना एक दवाई की कम क्रिया शीलता के बारे में अम्बाला, करनाला, कुरुक्षेत्र तथा कैथल जिलों के किसानों से केवल 8 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों को कृषि विभाग और हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अधिकारियों द्वारा मौके पर देखे जाने पर पाया कि खरपतवार ना एक दवाई की क्रिया शीलता गुणवत्ता की कमी से नहीं, बल्कि इस खरपतवार ना एक दवाई की तकनीकी ढंग से प्रयोग न करने के कारण हैं कुछ केसों में खरपतवार ना एक दवाई को कम मात्रा में डाला गया व कुछ केसों में खरपतवार ना एक दवाई को सूखे खेतों में प्रयोग किया गया व कुछ खेतों में धान की पराली को जलाये जाने के बाद इस्तेमाल किया गया।

अध्यक्ष महोदय, अतः यह सही नहीं है कि खरपतवार का सही ढंग से नियन्त्रण नहीं हुआ है, और इसका गेहूं की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इस महान सदन को यह

वि वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार के प्रयत्नों से सभी जरूरी कृषि सामग्री जैसे उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, खरपतवार नाटक दवाई व बिजली व नहर के पानी की समय पर आपूर्ति किये जाने से इस वर्ष हरियाणा के किसानों द्वारा गेहूँ की रिकार्ड उपज लेने की सम्भावना है। स्पीकर साहब, मेरे साथ यह बहुत ज्यादाती हैं मेरे खिलाफ पहले भी आरोप लगाए गए थे लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया अब फिर मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए हैं लेकिन आप मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के लिए समय नहीं दे रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं अपनी बात पर ही आ रहा हूँ। मैं यह कहता हूँ कि मेरे बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है, यह बिल्कुल निराधार है, गलत है, और बेबुनियाद है कि किसी व्यक्ति से पैसे लेकर मैंने लाईसेंस दिया ही। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ। मैं इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वे एक इन्क्वायरी कमीशन बिठा दें। जब से यह सरकार बनी है तब से लेकर आज तक के सारे कालोनाईजेशन के और सारे हुड्डा के मामले की वह थोरो इन्क्वायरी करे। उसमें जो जो भी दोषी पाया जाये, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें। मैं इस बात का चैलेंज स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ। मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं इनका चुनाव घोशणा पत्र जो है, उसके अनुसार ये लोकायुक्त द्वारा जांच की घोशणा कर दें। मेरे मामले भी और दूसरे सारे मामले भी सारे इसके सुपुर्द कर दें और यह देखें कि इस हमाम में कौन कौन नंगे हैं। इस किस्म के झूठे और निराधार आरोप

लगा कर यह हमारी जुबान को बन्द करना चाहते हैं। यह जांच की घोशणा कर दें। लोकायुक्त नियुक्त कर दें। स्पीकर साहब, ये सब चीजें हैं जो हमने की हैं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। एक बात यहां कही गई कि किसानों को कोई बैनिफिट नहीं दिया गया। हमने इसी साल पैस्टीसाइडज और सीडज पर सेल्ज टैक्स माफ किया है।

जो भी काम हुए हैं मैं समझता हूं कि उसका ठीक प्रकार से प्रचार नहीं हुआ और सरकार को जो य । अपने कामों का मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा। या तो पब्लिक रिले । न डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक प्रचार नहीं हुआ या हमारी आपसी तालमेल की कमी रही है। जिसकी वजह से हमारी सारी स्कीमों की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। हम जो पब्लिक के नुमाइन्दे हैं अगर हम सभी पब्लिक के साथ इन टच रहे तो अच्छा है।

कुछ ऐसे लोगों को परे ानी हो सकती है जिन लोगों ने पहले ही नौकरियों पर कब्जा किया हुआ है और जो अब भी कब्जा रखना चाहते हों। सरकार जो व्यवस्था अब करने जा रही है उससे ऐसे लोगों को नौकरियां हथियाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनको यह परे ानी हो रही है। (विधन)

स्पीकर साहब, यहां पर अर्बन वाटर सप्लाई के बारे में भी चर्चा की गई। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता

हूँ कि इस काम के लिए चालू साल में 5.60 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और अगले साल इस पर 8.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मान साहब ने कहा कि कम्युनिटी डिवैल्पमेंट के लिए सिर्फ 2.60 करोड़ रुपये ही रखे गए हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिन के जरिए कम्युनिटी डिवैल्पमेंट के काम किए जाते हैं। जैसे जवाहर रोजगार योजना है डि सेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग है, वाटर सप्लाई की स्कीम है या मैचिंग ग्रांट जैसी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके जरिए कम्युनिटी डिवैल्पमेंट के काम किए जाते हैं। इन सब स्कीमों को भायद इन्होंने देखा नहीं। इन्होंने बजट का अध्ययन तो बड़े गौर से किया है लेकिन इनकी निगाहें इन स्कीमों से रह गई क्योंकि उस वक्त इनकी निगाहें कहीं और होंगी। (विघ्न) स्पीकर साहब, कई साथियों ने बोलते हुए अपनी बात कही। अपोजी उन के साथियों ने सिवाय मुखालफत के और कुछ नहीं किया। इस प्रकार से भगवान सहाय रावत ने अपनी बात कहते हुए कहा कि क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हथीन ब्लाक अकेला उनका ही नहीं है। मेरे हल्के में भी आता है। जितनी ज्यादा चिन्ता इन्हें है उतनी मुझे भी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, एक ओर बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। सुरे । कुमार का एक लडका जींद का है, उसको एक प्लॉट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से दिया गया था। लेकिन मांगे राम जी ने, जब ये लोकल बाडीज मिनिस्टर थे, उसके प्लॉट को कैंसिल कर दिया तथा अपने दामाद को अलाट कर दिया। सुरे । कुमार

इस बात को लेकर 13-11-86 को ऐडी जनल डिस्ट्रिक्ट जज जींद के यहां गया। उन्होंने जो फैसला दिया, उसको मैं आपको पढ कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको पढ कर सुनाने की जरूरत नहीं है। आपका टाईम समाप्त हो गया है।

श्री रमे । कुमार: अध्यक्ष महोदय, इस तरह से वित्त मंत्री जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ई वर सिंह, जो जींद के अन्दर म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन है, उसके ऊपर इनके आदमियों ने गोलियां चलवायी थीं, लेकर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पब्लिक के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सम्पत सिंह को देखने के लिये कहती है, उनके ऊपर बहुत से आरोप लगाती है, उनके ऊपर छापे डलवाती है, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर एक पैसे का भी आरोप सम्पत सिंह के खिलाफ मिल जाए तो हमारे सभी साथी सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के झूठे आरोप लगाकर ये हाऊस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये, आपका टाईम समाप्त हो गया है।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो एप्रोप्रिये इन बिल पे किया गया, उस पर माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जितना समय इस सदन में बजट पर चर्चा करने का माननीय सदस्यों को दिया है और भायद ही कोई माननीय सदस्य इस हाउस का बाकी रहा होगा जिसने अपने हल्के के बारे में स्टेट के बारे में चर्चा नहीं की हो। पूरा समय आपने दिया और अध्यक्ष महोदय, लगातार तीन दिन से माननीय सदस्यों की बातें हाउस में चर्चा के रूप में आई, चाहे वह हल्के की मांग थी। चाहे सरकार पर नुक्ताचीनी थी, नोट कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी द्वारा दूसरे मंत्रियों एवं मेरे द्वारा उस पर पूरे स्पष्टीकरण दिए गए। मांगों के बारे में भी पूरा विचार वास दिलाया गया है। सरकार पूरी सहानुभूति से इस पर गौर करेगी और किसी से भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि इसमें विधायक का सवाल नहीं है। हरियाणा की जनता ने अपना नुमाइंदा चुनकर विधान सभा में भेजा है। वह हरियाणा की एक करोड़ 65 लाख जनता की सरकार है। सरकार विकास के कार्यक्रम में कोई भेदभाव नहीं रखती। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 7 हजार के करीब गांव हैं और इनके 90 विधायक हैं, हर विधायक के हल्के में किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70 गांव हैं। हर विधायक की अलग अलग मांगों को जोड़ा जाए और इस पर जवाब दिया जाए यह हमारा कर्तव्य है। कोई विधायक स्कूलों के अपग्रेड करने के बारे में कहता है कि उसके हल्के का स्कूल मिडल से हाई स्कूल नहीं हुआ। अगर हाई स्कूल हो जाए तो 10 जमा 2 नहीं

हुआ, कोई कस्बा है तो उसमें कालेज नहीं खोला गया। गांव में अस्पताल नहीं है, स्कूल में स्टाफ नहीं है। पीने के पानी का इंतजाम सरकार ने किया है, सडकों का जिक्र है। हरियाणा में भायद ही कोई गांव ऐसा होगा जो एक सडक से न जुडा हो। रामपाल सिंह जी का गांव तो 6 सडकों से जुडा है यह विकास की ही बात है। सडके की मुरम्मत की िाकायत हो सकती है, जो चीज बनेगी, उसको इस्तेमाल किया जाएगा उस पर ट्रक, ट्रैक्टर और छोटी सवारी भी चलती है। एक खास बीमारी यह कि गांव हो या भाहर हो, घर का पानी टूटी का पानी, नलके का पानी सडक पर जमा हो जाता है। उस सडक का ध्यान उस वक्त कोई भी व्यक्ति नहीं करता लेकिन सडक पर जो पानी जमा हो जाता है, यह सडक को बरबाद करता है। तारकोल और पानी का बैर ऐसा है जैसे सांप और न्योले का हैं समय समय पर मुरम्मत करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से मैं यही निवेदन करना ाहता हूं कि आपकी जो मांगें हैं चाहे सडक की मुरम्मत की है और चाहे सडक बनाने की है, उसको पूरा करने की को िा ा की जाएगी। कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज किया कि कुछ सडकें अधूरी रह गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास होगा कि हरियाणा की कोई सडक बिना मुरम्मत न रहें। आज चारों तरफ सडकों पर काम होता दिखाई देता है। चाहे जी0टी0 रोड की बात है और फोर लेनिंग की बात है और चाहे पुल बनाने की बात है। स्पीकर साहब, हरियाणा में इस बात की मिसाल नहीं मिलेगी कि पानीपत के अन्दर दो पुल यानि दो ओवर

ब्रिज एक ही समय में बनाए गए हैं। ऐसी मिसाल अभी तक नहीं है। यह पानीपत के लोगों की मांग थी और इसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। सतबीर सिंह कादियान पानीपत के बारे में बहुत बात करते हैं

श्री सतबीर सिंह कादियान: हमारी सरकार इनको मंजूर करके गई थी।

श्री मांगे राम गुप्ता: तुम्हारी सरकार क्या करके गई थी यह हमें अच्छी तरह से पता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विवास दिलाता हूँ। कई विपक्ष के सदस्यों ने स्वीकार किया है कि काम तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक कि प्रदेश के अंदर वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होगी। सरकार का प्रयास है कि अपने रिसोर्सिज बढ़ाए जाएं। सरकार इस बारे में काफी चिन्तित है। आज टैक्स लगाना बहुत मुश्किल है। हर आदमी की नौकरी की मांग है और जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं उनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। सरकार ने अपने खर्च में कमी करने का काफी प्रयास किया है और रिसोर्सिज बढ़ाने के लिए हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। उस कमेटी के द्वारा जो सुझाव होंगे उन पर अमल करके रिसोर्सिज बढ़ाए जाएंगे। रिसोर्सिज जब बढ़ जाएंगे तो नहर का पानी भी मिल पाएगा, स्कूल पूरे खुल जाएंगे, अस्पताल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। यहां पर पानी और बिजली के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मुख्य मंत्री जी भी

और मैं भी मानता हूँ कि किसान के खेत में पूरा पानी नहीं पहुंचा है, पानी की कमी है। स्पीकर साहब, मैं तो सभी सदस्यों को इतना ही वि वास दिला सकता हूँ कि जब तक एस0वाई0एल0 का पानी नहीं आ जाएगा तब तक किसान के खेत में पानी की कमी बनी रहेगी। टेल पर भी पूरा पानी नहीं पहुंचेगा और खेत में पानी की कमी रहेगी। लेकिन आज मैं पूरे वि वास के साथ कह रहा हूँ कि आप चिन्ता न करें। यह सरकार इस मामले में चिन्तित है और यह सरकार एस0वाई0एल0 का पानी लाएगी और किसान को खेत के पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी और उसी के साथ पीने के पानी का संबंध जुड़ा हुआ है। (गोर एवं व्यवधान)। समय सीमा नहीं बांधी जा सकती क्योंकि मामला काफी उलझा हुआ है। समय तो पहले भी सरकारें देती रही हैं लेकिन कभी वायदा पूरा नहीं किया गया। स्पीकर साहब, यहां पर बिजली की चोरी के बारे में जिक्र किया गया कि बिजली की चोरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को मुख्य मंत्री जी ने भी माना है। यह इतना बड़ा महकमा है। फील्ड से लेकर ऊपर तक कितने मुलाजिम हैं। चोरी जरूर हो रही है इससे इंकार नहीं कर सकता लेकिन मुख्य मंत्री जी ने वि वास दिलाया है कि चोरी को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की एक डिमाण्ड थी कि बिजली बोर्ड का चेयरमैन कोई टैक्नोक्रेट लगाया जाए उसको पूरा कर दिया है। बिजली की चोरी कादियान साहब 30-32 परसेंट थी और अब वह 24-25 परसेंट तक आ गई है और मुझे वि वास है कि लाइन लौसिज बीस पच्चीस परसेंट तक

ले आएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात रमे । कुमार ने कही कि जीरी के भाव के बारे में बनिया लूट लेता है। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि क्या इसने कभी जीरी बेची है। तुझे क्या पता है कि जीरी कौन बेचता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसान का माल मण्डी में जो बिकने के लिए आता है, अगर कोई आडती किसान के साथ हेराफेरी करता है, बेईमानी करता है तो वह नालायक है। किसान के माल को बेचने के लिये अगर कोई कोताही करता है तो वह आडती आडती कहलाने का हकदार नहीं है, वह बेईमान है।

इससे आगे मैं अपने भाई जयपाल जी की बात का भी उत्तर अब य देना चाहूंगा। उन्होंने यहां बोलते हुए एक समस्या का जिक्र किया कि यमुना के किनारे जो खाद एरिया है, उसमें उनका इलाका लगता है और वहां पर यमुना की जमीन, दरिया में कटाव होने के कारण कभी इधर हो जाती है तो कभी उधर चली जाती है। उस जमीन पर यू0पी0 के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, खाने बनाई हुई हैं और वे लोग 20-20 सालों से रह रहे हैं। इन्होंने कहा कि उन लोगों को हटाया जाए क्योंकि इस कारण से कभी न कभी झगडा भी हो सकता है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हमने वहां के डी0सी0 व कमि नर को यह हिदायतें दे रखी हैं कि वे अपने काउंटर पार्ट के साथ जल्दी ही मीटिंग करें। यदि यू0पी0 के किसी आदमी ने किसी खान पर या किसी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो उसको छुड़ाया जाये। मैं जयपाल जी को

वि वास दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर इस कारण से किसी झगड़े की नौबत हम कभी नहीं आने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बिजली की चोरी की बात भी हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई बार बार पानीपत का जिक्र करते हैं। मैं इनको बता देता हूँ कि मेरा लडका 15 सालों से पानीपत में अपनी फ़ैक्टरी चला रहा है। आपने कभी उसका कोई जिक्र सुना ही नहीं होगा फिर आप लोग कैसे उस फ़ैक्टरी की बात कह रहे हैं ? मैं बताना चाहता हूँ कि उस फ़ैक्टरी का बिजली से कोई ताल्लुक ही नहीं है और न ही सेल्ज टैक्स का कोई ताल्लुक है। वह तो हैण्डलूम का काम करता है, हाथ से कपडा बनाता है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर बिजली की चोरी को रोकना है तो इसका प्रबन्ध हमारे सभी विधायक भाई मिल कर कर सकते हैं। पानी की चोरी को रोकनाभी हम सबका कर्त्तव्य है। हम सब विधायकों का फर्ज बनता है, चाहे वे ट्रेजरी बेंचिज से हैं, चाहे वे विपक्षी दलों से हैं, अगर सभी विधायकों का सरकार के साथ पूरा सहयोग होगा, सभी विधायक पूरा सहयोग देंगे तो चोरियों पर काबू पाया जा सकता है। सभी अपना सहयोग सरकार को दें, पुलिस को दें और हमारे संबंधित अधिकारियों को दें, इस तरह बिजली की चोरी नहीं होगी और पानी के कट को भी रोका जा सकता है।

इससे आगे मैं शिक्षा के बारे में भी बताऊंगा। कई माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा कि स्कूलों की बुरी हालत है,

वहां पर स्टाफ नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमने टीचर्स की भर्ती कर ली है और जहां जहां स्कूलों में स्टाफ की कमी है, वहां वहां जल्दी ही स्टाफ तैनात कर दिया जाएगा और यह काम अगले सै। न तक पूरा कर लिया जाएगा। किसी भी स्कूल में स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। सभी सदस्यों ने अलग अलग सडकें गिनवाई, माइनर गिनवाए तथा और बातें बताई, ये सारी मांगे हम संबंधित महकमों को भिजवा देंगे और सभी मंत्रियों और अधिकारियों से कहेंगे कि फंडज की उपलब्धि को देखते हुए इन कामों को पूरा करने की कोशिश करें। किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इन भावों के साथ मैं दख्खिस्त करूंगा कि इस बिल को सर्व सम्मति से पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister to move that the Bill be passed.

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :- कि विधेयक पास किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

साथी लहरी सिंह (रादौर, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा। आज स्कूलों में जो माहौल है, वह वास्तव में सरकार को भी मानना पड़ेगा कि किसी भी स्कूल में अध्यापक पूरे नहीं हैं। आज सबसे बड़ी जरूरत नैतिक शिक्षा की है। आज हमारे प्रदेश का यह हाल है, इससे बहिन जी भी सहमत होंगी और मुख्य मंत्री जी भी सहमत होंगे, किसी भी स्कूल में चले जाइए, वहां टीचर्स की कमी होगी। ऐसे स्कूल में शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण नहीं हो पाएगी। इसी तरह से अगर स्कूलों में शिक्षा देने वाले अध्यापक जो नेटान के निर्माता हैं, स्कूल में बैठ कर बीडी पीएंगे या बच्चों से भाराब की बोतल मंगवाएंगे तो प्रदेश के बच्चों के चरित्र पर बड़ा भारी असर पड़ेगा। इसलिए यह हमारा सबका फर्ज है कि नैतिकता को बढ़ाने के लिए कम से कम ऐसे नियम बनाएं जिससे यह बैन लगे कि कोई भी टीचर स्कूल में बीडी सिगरेट नहीं पी सकता। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि उनका चरित्र अच्छा हो। चरित्र निर्माण के लिए सारे हाउस का ही नहीं, बल्कि सारी

जनता का योगदान चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम इस बात की कसम खाएं कि चाहे इमीर की बच्ची है, चाहे गरीब की बच्ची है, सबको स्कूल में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। उसको शिक्षा जरूर देनी चाहिए। मात्र शिक्षा देने से बहुत से खानदान सुधरते हैं। लड़की शिक्षा पा कर कितने खानदानों को सुधारती है। मात्र शिक्षा में बहुत ताकत है। यह ताकत बहुत ज्यादा सामाजिक सुधार कर सकती है। मातृ भाक्ति अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। लड़की अपने मां बाप का ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है और इसके साथ साथ स्कूल का काम भी करती है। इतना कुछ करते हुए भी लड़के के मुकाबले में पढ़ कर सबसे आगे आकर दिखाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज को मातृ भाक्ति का आदर करना चाहिए। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी लड़कियों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। स्पीकर साहब, आज हमारे प्रदेश के स्कूलों की बिल्डिंग अनसेफ हैं उनके अंदर बच्चे बैठ नहीं सकते। इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि प्राइवेट कालेजिज और स्कूल वालों की मांग है कि उनकी पोस्टें बढ़ाई जाएं हालांकि सरकार को उनकी तनखाह नहीं देनी पड़ती, इसलिए उनकी पोस्टें बढ़ाने में सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आज प्राइवेट कालेजिज और स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इसलिए स्टूडेंट्स की रेंटों के हिसाब से पोस्टें बढ़ा दी जाए। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार सड़कें बनाने के बारे में और उनको ठीक करवाने के बारे में ध्यान दें। दादुपुर नलवी नहर की

तरफ भी ध्यान दे और जमुना नदी के वाटर की तरफ भी ध्यान दें। इसी तरह से पुलिस की भर्ती में रिजर्वेड कास्टस का रिजर्वे इन के हिसाब से कोटा पूरा नहीं है, जे0बी0टी0 में कोटा पूरा नहीं है। मैं चाहूंगा कि रिजर्वे इन के हिसाब से रिजर्वेड कास्टस का हर पोस्ट में कोटा पूरा होना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3) दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल,

1993

(4) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 1993

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी बिल तथा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बिल, ये दो एक ही प्रकार के हैं। ये दोनों बिल एक साथ ही टेक अप कर लिए जाये तो अच्छा होगा।

प्रो० सम्पत सिंह: ठीक है जी, दोनों बिल इकट्ठे ही मूव करवा लें।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात ठीक है। Both the Bills will be taken up together and the members can speak on them but at the conclusion of the discussion, the motions in respect of these Bills will be put to vote, separately.

Now, the Education Minister will introduce both the Bills and also to move the motions for their consideration.

शिक्षा मंत्री (श्रीमती भांति राठी): अध्यक्ष महोदय, मैं महर्षि दयानन्द वि विद्यालय (सं गोधन) विधेयक, 1993 प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि –

महर्षि दयानन्द वि विद्यालय (सं गोधन) विधेयक 1993 पर तुरन्त विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुरुक्षेत्र वि विद्यालय (सं गोधन) विधेयक 1993 भी प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि—

कुरुक्षेत्र वि विद्यालय (सं गोधन) विधेयक 1993 पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill also be taken into consideration at once.

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, इन बिलों पर डिस्कशन से पहले मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन

देना चाहूंगा। स्पीकर साहब, आज क्वै चन आवरी के बाद जीरो ओवर में माननीय अपोजी न लीडर ने एक बात कहनी चाही थी। माननीय अपोजी न लीडर ने आपकी सेवा में एक काल अटैं न मो न भी दी थी, वह भायद आपने विचाराधीन रख ली।

प्रो० सम्पत सिंह: वह तो अगले सै न तक के लिए इन्होंने अंडर कंसिड्रे न रख ली है।

चौधरी जगदी न नेहरा: अगले सै न तक के लिए तो भायद वह विचाराधीन नहीं रह सकता। माननीय अपोजी न लीडर ने बोलते—2 उस काल अटैं न मो न के बहाने से एक बात कहनी चाही थी।

Mr. Speaker: All those Call Attention Motions that were under consideration, have been disallowed.

चौधरी जगदी न नेहरा: स्पीकर साहब, अपोजी न लीडर ने उस काल अटैं न मो न के बहाने एलीगे न लगा दिए। उन एलीगे न के बारे में मैं कहना चाहूंगा। (व्यवधान) I am speaking under the procedure, Sir.

प्रो० राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, दोनों विधेयकों पर चर्चा के लिए बहन जी ने विधेयक मूव कर दिये हैं अब ये इस पर बोलने के लिए खड़े हो गए हैं, क्या यह जीरो आवर है ?

Ch. Jagdish Nehra: Sir, a Minister can give personal explanation at any time.

Prof. Ram Bilas Sharma: No, Sir.

Ch. Jagdish Nehra: Sir, personal explanation can be given by a Minister at any time.

श्री अध्यक्ष: पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है।

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन यह है कि चौधरी सम्पत सिंह ने एक पेपर का हवाला दिया और कहा कि साजि रची गई है। काफी कुछ बातें ये अपनी स्टेटमेंट में कह गए। (गौर एवं विघ्न) इन्होंने अखबार पंजाब केसरी का हवाला देते हुए कहा है कि पंजाब केसरी में यह खबर आयी है कि वहां पर सिरसा में किसी को मारने की साजि रची गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी है। पता नहीं ये कैसे अखबारों में खबर छपवा लेते हैं? (विघ्न) इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सिरसा में जो झगडा हुआ, उस झगडे में मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तरह की कोई बात कहना इनको भावना नहीं देता। (विघ्न) इस अखबार की खबर के बहाने ही ये काल अटैंशन मोड में लाना चाहते थे। उसी पर मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए खडा हुआ हूं अतः मेरा पुनः यही कहना है कि अखबार में छपी खबर के ऊपर जो इन्होंने काल अटैंशन मोड में दिया है। यह खबर सरासर बेबुनियाद झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनका मुझे बदनाम करने के सिवाये और कोई मकसद नहीं है। (धन्यवाद)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, नेहरा साहब ने अपनी बात कह दी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अखबार में जो ब्यान दिया गया, वह कांग्रेस (आई) के एक मैम्बर ने लगाया है। उसने सिरसा में एक अच्छी इण्डस्ट्री लगायी है और उस इण्डस्ट्री का उदघाटन करने के लिए स्वयं मुख्य मंत्री जी भी गए थे। वह माननीय मैम्बर मंत्री श्री लछमन दास अरोडा जी का सन इन ला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेहरा जी ने उनको मारने के लिए साजि रची है, बल्कि राउल सेतिया उद्योगपति मलकियत सिंह और सिरसा की राज्य मंत्री श्रीमति संतोश सारवान हैं, उनको भी मारने की साजि रची गई है। इस काम में उग्रवादियों का यानि उग्रवादी लखमिन्दर सिंह उर्फ लखा का सहारा लिया। Sir, it is a very serious matter. इसलिए मैं चाहता हूँ, स्पीकर साहब, इसकी इंकवायरी करवायी जाये या मुख्य मंत्री जी अपने लैवल पर जांच करवा लें और इसकी रिपोर्ट अगले सै इन में रखें, क्योंकि एक मंत्री को दूरे मंत्री से खतरा हो, एक इण्डस्ट्रीलिस्ट को खतरा हो या दूसरे लोगों को मारे जाने का खतरा हो, तो इसकी बाकायदा जांच हो और अगले सै इन में इसकी रिपोर्ट पे की जाये।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह ठीक बात है कि वहां पर झगडा हुआ है। झगडा ऐसे हुआ कि एक ट्रक ड्राईवर ने कोई मि० गिल एडवोकेट हैं, उनके घर के बाहर ट्रक खडा कर दिया।

गिल साहब, भाराब पिए हुए थे। उसने ट्रक ड्राईवर को कहा कि यहां मेरे घर के सामने ट्रक क्यों खडा कर दिया है ? ड्राईवर कहने लगा कि मैंने तो ट्रक सडक पर खडा किया है। इस पर उसने उसको थप्पड मारा और आपस में हाथापाई हो गयी। उसने टेलीफोन कर दिया और पुलिस आ गई। पुलिस ने 107/150 की दफा के तहत केस दर्ज कर लिया। इसलिए मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि न तो किसी को मारने की बात है, और न ही ऐसी कोई बात सोची जा सकती है, और न ही उनको किसी बात का कोई खदसा है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम उसका पूरा इंतजाम करेंगे।

प्रो० सम्पत सिंह (भटटू कलां): स्पीकर सर, दो यूनिवर्सिटीज के अमेंडिंग बिल सदन में लाए गए हैं। एक महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी का है और दूसरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है। इन बिलों से ऐसी मं ता जाहिर हो रही है कि यूनिवर्सिटी के वाईस चान्सलर की पावर्ज को यह सरकार कम करना चाहती है। (विध्न) स्पीकर सर, आपको पता है कि एजूके ान का मामला कन्करण्ट लिस्ट में आता है। पिछले दिनों कैबिनेट ने नकल विरोधी एक प्रस्ताव पारित किया था। वह प्रस्ताव गवर्नर को आर्डिनैस के रूप में भेजना था लेकिन बाद में सरकार को कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने के बाद पता लगा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने बयान भी दे दिया था कि नकल को क्राईम घोशित किया जाएगा। जब इन्होंने इस बारे में

राय ली तब इन्हें पता लगा कि ये इसे क्राईम घोशित नहीं कर सकते क्योंकि यह मामला कन्करण्ट लिस्ट में भामिल है और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी मंजूरी नहीं लेंगे तब तक स्टेट लैवल पर यह बात नहीं हो सकेगी और आर्डिनैस लीगल टैस्ट पास नहीं कर पाएगा। स्पीकर सर, यही बात मैं इस ऐक्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि ये ऐजूके इन का सब्जैक्ट है और कन्करण्ट लिस्ट में है। जो अमेंडमेंट लेकर ये आए हैं उसमें कल को बडे झगडे होंगे और इसी तरह से लीगल हिडस्पयूटस आएंगे। इसमें इन्होंने किसी लीगल एक्सपर्ट से राय नहीं ली है। इस प्रकार की राय कोके लिए यू0जी0सी0 है। यू0जी0सी0 यूनिवर्सिटीज को ग्रान्टस देती है क्योंकि अकेले गवर्नमेंट की ग्रान्ट से इनका काम नहीं चल सकता। यू0जी0सी0 से बडी ग्रान्ट आती है, तब यूनिवर्सिटीज का काम चलता है। ग्रान्टस की वजह से यू0जी0सी0 का यूनिवर्सिटीज में बहुत बडा दखल रहता है। टाईम टू टाईम यू0जी0सी0 का यूनिवर्सिटीज ऐक्ट भी यूनिवर्सिटीज को देती रहती है। (विध्न) पिछले दिनों सभी यूनिवर्सिटीज को यू0जी0सी0 ने एक माडल ऐक्ट भेजा है ताकि सभी यूनिवर्सिटीज इसको एडाप्ट करें। ये भी कम से कम माडल ऐक्ट को स्टडी कर लेते और पता लगा लेते। उससे पहले ही एकदम आनन फानन में कदम नहीं उठाना चाहिए। कोई वाईस चान्सलर इनको पसंद नहीं है। इसका यह मतलब नीं है कि उसकी पावरज को कट कर दो। आज एक पर्टिकुलर आदमी वाईस चान्सलर है, कल कोई दूसरा आदमी आ जाएगा। स्पीकर सर, यह एक इन्स्टीच्यू इन है और इसका एक

कन्टीन्यूएस प्रोसेस है कि आदमी बदलते रहते हैं। आज एक आदमी है कल को कोई दूसरा और आ जाएगा। इसलिए स्पीकर सर, जल्दबाजी में इस तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं लानी चाहिए। इसी तरह से यू0जी0सी0 ने पाण्डीचेरी के वाईस चान्सलर ज्ञानक की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी ने, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की ह्यूमन रिसोर्सिज मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उन्होंने साफ लिखा है कि अगर यूनिवर्सिटीज से आपको ठीक काम लेना है और वास्त्व में आप यूनिवर्सिटीज को ही स्वायत्ता देना चाहते हैं तो वाईस चान्सलर की पावर्ज को बढ़ाना पड़ेगा तथा उसके आफिस को स्ट्रैन्गथन करना पड़ेगा। स्पीकर सर, इन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। पिछली बार भी हमने विरोध किया था कि जो पी0वी0सीज0 लगाये हैं, उनकी वजह से सारी समस्याएं आ रही हैं। पी0वी0सीज0 की मार्फत ये यूनिवर्सिटीज में अपना दखल चाहते हैं। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इस वक्त हैं, उनकी जब टर्म पूरी हो जाएगी तो ये अपने आदमी को वहां पर वाईस चान्सलर लगा लेंगे। लेकिन सदा के लिये यह ऐक्ट बदल जाएगा जिससे हमें आ के लिए यूनिवर्सिटीज को दिक्कत रहेगी। स्पीकर सर, अगर वाईस चान्सलर के पास पावर ही नहीं होगी तो आप जानते हैं कि स्टुडेंट्स से निपटने में कितनी प्रॉब्लम होगी ? यूनिवर्सिटीज में स्टुडेंट्स से निपटना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस ढंग के हालात आज हैं, उनके पास पावर्ज बहुत जरूरी हैं। वाईस चांसलर की जो ऐमरजेंसी पावर्ज हैं, वे ऐसी पावर्ज हैं जैसे कैबिनेट के पास

आर्डिनैस इ तू करने की पावर्ज हैं। अगर किसी ऐक्ट की जरूरत होती है और हाउस बैठा नहीं होता, असैम्बली आने में कुछ दिन लग जाते हैं तो गवर्नमेंट पब्लिक की भलाई के लिए आर्डिनेस लेकर आती है उसकी गवर्नर से मंजूरी मिल जाती है और वह कानून की भावले ले लेता है, फिर 6 महीने के भीतर असैम्बली उसको पास कर देती है। इसी तरह से ऐमरजेंसी पावर्ज वाईस चान्सलर के पास हैं लेकिन आज यह सरकार उनको खत्म करने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि वाईस चान्सलर का पद सैरेमोनियल पद बना कर रख देंगे। स्पीकर सर, लास्ट में इन्होंने डिसिजन ऑफ एग्जिक्यूटिव कौंसिल इसमें लिखा दिया है कि सभी फैसले एग्जिक्यूटिव कौंसिल में होंगे। अगर गवर्नमेंट का नोमिनी उनकी हां मं हां नहीं मिलाता, गवर्नमेंट के नोमिनी की कन्सैंट नहीं होती है तो फैसला नहीं माना जाएगा। स्पीकर सर, इसका मतलब क्या होगा ? उस एग्जिक्यूटिव कौंसिल में बाकी जितने और मैम्बर्ज हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। स्पीकर सर, इसी तरह से यह गवर्नमेंट अपने नोमिनी को वीटो पावर देना चाहती है। (विध्न)

Mr. Speaker: Sampat Singh Ji, this is regarding creation of new posts. (Interruptions).

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, इसमें साफ है कि उसकी कन्सैंट के बिना उसका कोई फैसला नहीं माना जाएगा। मैं उसको पढकर सुना दूँ। उसमें बाकायदा उसकी सहमति जरूरी है। अगर

गवर्नमेंट का नोमिनी डाईसैंट नोट दे देता है तो वह फैसला नहीं माना जाएगा। स्पीकर सर, इसका मतलब क्या है ? इसका मतलब यह है कि इनके जो ऐजुके ान सैक्रेटरी या ज्वाइंट सैक्रेटरी या डिप्टी सैक्रेटरी नोमिनी के रूप में वहां जाएंगे, उसको वीटो की पावर दी जा रही है। स्पीकर सर, यह बिल्कुल गलत बात यूनिवर्सिटीज के अन्दर हो रही है। इसका मतलब है कि वाईस चांसलर की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा करें कि ज्वाइंट सैक्रेटरी को ऐक्स ओफिसियो वाईस चांसलर बना दे, फिर वाईस चांसलर की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इसलिए मेरा गवर्नमेंट से कहना है कि वह ऐसी अमेंडमेंट न करे और इस बिल को वापिस ले लें। स्पीकर सर, ये एक तरफ तो पी0वी0सी0 की पोस्ट पर दस लाख रूपया खर्च करते हैं, जो कि सरमोनियस सुपर फ्लुअस पोस्ट हैं। डा0 राम प्रका 1 स्वयं वहां पर रह चुके हैं ये जानते हैं। स्पीकर सर, उस पोस्ट की जरूरत क्या है ? इसके अलावा, दूसरी तरफ वाईस चांसलर एक एक पोस्ट के लिए तरस रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट पर पाबन्दी लगी हुई है। स्पीकर सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो इन्होंने पाबन्दी खोल रखी है लेकिन महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट पर पाबन्दी लगा रखी है। वहां पर टीचिंग और नान टीचिंग कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। सरकार को पसंद और नापसन्द के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। स्पीकर सर, सरकार यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता को खत्म करना चाहती है और ऐजुके ान डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी अलग है। यह ठीक है कि उसको स्वायत्ता देनी

चाहिए, पावर देनी चाहिए ताकि वहां की यूनिवर्सिटी, बच्चों की और वाईस चांसलर की इज्जत बढ सके, स्टेट की इज्जत बढ सके। लेकिन इस तरह का स्टप हिन्दुस्तान में तो सिर्फ हरियाणा सरकार ही ले रही है और किसी भी यूनिवर्सिटी के अन्दर ऐसा अमेंडिंग बिल नहीं लाया जा रहा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वक्त रहते हुए वह इसको वापस ले ले।

श्री अध्यक्ष: इसमें तो लिखा हुआ है—

Any decision in the matter involving additional financial liability and those relating to annual budget

Prof. Sampat Singh: The vice Chancellor is more responsible than the Education Secretary, Joint Secretary or the Deputy Secretary. जो वहां पर मौके पर हैं, उनकी तो कोई कीमत नहीं होगी लेकिन जो सरकार की तरह से डिपार्टमेंट का नौमिनी जाएगा, उसकी कीमत होगी और उसको पावर भी होगी।

डा० राम प्रकाश (थानेसर): स्पीकर साहब, आज के इन विधेयकों में दोनों विविद्यालयों के बारे में कुछ बातें लिखी गयी हैं। इनमें से कुछ बातों का तो मैं स्वागत करूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति को निरंकुश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पावर और फंडिंग इस ढंग से होने चाहिए कि यूनिवर्सिटी के सिस्टम को डैमाक्रेटाईज किया जा सके। इसलिए जहां मैं इन बातों का समर्थन करूंगा, वहीं हमें यह भी देखना है

कि यूनिवर्सिटी एक आटोनोमस संस्था है, इसलिए उसकी कद्र करना भी जरूरी है। मुझे 18-20 मुलकों में अध्ययन करके, रिसर्च पेपर्स पढकर वहां के विविद्यालयों को देख कर इस बात का अनुभव हुआ है कि उनके सामान्य कालेज भी बहुत सी भारतीय यूनिवर्सिटीयों से बेहतर अवस्था में हैं। इसका कारण यही है कि हम उस दिना में ठीक ढंग से काम नहीं कर पाए हैं जिस ढंग से काम होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि धन की कमी है और किसी भी वाईस चांसलर को पैसे बरबाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं यह भी मानता हूँ कि कई बार गलत आदमी भी वाईस चांसलर लग जाते हैं। मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि एक वाईस चांसलर ने किसी इम्पलाई को कन्फर्म करते समय फाईल पर नीचे लिख दिया कि कन्फर्मड फार थ्री मन्थस। उसको यह भी नहीं पता था कि कर्मचारी केवल तीन महीने के लिए कन्फर्म होता है या आने वाली सारी सर्विस के लिए कन्फर्म होता है। लेकिन उसने लिख दिया कि तीन महीने के लिए कन्फर्म किया जाता है तथा नीचे दस्तखत भी कर दिये। इसलिए जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो हमें वाईस चांसलर की नियुक्ति की पद्धति को ही बदलना चाहिए। आज किसी पार्टी की सरकार है, कल को किसी और पार्टी की सरकार हो सकती है। इसलिए हमें ऐसी मर्यादाएं बनानी चाहिए ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे गलत काम न हो पाए। वाईस चांसलर लगाने के लिए यू0जी0सी0 से विदेशियों की लिस्ट ली जा सकती है और उसमें से उनको लगाया जा सकता है। स्पीकर सर, मैं जिस मुद्दे की तरफ ध्यान

दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के एक्ट में हम जो संशोधन कर रहे हैं, उसका सैक्शन 9 एफ, नौन क्रियेन ऑफ टीचिंग एंड नोन टीचिंग पोस्ट के बारे में है। इससे आगे 11 ए डिसेजन ऑफ एग्जैक्टिव काउंसिल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो 12ए और 10 ए के रूप में है। मैंने इसमें यह निवेदन करना है कि हमारे दोनो विविद्यालयों में जो डिसेजन मेकिंग बाडी है, एग्जैक्टिव काउंसिल है, उसके पास जो आर्थिक मसले आते हैं, वे पहले फाइनेंस कमेटी में पास करने के बाद लाये जाते हैं। इन दोनों जगहों पर सीनेट नहीं, कोर्ट है। कोर्ट डैलिबरेटिंग बाडी है, डिसेजन मेकिंग बाडी नहीं है लेकिन एग्जैक्टिव काउंसिल में यूनिवर्सिटीज के डीनस हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और प्रिन्सिपल और चांसलर द्वारा नियुक्त किए गए चार चार प्रतिनिधि हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत महत्व रखते हैं, और सरकार के भी कुछ नुमाइन्दे हैं, इसलिए वह एक बहुत अच्छी बाडी है अगर इमरजेंसी पावर्स वाइस चांसलर से ली जाती हैं या कम की जाती हैं तो मैं उसका समर्थन इस नाते करूंगा कि वे कई कई महीने तक वाइस चांसलर की मीटिंग नहीं बुलाते हैं और जब एग्जैक्टिव काउंसिल की मीटिंगे होने लगती है तो 80 फीसदी आइटम्ज ऐसी होती है जिन पर पहले से अंडर इमरजेंसी पावर एक्टिव ले लिए होते हैं और अगर बाद में उनका विरोध किया जाए तो बुरा न किया जाए तो बुरा। मैं पिछले 22 साल से एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में पंजाब विविद्यालय से संबंधित हूँ। जैसे हरियाणा में एग्जैक्टिव काउंसिल है, वैसे ही यहां एक

सिंडीकेट है। सिंडिकेट की मीटिंग हर महीने होती है, लेकिन हरियाणा की यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टिव काउंसिल की मीटिंग कई कई महीने तक नहीं होती, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन जो आर्थिक मसला है, उस पर जब आपने यह बात लिख ली है कि कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की जा सकेगी, कोई ग्रेड नहीं दिया जा सकेगा, जब तक सरकार से पहले उसकी मंजूरी न ले ली जाए। जब यह बात हम लिख चुके हैं तो उसके बाद जो एग्जैक्टिव काउंसिल के डिसेजिन के बारे में यह लिखा है—

“Any decision of the Executive Council in the matters involving additional financial liability and those relating to the annual budget of the University shall hold good only if atleast one representative of the Govt. is present at the time of taking such decision and has consented to that decision.”

मेरा आब्जैक्टिव इन इस कंसेटिड टु दि डिसेजिन से है, मौजूदा होना उसका फर्ज बनता है क्योंकि उससे एक दिन पहले एजेन्डा जाता है जिसके अन्दर ज्यादा पैसे की समस्या होती है, वह मसला तो पहले फाइनेंस कमेटी के पास किए बिना एग्जैक्टिव कमेटी पास ही नहीं कर सकती। वहां सरकार के नुमाइन्दे हैं, वहां फाइनेंस महकमे का व्यक्ति भी है, वहां शिक्षा विभाग का व्यक्ति भी है लेकिन उसके बावजूद अगर कोई छोटा मोटा काम भी एग्जैक्टिव काउंसिल करना चाहें, जैसे कोई पार्ट टाइम लैक्चरर लेना है, कोई छोटे मोटे इनाम की बात है, कहीं बाहर आने जाने

में किसी का खर्च यूनिवर्सिटी ने देना है, उसकी कोई बात है, उसके लिए अगर यह बात कर दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि एग्जैक्टिव काउंसिल को हम जीरो कर देंगे, उसको कोई महत्व नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी अभी भी सरकार के महकमे के तौर पर नहीं चलाई जा सकती। यूनिवर्सिटी एक आटोनोमस बौडी है। यूनिवर्सिटी के अन्दर हर प्रकार के एक्सपेरिमेंटस जो इन्सान के लिए जरूरी है, किए जाने नितान्त आवयक है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का एक आफिसर ज्यादा कीमती है, समूची एग्जैक्टिव काउंसिल की वह कीमत नहीं है, एक आफिसर की ज्यादा कीमत है। जिस वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी चलानी है, उसकी वह कीमत नहीं, जिसको प्रति कुलपति लगाया है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए यह लाइन बिल्कुल बेकार है और यूनिवर्सिटी के उन लोगों का जो एग्जैक्टिव काउंसिल में बैठते हैं बहुत बड़ा अपमान है। सरकार का इससे कोई परपज सिद्ध नहीं होगा। जब आपने ग्रेडस के बारे में जब आपने नयी पोस्टों की टीचिंग और नान टीचिंग पोस्टस के क्रिएशन के बारे में बात कह ली, तो उसके बाद एग्जैक्टिव काउंसिल के निर्णय के बारे में इस लाइन को जोड़ने का कोई अर्थ नहीं बनता। उससे हम यूनिवर्सिटी की जो भावना है, उसे नीचे लाएंगे। मैं केवल मात्र एक वाक्य और कहना चाहता हूँ। बहुत सी रिसर्च स्कीम जिनके बारे में एक आदमी तीस तीस चालीस चालस साल रिसर्च करने के बाद, चालीस चालीस साल यूनिवर्सिटी में अपना विशय पढाने के बाद मुँकल से अपनी स्पेसिलाईजेसन के बारे कुछ जान पाता है,

उस पर कोई दूसरा आदमी कोई डी0एच0ई0 जिसके पास एक महकमा है, कल दूसरा महकमा, तीसरा महकमा, और चौथा महकमा है, मैं नहीं समझ पाता कि ओवर नाइट इतना ऐक्सपर्ट हो जाता है जितना कोई आदमी तीस चालीस साल यूनिवर्सिटी में रह कर और विद्वान की यूनिवर्सिटी में सीखने के बाद भी नहीं सीख पाता। इसलिए इस लाइन को जोड़ने से सिवाए इसके यूनिवर्सिटी की आटोनॉमी पर चोट पड़ेगी। सिवाए इसके कि यूनिवर्सिटी के लोगों का स्थान एक सरकार अफसर से नीचे चला जाएगा, सिवाए इसके कि सरकारीकरण हो जाएगा, यूनिवर्सिटी की जो अपनी इंडिपेंडेंस है, एकेडैमिक इंडिपेंडेंस है, वह मर जाएगी, इसका कोई लाभ नहीं होगा। मैं यह समझता हूँ कि जब आपने क्रिएटिव आफ पोन्टम के लिए सरकार की मंजूरी जब आपने ग्रेड की रिविजन के लिए सरकार की मंजूरी का विधान कर दिया है तो उसके बाद यह निर्णय एग्जैक्टिव कौंसिल के बारे में कह रहे हैं, उस एक लाइन को हमें जरूरी वापिस ले लेना चाहिए। उससे भी उतना ही परपज सर्व होगा, वापिस ले लेने के बाद जितना हम किसी और ढंग से सर्व करना चाहते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

प्रो० राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, जब हमारी माननीय बहिन भान्ति राठी जी को शिक्षा विभाग मिला तो हरियाणा में उम्मीद जगी थी कि जो स्वयं शिक्षक रही हैं अतः अब शिक्षक का सम्मान बढ़ेगा। लेकिन स्पीकर सर, यह जो बिल

बहन जी लेकर आई हैं उसके आब्जैक्टस में एक तरफ तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, यू0जी0सी0 फाइनेंस करती है और नई पोस्टस क्रिएट हो जाती हैं, फ़ैकल्टी क्रिएट हो जाती है, to keep the restraint on the financial aspect of the functioning of the University. एक तरफ तो आब्जैक्टस में यह कह रहे हैं स्पीकर सर, आप तो शिक्षा संस्था चला चुके हैं और बड़ी सफलता से चला चुके हैं। शिक्षा इतना महत्वपूर्ण सबजैक्ट है लेकिन पता नहीं हरियाणा में क्यों इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। दुर्भाग्य से, दो तीन हमारे यहां यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कभी तो कोई फौजी अफसर लाकर उन बच्चों की छाती पर बैठा देते हैं और कभी कोई मनपसन्द का जो आदमी हो, उसको बिठा देते हैं। स्पीकर साहब, दुनिया में और हिन्दुस्तान के बाकी प्रान्तों में भी जो वि वि विद्यालय का काम है, उसमें ज्यादातर उप कुलपति जो लगे हैं वे शिक्षा विद लगे हैं। डा0 राम प्रकाश वे तो खुद प्रोवाइस चान्सलर रह चुके हैं। वे अथोरिटी हैं, कुरुक्षेत्र में भी और पंजाब यूनिवर्सिटी की सिनेट में, वे मेरे साथ मैम्बर भी रहे। स्पीकर सर, अगर बहन जी इसमें यह प्रोवीजन करती, एक क्लाज इसमें यह लेकर आती कि आने वाले समय में हम हरियाणा में यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर कोई ऐसा आदमी नहीं लगाएंगे जो शिक्षाविद न हो, तो अच्छा होता। स्पीकर सर, एक आदमी सारी जिन्दगी तो गोली चलाना सीखाता रहे और परेड करवाता रहे और फिर यूनिवर्सिटी का संचालन करे, यह कहां तक न्याय संगत बात है। अगर यूनिवर्सिटी में कोई

शिक्षाविद लगे, इस तरह की कोई कलाज लाते तो मैं उसका स्वागत करता। यूनिवर्सिटी का जितना महत्व कम होगा उतना ही देना के लिए घातक होगा। (गौर एवं व्यवधान)। मैं तो कुल मिलाकर जो आज के हालात हैं वह सदन के सामने ज्यों के त्यों रख रहा हूँ यूनिवर्सिटी में रोज गोली चल रही है। वहाँ पर छात्रों की पढाई तो होती नहीं है, बाकी वहाँ सब कुछ होता है। स्पीकर साहब, एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अमन रहे और प्रान्त में व्यवस्था रहे और दूसरी तरफ हम अपने नौजवानों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, जवानों को हम चैनेलाइज नहीं कर रहे हैं। नौजवानों की ताकत का कहीं उपयोग नहीं कर रहे हैं और उनको कोई देना भक्ति के संस्कार नहीं दे रहे हैं। स्पीकर सर, इस विषय को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए था। यूनिवर्सिटीज के ऊपर जितना कर्बज लगाएंगे उतनी ही देना के लिए खराब बात होगी। आज हर स्टेट गवर्नमेंट यह चाहती है कि जैसे मैं चाहूँ, यूनिवर्सिटी चले और जिसको मैं चाहूँ, वाईस चांसलर लगे। स्पीकर साहब, एक तरफ तो ये कह रहे हैं –

“The Vice Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power if he feels conferred on any authority of the University BY OR UNDER THIS ACT, AND SHALL REPORT TO SUCH AUTHORITY, THE ACTION TAKEN BY HIM ON SUCH MATTER IN THE FOLLOWING MEETING.”

Speaker Sir, on the other hand, they say-

“Executive Council within one month from the date on which decision on such action is communicated to him and thereon the Executive Council may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.”

Speaker Sir, what type of this contradiction ? The bill in itself is contradictory. आज स्पीकर साहब, इसकी कोई आवयकता नहीं थी, दूसरी तरफ आप इस पर चैक लगा रहे हैं। यह जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसको सरकार का विभाग बनाकर के चलाना चाहेंगे तो इससे एक बात और होगी। आप वाईस चांसलर का प्रोवीजन भी कर रहे हैं, प्रो वाईस चांसलर का प्रोवीजन करने जा रहे हैं और ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल को इन इफेक्टिव भी बना रहे हैं। इससो जो आर्थिक भार है वह आपके स्टेट ऐक्सचैन्जर पर पड़ेगा। इसलिये मैं तो बड़ी ही ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि आज के हालात में इस प्रोपोजल की कोई जरूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज में बड़े अच्छे वाईस चांसलरज लगाईये। स्पीकर साहब, हर सै।न में एक क्लाज जोड देना, कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे इस बिल में प्रोवीजन किया है कि अगर यूनिवर्सिटी कोई नई पोस्ट क्रिएट करना चाहती है, तो वह सरकार की ऐप्रूवल लेकर की जाएगी। ऐसा करने से यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता समाप्त होगी। मैं कहता हूँ कि हमारे कई आई0ए0एस0 अफसर हैं, जो शिक्षा जगत में प्रसिद्ध हैं। और उनको ऐकेडेमिक कैरियर भी बहुत अच्छा है। उनमें कई अच्छे कवि भी हैं। आज बहिन भाकुन्तला जाखू जो इस विभाग को देख रही हैं, उनके पति भी बड़े गजब के कवि हैं। भायद

आई०ए०एस० में उन जैसा गजब का कवि नहीं होगा, लेकिन सारे आई०ए०एस० अफसरों की भूमिका इस तरह की नहीं होती। वे सारे शिक्षा की पेचीदगियों को नहीं समझते। उनको तो अपने मालिकों को राजी करने के लिये सब कुछ करना ही पडता है। कई बार हमारे ब्यूरोक्रेटस का बीहेवअर देख करके बडा दुःख होता है। अब आई०ए०एस० की ऐब्रीवीए इन को भी लोग यह लिखने लगे हैं 'आई ऐग्री सर'। आई०ए०एस० की पोस्टें इसलिये बनायी गई थीं कि ये राजनीतिज्ञों को सही सलाह माविरा देंगे। मैं यही कहता हूं कि बहन जी, अभी भी समय है इन दोनों बिलों को वापिस ले लें, कहीं हम सब को दोबारा न पढना पडे। कम से कम हम आने वाली बिरादरी को यह तो कह सकेंगे कि हम कोई प्रोपोजल ऐसी नहीं लाए जो शिक्षक के सम्मान को घटाएं और यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई जबरदस्ती नियन्त्रण थोंपे। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश बेरी (बेरी): अध्यक्ष महोदय, महर्षि दयानन्द विविद्यालय (संतोधन) विधेयक, 1993 व कुरुक्षेत्र विविद्यालय (संतोधन) विधेयक, 1993 में तरमीम करने के लिये यह बिल लाया गया है। इस संबंध में खास तौर पर मुझे दो धाराओं के बारे में आबजैवतान है, जिन पर मैं सुझाव भी देना चाहता हूं। स्पीकर साहब, वैसे तो हमारे देश में शिक्षा पद्धति काफी त्रुटिपूर्ण है। शिक्षा पर एक रेजोल्यूशन आया था, तो उस पर बहुत से विधायकों ने सुझाव दिये थे कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिये लेकिन अब इन दोनों बिलों में

अमेंडमेंट लाई जा रही है। यूनिवर्सिटी की दशा पहले ही बहुत खराब है, शिक्षा ठीक नहीं है, लडाई झगडे बहुत होते हैं। अगर हम इनकी आटोनामी को खत्म कर देंगे, उनकी स्वायत्ता पर अंकुश लगा देंगे तो ये सरकार का एक विभाग बन कर रह जाएंगी। मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऐक्ट में सैक्शन 10ए नई धारा को इन्सर्ट किया जा रहा है, जिसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का कोई भी नोमिनी एग्जैक्टिव कौंसिल के डिस्मिशन को एक्सप्ट नहीं करता है तो उसका डिस्मिशन नहीं माना जाएगा। यह गलत बात होगी। तो इससे, जब सरकार चाहे उसका अंकुश लगा रहेगा, उसके फाइनेंसियल मैटर्ज में नहीं बल्कि रोजमर्रा के कामों में दखलअन्दाजी रहेगी। स्पीकर साहब, आज सरकार हमारी है, कल को किसी और की भी हो सकती है लेकिन आज हमें शिक्षा के साथ इतना क्रूर मजाक नहीं करना चाहिये। इसी तरह से महर्षि दयानन्द विविद्यालय के ऐक्ट में सैक्शन 11-ए को इन्सर्ट किया जा रहा है। वह भी उसी लाईन पर है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि उसको सरकार वापिस ले और यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश न लगाए। अगर कोई वी0सी0 ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाएं। अच्छे आदमी जो शिक्षा भास्त्री हो, उनको लगाएं ताकि शिक्षा का काम ठीक ढंग से चल सके। शिक्षा एक जरूरी चीज है और अगर हम शिक्षा ठीक ढंग से नहीं देंगे तो यह हमारे हित में नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान (मुंडाल खुर्द): स्पीकर साहब, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बहिन जी जो दो बिल लाई हैं, उन पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके द्वारा बहिन जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे राजनीति में बाद में आई हैं और उनकी पृष्ठभूमि एक अध्यापिका की है। स्पीकर साहब, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप इस सदन के अध्यक्ष भी हैं और हरियाणा के महान शिक्षा भास्त्रियों में से हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले अनुभवों को देखते हुए चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एम०डी०यू० हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो या हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो, अगर वहाँ कोई महान शिक्षाविद वाईस चांसलर नियुक्त हो तो उसको हम खुला हाथ दें, वह किसी भी ढंग से अपना प्रशासन चलाए। तो मेरे ख्याल में उस यूनिवर्सिटी का भला होगा। मैं इस विरोध में नहीं हूँ कि वहाँ पर कोई आई०ए०एस० अफसर न जाए और यह भी नहीं होना चाहिए कि आई०ए०एस० अफसर एट्टू जैड को आप वाईस चांसलर बना दें। जिनकी एजूकेशन में बहुत अच्छी बैक ग्राउंड है उनको जरूर लगाएं। आपने इस बिल में एक क्लॉज लगा दी कि कोई भी पोस्ट उनको बनानी हो तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट से क्लीयरेंस लेनी होगी। स्पीकर साहब, हरियाणा के एजूकेशन डिपार्टमेंट ने 1986 से आज तक सरकारी और गैर सरकारी कालेज में एक पोस्ट भी नहीं भरी। आज सात साल के बाद उन कालेज में स्टुडेंट्स की संख्या पांच गुना बढ़ गई है। लेकिन टीचर्स की संख्या वही पुरानी है। यह

बहन जी के महकमे की बात है, वे ही बता दें कि उन्होंने आज तक कितनी पोस्टें भरी हैं। अगर वाईस चांसलर के ऊपर यह बात आएगी कि वह कोई पोस्ट आई0ए0एस0 अफसर से पूछ कर भरेगा तो यूनिवर्सिटी में अमानत वातावरण पैदा होगा। फर्ज करो कोई पोस्ट न बनाने की वजह से स्टुडेंट्स की पढाई का नुकसान होता है तो वहांपर स्टुडेंट्स रोज हडताल करेंगे। अगर आपके सैक्रैटरी या चीफ सैक्रैटरी किसी पोस्ट को बनाने की इजाजत न देंगे तो यह स्टुडेंट्स के जीवन के साथ एक तरह की होली खेजी जाएगी। तो स्पीकर साहब, मेरा आपके द्वारा शिक्षा मन्त्री महोदया से अनुरोध है कि वे इसको प्रैस्टिज इतना न बनाएं और इन बिलों को वापिस ले लें। दूसरे, हमारे यहां दो यूनिवर्सिटीज हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो एक प्रोविजन है कि दो प्रतिनिधि प्राइवेट कालेजिज के कोर्ट के सदस्य होंगे लेकिन एम0डी0यू0 में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टुडेंट्स का कोई प्रतिनिधि नहीं जबकि एम0डी0यू0 में है। तो मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है, दोनों यूनिवर्सिटीज में एक सा होना चाहिए। यानी दोनों में स्टुडेंट्स को भी रिप्रजैटेशन मिले और प्राइवेट कालेजिज के मैम्बरज को भी मिले। मैं आखिर में एक बार फिर शिक्षा मन्त्री महोदया को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उनको याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि ये अध्यापिका पहले हैं और मिनिस्टर बाद में। मिनिस्टरी से तो वे कल चली जाएंगी लेकिन अध्यापिका वाली बात रहेगी। इसलिए उनको यह बिल वापिस ले लेना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Maharshi Dayanand University
(Amendment) Bill be into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill
clause by clause.

Clause 2 to 5

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister to move that the Bill be passed.

शिक्षा मंत्री (श्रीमती भांति देवी राठी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ :-

कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2 to 5

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 to 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister to move that the Bill be passed.

शिक्षा मंत्री (श्रीमती भांति देवी राठी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ :-

कि बिल पास किया जाए।

वाक आउट

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, शिक्षा मन्त्री महोदया ने हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

प्रो० राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं भी एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूँ।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी तथा जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 1993 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned sine die.

***16.39 P.M.**

(The Sabha then adjourned* sine-die).